सत्यमेव जयते

भारत

के

नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक

का

31 मार्च 2007 को समाप्त हुए वर्ष का

प्रतिवेदन

(राजस्व प्राप्तियाँ)

बिहार सरकार

विषय–सूची

	कंडिका	पृष्ठ
प्रस्तावना		iii
विहंगावलोकन		v
अध्याय–I : सामान्य		
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृति	1.1	1
बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों के बीच भिन्नताएँ	1.2	4
संग्रहण की लागत	1.3	5
संग्रहण का विश्लेषण	1.4	6
राजस्व के बकायों का विश्लेषण	1.5	6
बिक्री कर के निर्धारण में बकाये मामले	1.6	8
कर का अपवंचन	1.7	8
वापसी	1.8	9
आन्तरिक लेखापरीक्षा	1.9	9
लेखापरीक्षा के परिणाम	1.10	9
लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा अवलोकन	1.11	10
विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें	1.12	11
प्रारुप लेखापरीक्षा कंडिकाओं के प्रति विभागों की प्रतिक्रिया	1.13	11
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर कार्यवाही	1.14	12
स्वीकृत मामलों के राजस्व की वसूली	1.15	13
अध्याय–II : बिक्री, व्यापार आदि पर कर		
लेखापरीक्षा के परिणाम	2.1	14
बिक्री राशि का गलत निर्धारण	2.2	15
केन्द्रीय बिक्री कर का अवनिर्धारण	2.3	15
क्रय/विक्रय राशि का छिपाया जाना	2.4	17
छूट की गलत स्वीकृति	2.5	19
क्रय कर आरोपित नहीं किया जाना	2.6	20
कर कम लगाया जाना	2.7	20
गलत समायोजन के कारण कर की वसूली नहीं होना	2.8	21
कर की संगणना में भूल	2.9	22
अध्याय–III : राज्य उत्पाद		
लेखापरीक्षा के परिणाम	3.1	23
न्यूनतम गारंटी कोटा का उठाव नहीं किये जाने के कारण राजस्व की हानि	3.2	24
उत्पाद दुकानों की बन्दोबस्ती	3.3	24
अधिनियम/नियमों के प्रावधानों को लागू करने में चूक	3.4	27
अनुज्ञप्तियों का विस्तार नहीं किया जाना	3.5	28
राजस्व की वसूली नहीं/हानि होना	3.6	28
राजस्व शीर्ष में अनियमित जमा	3.7	29
आसवन गृहों (डिस्टीलरिज) द्वारा शराब का कम उठाव/मोलासेस से शराब की कम प्राप्ति के कारण राजस्व की हानि	3.8	30
राजस्व के बकाये की वसूली	3.9	31

	कंडिका	पृष्ठ
अभ्यर्पित दुकानों के लिए नये स्थल का पहचान नहीं किया जाना	3.10	32
अध्याय–IV : मोटर वाहनों पर कर		
लेखापरीक्षा के परिणाम	4.1	33
योग्यता प्रमाण पत्र का अनियमित निर्गमन	4.2	34
मोटर वाहन पर कर की वसूली नहीं किया जाना	4.3	34
अभ्यर्पण में अन्तर्ग्रस्त वाहनों से कर की वसूली नहीं किया जाना	4.4	35
मोटर वाहनों के व्यवसायियों से व्यापार कर की वसूली नहीं/कम किया जाना	4.5	37
टैक्स टोकन का अनियमित निर्गमन	4.6	37
स्पेशल एग्रीमेंट कार्ड का अनियमित निर्गमन	4.7	38
अध्याय–V : अन्य कर प्राप्तियाँ		
लेखापरीक्षा के परिणाम	5.1	39
भू–लगान का निर्धारण एवं वसूली नहीं किया जाना	5.2	40
गलत दर पर प्रवेश कर लगाया जाना	5.3	40
आयात मूल्य के छिपाव के कारण प्रवेश कर का कम आरोपण	5.4	41
व्यवसायियों के निबंधन नहीं होने के कारण कर का नहीं लगाया जाना	5.5	42
अर्थदण्ड नहीं लगाया जाना	5.6	42
अध्याय–VI : कर भिन्न प्राप्तियाँ		
लेखापरीक्षा के परिणाम	6.1	44
खान एवं खनिज से प्राप्तियाँ	6.2	45
खतियानी के माँग का सृजन नहीं किया जाना	6.3	60
कृषि योग्य चाट भूमि की बन्दोबस्ती नहीं किये जाने के कारण राजस्व की हानि	6.4	61
संग्रहित/दावा नहीं किये गये लकड़ी का निष्पादन नहीं होने के कारण राजस्व का अवरूद्ध होना	6.5	61
अतिक्रमित वन भूमि से बेदखल नहीं किया जाना	6.6	62

प्रस्तावना

31 मार्च 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये यह प्रतिवेदन, संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के अधीन राज्यपाल को प्रस्तुत किये जाने के लिए तैयार किया गया है।

राज्य सरकार के राजस्व प्राप्तियों की लेखापरीक्षा, भारत के नियन्त्रक–महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ और सेवा शर्त्त) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अधीन संचालित की जाती है। यह प्रतिवेदन बिक्री, व्यापार आदि पर कर, राज्य उत्पाद, वाहनों पर कर, भू–राजस्व, अन्य कर प्राप्तियाँ, खनिज रियायत, फीस, रॉयल्टी और राज्य के अन्य कर भिन्न प्राप्तियों को शामिल करते हुए प्राप्तियों की लेखापरीक्षा का परिणाम प्रस्तुत करता है।

इस प्रतिवेदन में वे मामले उल्लिखित हैं जो वर्ष 2006–07 की अवधि में अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा के क्रम में देखने में आये, साथ ही उन मामलों को भी सम्मिलित किया गया है जो पूर्व के वर्षों में ध्यान में आये किन्तु पिछले प्रतिवेदनों में उन्हें सम्मिलित नहीं किया जा सका।

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में एक समीक्षा सहित 33 कंडिकाएँ हैं जिनमें 206.42 करोड़ रुपये का कर, ब्याज आदि नहीं/कम लगाये जाने से सम्बन्धित मामले हैं। प्रमुख निष्कर्षों में से कुछ का उल्लेख नीचे किया गया है :

I. सामान्य

वर्ष 2006–07 के लिये बिहार सरकार की कुल प्राप्तियाँ 23,083.19 करोड़ रुपये थी। कर राजस्व के 4,033.08 करोड़ रुपये और कर भिन्न राजस्व के 511.28 करोड़ रुपये को मिलाकर, राज्य सरकार ने कुल 4,544.36 करोड़ रुपये का राजस्व सृजित किया। भारत सरकार से 18,538.83 करोड़ रुपये (विभाज्य संघीय करों से राज्य का हिस्साः 13,291.72 करोड़ रुपये और सहायता अनुदानः 5,247.11 करोड़ रुपये) की प्राप्ति हुई। इस प्रकार राज्य सरकार, कुल राजस्व का केवल 20 प्रतिशत ही सृजित कर सकी।

(कंडिका 1.1.1)

वाणिज्यकर, राज्य उत्पाद, वाहनों पर कर, भू–राजस्व, अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग तथा अन्य विभागीय कार्यालयों के अभिलेखों की वर्ष 2006–07 की अवधि में की गयी नमूना जाँच से 607.01 करोड़ रुपये के राजस्व के अवनिर्धारण/कम निर्धारण/हानि के 4,643 मामले प्रकाश में आये। वर्ष 2006–07 की अवधि में सम्बद्ध विभागों ने 746 मामलों में अन्तर्निहित 237.82 करोड़ रुपये का अवनिर्धारण आदि स्वीकार किया।

(कंडिका 1.10)

दिसम्बर 2006 तक निर्गत निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं, जिनका निराकरण जून 2007 तक नहीं हो पाया था, की संख्या क्रमशः 3,126 एवं 16,835 थी जिसमें 3,273.56 करोड़ रुपये अन्तर्निहित थे। 2,237 निरीक्षण प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में प्रथम उत्तर भी प्राप्त नहीं हुए हैं, यद्यपि इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर उत्तर दिया जाना अपेक्षित था।

(कंडिका 1.11)

II. बिक्री, व्यापार आदि पर कर

एक वाणिज्यकर अंचल में एक व्यवसायी के बिक्री राशि में 125 करोड़ रुपये का उत्पाद शुल्क सम्मिलित नहीं किया गया था, जिसके फलस्वरूप अतिरिक्त कर एवं अधिभार सहित 21.87 करोड़ रुपये का कर कम आरोपित हुआ।

(कंडिका 2.2.1.1)

एक वाणिज्यकर अंचल में, एक व्यवसायी के मामले में 72.33 करोड़ रुपये मूल्य के वस्तुओं का अन्तर्राज्यीय बिक्री यद्यपि घोषणा प्रपत्रों द्वारा समर्थित नहीं था, कर का आरोपण कम दर पर लगाया गया था। इसके फलस्वरूप 9.64 करोड़ रुपये के कर का अवनिर्धारण हुआ।

(कंडिका 2.3.1)

10 वाणिज्यकर अंचलों में 35 व्यवसायियों द्वारा 47.69 करोड़ रुपये मूल्य के बिक्री/क्रय राशि छिपाये जाने के फलस्वरुप 8.04 करोड़ रुपये का कर कम आरोपित हुआ।

(कंडिका 2.4)

एक वाणिज्यकर अंचल में 46.01 करोड़ रुपये के छूट का गलत अनुमति दिये जाने के फलस्वरूप अतिरिक्त कर एवं अधिभार सहित 1.79 करोड़ रुपये के कर का कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 2.5.1)

III. राज्य उत्पाद

सात उत्पाद जिलों में खुदरा अनुज्ञप्तिधारियों ने वर्ष 2002–03 से 2005–06 के दौरान न्यूनतम गारंटी कोटा का उठाव नहीं किया था, जिसके कारण 47.98 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई।

(कंडिका 3.2.1)

10 उत्पाद जिलों में 219 देशी शराब, 153 मसालेदार देशी शराब एवं 75 भारत निर्मित विदेशी शराब दुकानों की बन्दोबस्ती एक से 11 महीनों की समाप्ति के बाद की गई थी, जिसके फलस्वरूप 11.85 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई।

(कंडिका 3.3.1)

IV. मोटर वाहनों पर कर

आठ जिला परिवहन कार्यालयों में 95 परिवहन वाहनों को कर के अद्यतन भुगतान को सुनिश्चित किये बगैर योग्यता प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया गया था, जिसके फलस्वरूप जुलाई 2002 एवं जुलाई 2006 के बीच की अवधि के लिये 2.74 करोड़ रुपये (अर्थदण्ड सहित) के कर की वसूली नहीं हुई।

(कंडिका 4.2)

30 जिला परिवहन कार्यालयों में जुलाई 2002 से जून 2006 के अवधि से सम्बन्धित 1,198 वाहनों के 27.38 करोड़ रुपये के बकाये कर का न तो वाहन मालिकों द्वारा भुगतान किया गया था और न ही सम्बंधित कर प्राधिकारियों द्वारा बकायों की वसूली हेतु कार्रवाई की गई थी।

(कंडिका 4.3)

V. अन्य कर प्राप्तियाँ

रैय्यतों द्वारा कृषि योग्य भूमि का व्यावसायिक प्रयोजन हेतु परिवर्तित करने पर व्यावसायिक लगान के निर्धारण नहीं होने के फलस्वरुप 1.18 करोड़ रुपये के राजस्व की वसूली नहीं हुई।

(कंडिका 5.2)

वर्ष 2001–02 से 2004–05 के दौरान तीन वाणिज्यकर अंचलों में निबंधित तीन व्यवसायियों द्वारा अनुसूचित वस्तुओं के आयातित मूल्य को छिपाये जाने के परिणामस्वरुप आरोप्य न्यूनतम अर्थदण्ड सहित 39.60 लाख रुपये के प्रवेश कर का कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 5.4)

VI. कर भिन्न प्राप्तियाँ

"खान एवं खनिजों से प्राप्तियाँ" की एक समीक्षा से निम्नलिखित बातों का पता चला :

खान निदेशक द्वारा दोषी ईंट भट्ठा मालिकों द्वारा रॉयल्टी का भुगतान नहीं किये जाने का अनुश्रवण के लिए जिला खनन पदाधिकारियों द्वारा संधारित ईंट भट्ठा रजिस्टर के समीक्षा की प्रणालियों में कमी के कारण 7.89 करोड़ रुपये के अर्थदण्ड का आरोपण नहीं हुआ।

(कंडिका 6.2.7)

जिला खनन पदाधिकारियों/सहायक खनन पदाधिकारियों द्वारा प्रपत्रों के ब्योरे के सत्यापन को खान निदेशक द्वारा की गई समीक्षा को सुनिश्चित करने की प्रणाली में कमी के कारण कार्य संवेदकों के विरूद्ध 12.79 करोड़ रुपये के अर्थदण्ड का आरोपण नहीं हुआ।

(कंडिका 6.2.8)

कोषागार आँकड़ों के साथ विभागीय आँकड़ों का मिलान करने में जिला खनन पदाधिकारियों की विफलता के फलस्वरूप 1.70 करोड़ रुपये का दुर्विनियोजन हुआ।

(कंडिका 6.2.10)

आठ जिला खनन कार्यालयों में 2001–02 से 2006–07 के दौरान 44 पत्थर के खानों और बालू घाटों के बन्दोबस्ती दस्तावेजों का निष्पादन नहीं होने के फलस्वरूप 3.60 करोड़ रुपये के मुद्रांक शुल्क का नहीं/कम वसूली हुई।

(कंडिका 6.2.12)

पाँच जिला खनन कार्यालयों में 9.64 करोड़ रुपये रक्षित मूल्य के 118 बालू घाटों के अबन्दोबस्त रहने के फलस्वरूप 8.95 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई।

(कंडिका 6.2.13)

सात प्रमण्डलों में 2001–02 से 2005–06 के दौरान खरीफ का 2.11 लाख हेक्टेयर एवं रबी का 2.17 लाख हेक्टेयर सिंचित भूमि हेतु खतियानी तैयार नहीं की गई थी तथा जलदर के 8.56 करोड़ रुपये के लिये माँग सृजन एंव संग्रहण हेतु उन्हें सम्बन्धित राजस्व प्रमण्डलों को नहीं भेजा गया था।

(कंडिका 6.3)

दो वन प्रमण्डलों में 14.92 हेक्टेयर वन भूमि के अतिक्रमणकारियों से 86.56 लाख रुपये की वसूली नहीं की गई थी।

(कंडिका 6.6)

परिशिष्ट– XI
(संदर्भ–कंडिका 6.2.10)
सरकारी राजस्व का दुर्विनियोजन

(रुपये लाख में)

वर्ष	बालू पर रॉयल्टी के जमाकर्त्ता का नाम	कोषागार अनुसूची में दर्शायी गई राशि	संग्रहण प्रतिवेदन में दर्शायी गई बालू पर रॉयल्टी की राशि	अन्तर
2003-04	1. श्री रजनीश चन्द्र (कलेण्डर वर्ष 2003) 2. श्री कारू यादव (कलेण्डर वर्ष 2004)	45.33 96.50		
कुल		**141.83**	**195.75**	**53.92**
2004-05	श्री अरूण यादव (कलेण्डर वर्ष 2005)	115.77	232.00	116.23
कुल योग		**257.60**	**427.75**	**170.15**

परिशिष्ट– XII

(संदर्भ–कंडिका 6.2.12.1)

मुद्रांक शुल्क, अधिभार एवं अतिरिक्त अधिभार का नहीं/कम लगाया जाना

(रूपये लाख में)

जिला खनन कार्यालयों के नाम	बन्दोबस्ती की संख्या	बन्दोबस्ती की तिथि	नीलामी की राशि	नीलामी राशि पर 3 प्रतिशत की दर से प्रभारित होने वाले मुद्रांक शुल्क	अधिभार	अतिरिक्त अधिभार	कुल	आरोपित किया गया मुद्रांक शुल्क	मुद्रांक शुल्क नहीं लगाया जाना
मुंगेर	24.12 एकड़ में 13 पत्थर की खानें	फरवरी 2002 एवं अक्टूबर 2004 के बीच	198.69	5.96	5.96	0.60	12.52	1.29	11.23
नवादा	13.5 एकड़ में 1 पत्थर की खान	24.02.2006	173.25	5.20	5.20	0.52	10.92	-	10.92
रोहतास	50.95 एकड़ में 30 पत्थर की खानें	24.01.2003 से 14.07.2006 के बीच	5,357.07	160.71	160.71	16.07	337.49	-	337.49
कुल	**88.57 एकड़ में 44 पत्थर की खानें**	-	**5,727.01**	**171.87**	**171.87**	**17.19**	**360.93**	**1.29**	**359.64**

परिशिष्ट– XIII

(संदर्भ–कंडिका **6.2.12.2**)

मुद्रांक शुल्क, अधिभार एवं अतिरिक्त अधिभार का नहीं/कम लगाया जाना

(रूपये लाख में)

क्रम सं0	जिला खनन कार्यालयों के नाम	नीलामी की राशि	3 प्रतिशत की दर से मुद्रांक शुल्क	अधिभार	10 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त अधिभार	कुल (4+5+6)	भुगतान की गई राशि	शेष (7-8)	कलेण्डर वर्ष
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	औरंगाबाद	303.25	9.10	9.10	0.91	19.11	9.10	10.01	2006
2.	कैमूर	167.07	5.01	5.01	0.50	10.52	1.38	9.14	2004,2005,2006
3.	गया	345.18	10.36	10.36	1.04	21.76	5.74	16.02	2005 एवं 2006
4.	नवादा	674.06	20.22	20.22	2.02	42.46	-	42.46	2004,2005, 2006
5.	रोहतास	656.25	19.69	19.69	1.97	41.35	16.67	24.68	2004,2005,2006
	कुल	**2,145.81**	**64.38**	**64.38**	**6.44**	**135.20**	**32.89**	**102.31**	--

परिशिष्ट– XIV
(संदर्भ–कंडिका 6.2.13)
बालू घाटों की बन्दोबस्ती नहीं होने के कारण हानि

(रूपये लाख में)

क्रम सं0	जिला खनन कार्यालयों के नाम	घाटों की संख्या	रक्षित मूल्य	विभागीय संग्रहण		हानि	कलेण्डर वर्ष
				घाटों की संख्या	राशि		
1.	औरंगाबाद	13	148.74	--	--	148.74	2002,2004 से 2005
2.	कैमूर	69	119.52	--	--	119.52	2002, 2003 2004, 2005
3.	भोजपुर	4	22.50	--	--	22.50	2005 से 2006
4.	पटना	5	70.87	--	--	70.87	2003
5.	श्रोहतास	27	602.06	15	68.30	533.76	2002,2004, 2005
	कुल	**118**	**963.69**	**15**	**68.30**	**895.39**	

<u>परिशिष्ट–XV</u>

(संदर्भ–कंडिका 6.2.14)

<u>पत्थर खानों के अविवेकपूर्ण बन्दोबस्ती के कारण राजस्व की हानि</u>

(रूपये लाख में)

जिलों के नाम	क्रम सं0	मौजा	क्षेत्रफल (एकड़ में)	बन्दोबस्तीधारी का नाम	रक्षित मूल्य	नीलामी/डाक की राशि	उत्खनित मात्रा (घन फीट में)	2.83 रू0 प्रति घन फीट की दर से उत्खनित मात्रा पर रॉयल्टी	रॉयल्टी की हानि (9-7)	प्रतिशतता	नीलामी की अवधि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
रोहतास	1.	अमरा 924 (पी)	2.00	सर्वश्री अजय कुमार सिंह	35.00	245.00	1,90,69,460	539.67	294.67	120	14.11.03 से 13.11.08
	2.	"	2.00	मे0 देवी कन्स्ट्रक्शन	35.00	35.01	39,56,200	111.96	76.95	119	24.11.03 से 23.11.08
	3.	"	2.00	सर्वश्री राम इन्टरप्राइजेज	35.00	35.01	33,55,030	94.95	59.94	171	24.11.03 से 23.11.08
	4.	"	1.80	सर्वश्री बिरेन्द्र कुमाार सिंह	31.50	31.51	26,63,840	75.39	43.88	139	10.2.04 से 9.2.09
	5.	"	1.50	सर्वश्री पारस नाथ गुप्ता	15.00	16.04	14,75,970	41.77	25.73	160	24.3.04 से 23.3.09
	6.	बासा 723 (पी)	1.15	मे0 ए के बिल्डर्स	6.61	12.66	16,91,310	47.86	35.20	278	24.1.03 से 23.1.08
	7.	"	1.50	सर्वश्री विजय सिंह	8.62	8.75	19,91,970	56.37	47.62	544	24.1.03 से 23.1.08
		कुल	**11.95**	---	**166.73**	**383.98**	**3,42,03,780**	**967.97**	**583.99**		
मुंगेर	1.	शंकरपुर (ए) 542 (पी)	2.00	मे0 आलम एन्ड कम्पनी	11.50	11.53	15,88,077	44.94	33.41	290	18.10.2002 से 17.10.2007
	2.	शंकरपुर 542 (पी)	2.00	मे0 राम चरितर मंडल	11.50	11.52	16,18,832	45.81	34.29	298	18.10.2002 से 17.10.2007
	3.	शंकरपुर	2.00	मे0 आलम एन्ड कम्पनी	11.50	11.51	15,89,996	45.00	33.49	291	18.10.2002 से 17.10.2007
	4.	सालेमपुर प्लॉट सं0 211 (पी)	1.85	मे0 मो0 शमशाद	11.50	11.54	14,55,951	41.20	29.66	257	28.01.2003 से 27.01.2008
	5.	शंकरपुर	2.00	मे0 श्री सुरेन्द्र सिंह	11.50	11.55	16,39,575	46.40	34.85	301	11.2.2002 से 10.02.2002
		कुल	**9.85**		**57.50**	**57.65**	**78,92,401**	**223.35**	**165.70**		
कुल योग			**21.80**		**224.23**	**441.63**	**4,20,96,181**	**1,191.32**	**749.69**		

©
भारत के नियंत्रक – महालेखापरीक्षक
2008

मूल्य : 65 रुपये (अंतर्देशीय)
5 यू0 एस0 डॉलर (विदेशी)

मुद्रण : सरस्वती प्रेस लिमिटेड (पश्चिम बंगाल सरकार का उपक्रम), कोलकता–700 056

अध्याय– I : सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1 वर्ष 2006–07 के दौरान बिहार सरकार द्वारा सृजित कर एवं कर भिन्न राजस्व, वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्त विभाज्य संघीय करों में राज्य का अंश एवं सहायता अनुदान तथा विगत चार वर्षों के तत्सम्बन्धी आँकड़े नीचे दिये गये हैं:

(करोड़ रुपये में)

क्र० सं०	ब्यौरे	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
I.	राज्य सरकार द्वारा सृजित राजस्व					
	• कर राजस्व	2,761.05	2,889.69	3,347.39	3,561.10	4,033.08
	• कर भिन्न राजस्व	260.82	320.38	417.79	522.30	511.28
	कुल	3,021.87	3,210.07	3,765.18	4,083.40	4,544.36
II.	भारत सरकार से प्राप्तियाँ					
	• विभाज्य संघीय करों में राज्य का अंश	6,549.23	7,627.87	9,117.13	10,420.59	13,291.72
	• सहायता अनुदान	1,397.32	1,617.62	2,831.83	3,332.72	5,247.11
	कुल	7,946.55	9,245.49	11,948.96	13,753.31	18,538.83
III.	राज्य सरकार की कुल प्राप्तियाँ[1] (I एवं II)	10,968.42	12,455.56	15,714.14	17,836.71	23,083.19
IV.	III से I की प्रतिशतता	28	26	24	23	20

उपर्युक्त तालिका से पता चलता है कि पिछले वर्ष के 23 प्रतिशत के विरूद्ध वर्ष 2006–07 के दौरान राज्य सरकार ने 23,083.19 करोड़ रुपये के कुल राजस्व प्राप्तियों का केवल 20 प्रतिशत ही सृजित किया और प्राप्तियों का शेष 80 प्रतिशत भारत सरकार से प्राप्त था। कुल राजस्व प्राप्तियों में से राज्य सरकार द्वारा सृजित राजस्व के अंशदान में वर्ष 2002–03 से 2006–07 की अवधि में लगातार ह्रास होती चली गई।

---

1 पूर्ण विवरण के लिये कृपया बिहार सरकार के वर्ष 2006–07 के वित्त लेखे में विवरणी संख्या–11 लघु शीर्ष राजस्व की विस्तृत लेखा देखें। मुख्य शीर्ष – 0020 निगम कर, 0021 – निगम कर से भिन्न आय पर कर, 0028 – आय और व्यय पर अन्य कर, 0032 – सम्पत्ति पर कर, 0037 –सीमा शुल्क, 0038 – संघीय उत्पाद, 0044 – सेवा पर कर, एवं 0045 – वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क – लघु शीर्ष 901 – निबल – प्राप्तियों में राज्य को समनुदिष्ट हिस्सा के अन्तर्गत आँकड़ें जो वित्त लेखा में क – कर राजस्व में दिखलाये गये हैं, को राज्य द्वारा सृजित राजस्व से हटाकर विभाज्य संघीय करों में राज्य का अंश में सम्मिलित कर इस विवरणी में दिखलाया गया है।

1.1.2 निम्न तालिका वर्ष 2002–03 से 2006–07 की अवधि में सृजित कर राजस्व के विवरण को दर्शाता है:

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	राजस्व शीर्ष	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	2005–06 की अपेक्षा 2006–07 में वृद्धि (+) या ह्रास (–) की प्रतिशतता
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	1,647.62	1,637.23	1,890.54	1,733.60	2,081.49	(+) 20.07
2.	राज्य उत्पाद	241.95	240.01	272.47	318.59	381.93	(+) 19.88
3.	मुद्रांक शुल्क एवं निबन्धन फीस	348.21	417.56	429.14	505.29	455.02	(–) 9.95
4.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	14.30	17.62	9.54	18.06	62.84	(+) 247.95
5.	वाहनों पर कर	177.98	209.50	212.78	302.44	181.38	(–) 40.03
6.	माल एवं यात्रियों पर कर–स्थानीय क्षेत्रों में वस्तुओं के प्रवेश पर कर	262.91	305.83	472.88	613.38	783.01	(+) 27.65
7.	वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	27.98	28.14	26.65	14.72	12.76	(–) 13.32
8.	भू–राजस्व	36.15	33.80	33.39	55.02	74.65	(+) 35.68
9.	आय और व्यय पर अन्य कर, व्यवसाय, व्यापार, आजीविका और रोजगार पर कर	3.95	–	–	–	–	–
	कुल	2,761.05	2,889.69	3,347.39	3561.10	4,033.08	(+) 13.25

वर्ष 2005–06 की तुलना में 2006–07 के दौरान प्राप्तियों में भिन्नता का कारण, जैसा कि संबंधित विभाग द्वारा प्रतिवेदित किया गया था, नीचे उल्लेख किये गये हैं:

बिक्री, व्यापार आदि पर कर : यह वृद्धि (20.07 प्रतिशत) पिछले वर्ष की तुलना में स्रोत पर कर की कटौती के अन्तर्गत अधिक राजस्व के संग्रहण के कारण हुई।

मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस : इसमें कमी (9.95 प्रतिशत) का कारण दस्तावेजों के निबंधन एवं मुद्रांकन में हुई कमी को ठहराया गया।

विद्युत पर कर एवं शुल्क : यह वृद्धि (247.95 प्रतिशत) विद्युत शुल्क के अन्तर्गत बकायों के संग्रहण के कारण हुई।

वाहनों पर कर : यह कमी (40.03 प्रतिशत) कर के दरों में कमी के कारण हुई।

माल एवं यात्रियों पर कर – स्थानीय क्षेत्रों में वस्तुओं के प्रवेश पर कर : इसमें वृद्धि (27.65 प्रतिशत) पावर ग्रीड कॉरपोरेशन एवं टेलीकॉम कंपनियों द्वारा आधारभूत संरचना हेतु अनुसूचित मालों के आयात पर प्रवेश कर के भुगतान तथा कच्चे तेल के दामों में बढ़ोत्तरी के कारण हुई।

वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क : यह कमी (13.32 प्रतिशत) मनोरंजन कर के दर में 50 प्रतिशत की कटौती के कारण हुई।

भू–राजस्व : यह वृद्धि (35.68 प्रतिशत) वर्ष के दौरान शिविर आयोजित कर राजस्व की वसूली के कारण हुई।

माँगे जाने (जून 2007) के बावजूद, अन्य विभाग भिन्नता का कारण सूचित नहीं किये थे (नवम्बर 2007)।

1.1.3 निम्न तालिका वर्ष 2002–03 से 2006–07 की अवधि में सृजित कर भिन्न राजस्व के विवरण को दर्शाता है:

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	राजस्व शीर्ष	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	2005–06 की अपेक्षा 2006–07 में वृद्धि (+) या ह्रास (–) की प्रतिशतता
1.	ब्याज प्राप्तियाँ	53.01	23.08	75.06	216.07	175.99	(–) 18.55
2.	वानिकी एवं वन्य– जीव	10.04	6.29	7.16	8.89	6.35	(–) 28.57
3.	अलौह खनन एवं धातु कर्मीय उद्योग	61.20	73.34	80.09	100.90	127.65	(+) 26.51
4.	विविध सामान्य सेवाएँ	0.60	0.15	9.07	11.77	20.88	(+) 77.40
5.	मध्यम सिंचाई	15.43	26.22	20.82	10.82	10.95	(+) 1.20
6.	चिकित्सा एवं लोक–स्वास्थ्य	13.92	11.97	12.66	15.10	17.52	(+) 16.03
7.	मत्स्य पालन	4.38	5.07	5.15	5.69	6.09	(+) 7.03
8.	पथ एवं पुलें	10.42	10.63	8.43	12.05	16.75	(+) 39.00
9.	पुलिस	22.71	16.86	13.72	6.00	10.53	(+) 75.50
10.	अन्य प्रशासनिक सेवायें	15.19	80.72	107.99	34.21	20.28	(–) 40.72
11.	अन्य कर भिन्न प्राप्तियाँ	53.92	66.05	77.64	100.80	98.29	(–) 2.49
	कुल	260.82	320.38	417.79	522.30	511.28	(–) 2.11

वर्ष 2005–06 की तुलना में वर्ष 2006–07 में प्राप्तियों में भिन्नता का कारण, जैसा कि संबंधित विभागों द्वारा सूचित किया गया था, नीचे उल्लेख किये गये हैं:

अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग : इसमें वृद्धि (26.51 प्रतिशत) का कारण कार्य विभागों द्वारा अधिक कार्य का किया जाना तथा बालू एवं पत्थर खादानों के नीलाम राशि में वृद्धि को ठहराया गया।

ब्याज प्राप्तियाँ : इसमें कमी (18.55 प्रतिशत) मुख्यतः सहकारी समितियों से ब्याज की कम प्राप्ति होना था।

वानिकी एवं वन्य जीव : इसमें कमी (28.57 प्रतिशत) मुख्यतः पर्यावरण वानिकी एवं वन्य जीव के अन्तर्गत कम प्राप्तियाँ होना था।

चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य : इसमें वृद्धि (16.03 प्रतिशत) मुख्यतः कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत अधिक प्राप्तियाँ होना था।

पुलिस : इसमें वृद्धि (75.50 प्रतिशत) मुख्यतः शुल्क, जुर्माना तथा आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत जब्तियों के कारण अधिक प्राप्तियाँ होना था।

अन्य प्रशासनिक सेवाएँ : इसमें कमी (40.72 प्रतिशत) मुख्यतः निर्वाचन (मतदाता पहचान पत्र निर्गत हेतु अंशदान) के अन्तर्गत कम प्राप्तियाँ होना था।

माँगे जाने (जून 2007) के बावजूद, अन्य विभाग भिन्नता का कारण सूचित नहीं किये थे (नवम्बर 2007)।

1.2 बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों के बीच भिन्नताएँ

वर्ष 2006–07 के लिये कर एवं कर भिन्न राजस्व के मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत राजस्व प्राप्तियों के बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियाँ के बीच भिन्नतायें नीचे दी गई हैं:

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	राजस्व शीर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	भिन्नताएँ वृद्धि (+)/ ह्रास (–)	प्रतिशतता
•	कर राजस्व				
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	2,364.67	2,081.49	(–) 283.18	(–)11.98
2.	राज्य उत्पाद	400.00	381.93	(–) 18.07	(–) 4.52
3.	मुद्रांक शुल्क एवं निबन्धन फीस	700.00	455.02	(–) 244.98	(–)34.99
4.	वाहनों पर कर	350.00	181.38	(–) 168.62	(–)48.18
5.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	12.07	62.84	(+) 50.77	(+)420.63
6.	भू–राजस्व	72.42	74.65	(+) 2.23	(+) 3.08
7.	वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	18.78	12.76	(–) 6.02	(–)32.06
8.	माल एवं यात्री पर कर–स्थानीय क्षेत्रों में वस्तुओं के प्रवेश पर कर	603.64	783.01	(+) 179.37	(+)29.71
•	कर भिन्न राजस्व				
1.	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	95.00	127.65	(+) 32.65	(+)34.37
2.	वानिकी एवं वन्य जीव	7.59	6.35	(–) 1.24	(–)16.34
3.	ब्याज प्राप्तियाँ	53.12	175.99	(+)122.87	(+)231.31
4.	जल दर (मध्यम सिंचाई)	1.50	10.95	(+) 9.45	(+)630.00

बजट अनुमान तथा वास्तविक प्राप्तियों के बीच भिन्नता का कारण, जैसा कि संबंधित विभाग द्वारा प्रतिवेदित किया गया था, नीचे उल्लेख किये गये हैं:

मुद्रांक शुल्क एवं निबन्धन फीस : इस कमी (34.99 प्रतिशत) का कारण निबंधन हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों की संख्या में कमी को ठहराया गया।

वाहनों पर कर : यह कमी (48.18 प्रतिशत) कर के दरों में कमी के कारण हुई।

विद्युत पर कर एवं शुल्क : यह वृद्धि (420.63 प्रतिशत) विद्युत शुल्क के अन्तर्गत बकायों के काफी संग्रहण के कारण हुई।

वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क : यह कमी (32.06 प्रतिशत) मनोरंजन कर के दर में 50 प्रतिशत की कटौती के कारण हुई।

माल एवं यात्रियों पर कर – स्थानीय क्षेत्रों में वस्तुओं के प्रवेश पर कर : इसमें वृद्धि (29.71 प्रतिशत) पावर ग्रीड कॉरपोरेशन एवं टेलीकॉम कंपनियों द्वारा आधारभूत संरचना हेतु अनुसूचित मालों के आयात तथा कच्चे तेल के दामों में बढ़ोतरी के कारण हुई।

अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग : इसमें वृद्धि (34.37 प्रतिशत) का कारण कार्य विभागों द्वारा अधिक कार्य का किया जाना तथा बालू एवं पत्थर खादानों के नीलाम से प्राप्तियों में वृद्धि को ठहराया गया।

माँगे जाने (जून 2007) के बावजूद अन्य विभाग भिन्नता का कारण सूचित नहीं किये थे (नवम्बर 2007)।

1.3 संग्रहण की लागत

वर्ष 2004–05 से 2006–07 तक की अवधि में मुख्य राजस्व प्राप्तियों का सकल संग्रहण, उस संग्रहण पर किया गया व्यय तथा सकल संग्रहण से ऐसे व्यय की प्रतिशतता के साथ–साथ वर्ष 2005–06 के लिये सकल संग्रहण पर व्यय से सम्बन्धित अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता नीचे दर्शायी गई है :

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	राजस्व शीर्ष	वर्ष	सकल संग्रहण	संग्रहण पर व्यय	सकल संग्रहण से व्यय की प्रतिशतता	वर्ष 2005–06 के लिये अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	2004–05	1,890.54	21.46	1.14	0.91
		2005–06	1,733.60	25.47	1.47	
		2006–07	2081.49	27.30	1.31	
2.	राज्य उत्पाद	2004–05	272.47	16.19	5.94	3.40
		2005–06	318.59	14.78	4.64	
		2006–07	381.93	18.31	4.79	
3.	मुद्रांक शुल्क एवं निबन्धन फीस	2004–05	429.14	22.02	5.13	2.87
		2005–06	505.29	22.48	4.45	
		2006–07	455.02	36.86	8.10	
4.	वाहनों पर कर	2004–05	212.78	3.85	1.81	2.67
		2005–06	302.44	5.09	1.68	
		2006–07	181.38	6.03	3.32	

उपर्युक्त तालिका यह दर्शाता है कि बिक्री, व्यापार आदि पर कर, राज्य उत्पाद, मुद्रांक तथा निबन्धन फीस एवं वाहनों पर कर के संग्रहण पर किये गये व्यय की प्रतिशतता, अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता से अधिक थी, जिसे सरकार को देखने की आवश्यकता है।

1.4 संग्रहण का विश्लेषण

कर निर्धारण के पूर्व तथा नियमित कर निर्धारण के बाद वर्ष 2006–07 की अवधि में बिक्री, व्यापार आदि पर कर के कुल संग्रहण का ब्योरा तथा वित्त (वाणिज्य कर) विभाग द्वारा प्रस्तुत विगत चार वर्षों के तदनुरूपी आँकड़े नीचे दिये गये हैं :

(करोड़ रुपये में)

राजस्व शीर्ष	वर्ष	कर निर्धारण के पूर्व संग्रहित राशि	नियमित कर निर्धारण के बाद संग्रहित राशि	कर एवं शुल्क के भुगतान में विलम्ब के लिये अर्थदण्ड	वापस की गई राशि	विभाग के अनुसार कुल संग्रहण	वित्त लेखे के अनुसार कुल संग्रहण	कॉलम 8 से कॉलम 3 की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7	8	9
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	2002–03	1,584.73	111.43	0.82	3.16	1,693.82	1,647.62	96.18
	2003–04	1,542.98	91.72	1.01	4.17	1,630.53	1,637.23	94.24
	2004–05	1,809.59	78.79	1.37	9.18	1,879.20	1,890.54	95.72
	2005–06	1664.13	69.92	0.89	17.36	1,716.70	1733.60	95.99
	2006–07	2,002.62	81.25	2.81	11.96	2,071.92	2,081.49	96.21

इस प्रकार, बिक्री, व्यापार आदि पर कर के मामले में नियमित कर निर्धारण से पूर्व कर संग्रहण की प्रतिशतता 95.99 प्रतिशत से बढ़कर 96.21 प्रतिशत हुआ, जो अधिनियमों एवं नियमों के प्रावधानों का स्वेच्छा से अनुपालन में सुधार को दर्शाता है।

1.5 राजस्व के बकायों का विश्लेषण

विभागों द्वारा प्रतिवेदित प्रमुख शीर्षों से संबंधित 31 मार्च 2007 को बकाया राजस्व 1,477.01 करोड़ रुपये था, जिसमें से 458.32 करोड़ रुपये पाँच वर्षों से अधिक समय से लम्बित थे, जिसका ब्यौरा नीचे की तालिका में उल्लेख किया गया है :

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2007 को बकाया राशि	31 मार्च 2007 को पाँच वर्षों से अधिक पुराना बकाया राशि	अभ्युक्तियाँ
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	942.66	429.65	942.66 करोड़ रुपये में से 299.40 करोड़ रुपये की माँग की वसूली के लिए बकाए भू–राजस्व के रूप में नीलामवाद दायर किये गये। 345.14 करोड़ रुपये एवं 9.60 करोड़ रुपये की वसूली पर क्रमशः न्यायालय तथा सरकार द्वारा रोक लगाई गई। 7.82 करोड़ रुपये की वसूली आवेदन के भूल सुधार/पुर्नविचार के कारण रोकी गई। शेष 280.70 करोड़ रुपये के बकाए के संबंध में की गई कार्रवाई की माँग (जून एवं जुलाई 2007) किये जाने के बावजूद सूचित नहीं किये गये (नवम्बर 2007)।

2.	वाहनों पर कर	140.38[2]	अनुपलब्ध	140.38 करोड़ रुपये में से 106.79 करोड़ रुपये की मांग की वसूली के लिये बकाये भू–राजस्व के रूप में नीलामवाद दायर किये गये। शेष 33.59 करोड़ रुपये के बकाये के सम्बन्ध में की गई कार्रवाई की माँग (जून एवं जुलाई 2007) किये जाने के बावजूद सूचित नहीं किये गये (नवम्बर 2007)।
3.	भू–राजस्व	124.71	अनुपलब्ध	संग्रहण के लिये लम्बित रहने वाले बकायों की स्थितियों की माँग (जून एवं जुलाई 2007) किये जाने के बावजूद सूचित नहीं किये गये (नवम्बर 2007)।
4.	राज्य उत्पाद	17.31[3]	5.23	17.31 करोड़ रुपये में से 10.71 करोड़ रुपये की मांग की वसूली के लिये बकाये भू–राजस्व के रूप में नीलामवाद दायर किये गये। 1.93 करोड़ रुपये एवं 15 लाख रुपये की वसूली पर क्रमशः न्यायालय तथा सरकार द्वारा रोक लगायी गयी थी। 20 लाख रुपये की वसूली आवेदन के भूलसुधार/पुर्नविचार के कारण रोकी गई। 20 लाख रुपये अपलेखन योग्य था। शेष 4.12 करोड़ रुपये के बकाये के संबंध में की गई कार्रवाई की माँग (जून एवं जुलाई 2007) किये जाने के बावजूद सूचित नहीं किये गये (नवम्बर 2007)।
5.	विद्युत पर कर तथा शुल्क	16.35	10.35	बकाये के सम्बन्ध में की गई कार्रवाई की माँग (जून एवं जुलाई 2007) किये जाने के बावजूद सूचित नहीं किये गये (नवम्बर 2007)।
6.	प्रवेश कर	31.67	10.49	31.67 करोड़ रुपये में से 17 लाख रुपये की मांग की वसूली के लिये बकाये भू–राजस्व के रूप में नीलामवाद दायर किये गये। 15.69 करोड़ रुपये की वसूली न्यायालय द्वारा रोकी गई। शेष 15.81 करोड़ रुपये के बकाये के संबंध में की गई कार्रवाई की माँग (जून एवं जुलाई 2007) किये जाने के बावजूद सूचित नहीं किये गये (नवम्बर 2007)।
7.	मनोरंजन कर	3.49	1.94	3.49 करोड़ रुपये में से 1.97 करोड़ रुपये की मांग की वसूली के लिये बकाये भू–राजस्व के रूप में नीलामवाद दायर किये गये। 93 लाख रुपये की वसूली न्यायालय द्वारा रोकी गई। शेष 59 लाख रुपये के बकाये के संबंध में की गयी कार्रवाई की माँग (जून एवं जुलाई 2007) किये जाने के बावजूद सूचित नहीं किये गये (नवम्बर 2007)।
8.	ईख पर कर	15.34	0.66	15.34 करोड़ रुपये में से 3.50 करोड़ रुपये की मांग की वसूली के लिये बकाये भू–राजस्व के रूप में नीलामवाद दायर किये गये। 13 लाख रुपये और 10.89 करोड़ रुपये की वसूली पर क्रमशः न्यायालय और सरकार द्वारा रोक लगायी थी। शेष 82 लाख रुपये के बकाये के संबंध में की गयी कार्रवाई की माँग (जून एवं जुलाई 2007) किये जाने के बावजूद सूचित नहीं किये गये (नवम्बर 2007)।
9.	जल दर	185.10	अनुपलब्ध	संग्रहण के लिये लम्बित रहने वाले बकायों की स्थितियों की माँग (जून एवं जुलाई 2007) किये जाने के बावजूद सूचित नहीं किये गये (नवम्बर 2007)।
कुल		1,477.01	458.32	

---

2 अररिया, औरंगाबाद, बाँका, बेतिया, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, गया, गोपालगंज, जहानाबाद, जमुई, कैमूर, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी, मोतिहारी,, पूर्णिया, सहरसा, शिवहर, सीतामढ़ी,, सीवान, सुपौल तथा वैशाली जिला परिवहन कार्यालयों के बकाये की राशि, प्रतिवेदनों की अनुपलब्धता के कारण नीलामवाद मामलों पर आधारित हैं।

3 बकाये की राशि में बेगूसराय, पूर्वी चम्पारण, जमुई, लखीसराय, सहरसा, शिवहर, सुपौल, पश्चिमी चम्पारण जिला उत्पाद कार्यालयों तथा नरकटियागंज डिस्टीलरी के आँकड़ें सम्मिलित नहीं हैं।

वर्ष 2006–07 के अन्त में अन्य विभागों से राजस्व के बकायों की स्थितियों की माँग (जून एवं जुलाई 2007) किये जाने के बावजूद विभागों द्वारा नहीं दिये गये (नवम्बर 2007)।

1.6 बिक्री कर के निर्धारण में बकाये मामले

वर्ष 2002–03 से 2006–07 की अवधि में, वर्ष के प्रारम्भ में बिक्री कर निर्धारण सम्बन्धी लम्बित मामले, वर्ष के दौरान कर निर्धारण योग्य मामले, वर्ष की अवधि में निष्पादित मामले और प्रत्येक वर्ष के अन्त में लम्बित मामलों की संख्या का विवरण, जैसा कि विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया, नीचे दिये गये है:

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान कर निर्धारण योग्य नये मामले	कुल	वर्ष के दौरान निष्पादित मामले	वर्ष के अन्त में शेष	कॉलम 4 से कॉलम 6 की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7
2002–03	1,97,638	69,069	2,66,707	58,495	2,08,212	78
2003–04	2,08,212	66,398	2,74,610	49,202	2,25,408	82
2004–05	2,25,408	69,914	2,95,332	75,582	2,19,750	74
2005–06	2,19,750	65,917	2,85,667	64,944	2,20,723	77
2006–07	2,20,723	20,193	2,40,916	33,280	2,07,636	86

वर्ष 2005–06 की तुलना में वर्ष 2006–07 के दौरान कर निर्धारण हेतु नये मामले तथा वर्ष के दौरान निष्पादित मामलों की संख्या में कमी का कारण 2.50 लाख रुपये वार्षिक कर देयता वाले व्यवसायियों को विभाग द्वारा स्व–कर निर्धारित मान लिया जाना था।

1.7 कर का अपवंचन

विभागों द्वारा पता लगाये गये कर अपवंचन के मामले, निष्पादित मामले एवं सृजित माँग जैसा कि संबंधित विभागों द्वारा प्रतिवेदित थे, नीचे दिये गये है:

क्रम सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2006 को बकाये मामले	वर्ष 2006–07 के दौरान पता लगाये गये मामले	योग	उन मामलों की सं. जिनका निर्धारण/अनुसंधान पूरा किया गया तथा वर्ष 2006–07 के दौरान अर्थदण्ड इत्यादि सहित सृजित अतिरिक्त माँग		31 मार्च 2007 तक बकाये मामलों की संख्या
					मामलों की सं.	माँग की गई राशि (लाख रुपये में)	
1	बिक्री, व्यापर आदि पर कर, वस्तुओं और यात्रियों के प्रवेश पर कर, विद्युत पर कर एवं शुल्क तथा सामानों तथा सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	122	131	253	148	48.58	105
2	राज्य उत्पाद	2	-	2	-	-	2

इस प्रकार, वाणिज्यकर विभाग मात्र 148 मामलों का अंतिम निपटारा कर सका, जो कुल निपटारा की जाने वाली बकाये मामलों का 58.50 प्रतिशत है, जबकि राज्य उत्पाद विभाग वर्ष 2006–07 के दौरान एक भी मामला, जो कि 31 मार्च 2006 को निपटारा हेतु बकाये थे, का निपटारा नहीं कर सका।

1.8 वापसी

वर्ष 2006–07 के आरम्भ में वापसी से सम्बन्धित लम्बित मामलों की संख्या, वर्ष की अवधि में प्राप्त दावे, वर्ष के दौरान की गई वापसी तथा वर्ष के अन्त में (मार्च 2007) लम्बित मामले, जैसा कि विभागों द्वारा सूचित किये गये थे, नीचे दिए गए हैं:

(करोड़ रुपये में)

क्र० सं०	ब्योरे	बिक्री कर		स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर		अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	
		मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
1.	वर्ष के आरम्भ में बकाया दावे	2,384	15.42	5	0.20	–	–
2.	वर्ष की अवधि में प्राप्त दावे	197	13.57	6	2.40	1	0.32
3.	वर्ष की अवधि में की गई वापसी	117	11.96	6	2.40	1	0.32
4.	वर्ष के अन्त में बकाया शेष	2,464	17.03	5	0.20	–	–

1.9 आन्तरिक लेखापरीक्षा

आंतरिक लेखापरीक्षा, आंतरिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण भाग है, जो संगठन को स्वयं निश्चित कराता है कि विहित प्रणालियाँ सुचारू रूप से कार्यशील हैं।

वित्त अंकेक्षण विभाग के संकलित मैनुअल[4] तथा परिपत्र (1953) के अनुसार सरकारी विभागों के आंतरिक लेखापरीक्षा संगठन, वित्त विभाग के अधीन केन्द्रित थे। जैसा कि वित्त विभाग ने सूचित (नवम्बर 2007) किया, बिहार सरकार के विभिन्न कार्यालयों की आन्तरिक लेखापरीक्षा संबद्ध कार्यालयों के प्रशासनिक विभाग द्वारा प्राप्त अधियाचना के आधार पर किया जाता है। विभाग ने यह भी बताया कि कर्मियों के अभाव के कारण आंतरिक लेखापरीक्षा में कमी हुई। हालाँकि विभाग ने लेखापरीक्षा की जाने वाली कार्यालयों की संख्या, लेखापरीक्षा की गई कार्यालयों की संख्या, निर्गत अवलोकनों की संख्या तथा सन्निहित राशि की अद्यतन सूचना माँगे जाने के बावजूद भी उपलब्ध नहीं कराया। यह संसूचित करता है कि आंतरिक लेखापरीक्षा अपने महत्व के अनुरूप नहीं है, जिसके लिये यह योग्य है तथा अप्रभावकारी है।

1.10 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2006–07 की अवधि में बिक्री कर, राज्य उत्पाद, मोटर वाहनों पर कर, मुद्रांक तथा निबन्धन फीस, विद्युत शुल्क, अन्य कर प्राप्तियाँ, वन प्राप्तियाँ, ब्याज प्राप्तियाँ तथा अन्य कर भिन्न प्राप्तियों के अभिलेखों की नमूना जाँच से 4,643 मामलों में निहित 607.01 करोड़ रुपये के राजस्व के अवनिर्धारण/कम उद्ग्रहण/हानि का पता चला। वर्ष

---

4 समय समय पर निर्गत महत्वपूर्ण सरकारी अनुदेशों का संकलन।

2006–07 के दौरान, सम्बन्धित विभागों ने 746 मामलों में सन्निहित 237.82 करोड़ रुपये का अवनिर्धारण एवं अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया। सम्बन्धित विभागों ने 82 लाख रुपये की वसूली भी प्रतिवेदित किया है।

इस प्रतिवेदन में कर, शुल्क, ब्याज एवं अर्थदण्ड आदि के उद्ग्रहण नहीं किये जाने/कम उद्ग्रहण से सम्बन्धित एक समीक्षा सहित 33 कंडिकाएँ हैं, जिनमें 206.42 करोड़ रुपये सन्निहित हैं। विभागों/सरकार ने 12 कंडिकाओं से सम्बन्धित 19 मामलों में सन्निहित 61.40 करोड़ रुपये की लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया है। अन्य मामलों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2007)।

1.11 लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा अवलोकन

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार, लेन–देन की नमूना जाँच एवं निर्धारित नियमों तथा प्रक्रियाओं के अनुसार महत्त्वपूर्ण लेखाओं एवं अन्य अभिलेखों के संधारण की जाँच हेतु सरकारी विभागों का आवधिक निरीक्षण करता हैं। उन निरीक्षणों को निरीक्षण प्रतिवेदनों (नि. प्र.) के रूप में, जिनमें निरीक्षण के दौरान पता लगाई गयी तथा स्थल पर समाधानित नहीं की जा सकी अनियमितताओं को सम्मिलित करते हुए, निरीक्षित कार्यालयों के प्रमुखों एवं अगले उच्चतर प्राधिकारियों को शीघ्र सुधारात्मक कारवाई करने हेतु प्रतियाँ भेजी जाती है। कार्यालय प्रमुखों/सरकार द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित अवलोकनों का अनुपालन तथा त्रुटियों और चूकों का शीघ्र सुधार किया जाना और निरीक्षण प्रतिवेदनों के जारी किये जाने की तिथि से एक महीने के अन्दर प्रधान महालेखाकार को प्राथमिक उत्तर के माध्यम से अनुपालन रिपोर्ट भेजा जाना अपेक्षित है। गम्भीर वित्तीय अनियमितताएँ विभागों के अध्यक्षों तथा सरकार को प्रतिवेदित की जाती हैं।

दिसम्बर 2006 तक जारी किये गये निरीक्षण प्रतिवेदनों से स्पष्ट था कि जून 2007 के अन्त तक 3,126 निरीक्षण प्रतिवेदनों से सम्बन्धित 3,273.56 करोड़ रुपये से सन्निहित 16,835 कंडिकाएँ लम्बित थीं, जैसा कि विगत दो वर्षों के सदृश आंकड़ों के साथ नीचे दी गई है :

	जून 2005	जून 2006	जून 2007
बकाये निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	8,275	2,823	3,126
बकाये लेखापरीक्षा अवलोकनों की संख्या	34,331	15,324	16,835
सन्निहित राशि (करोड़ रुपये में)	3,780.24	2,628.21	3,273.56

30 जून 2007 तक बकाये निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं लेखापरीक्षा अवलोकनों की विभागावार विवरणी तथा सन्निहित राशि नीचे दी गई है :

क्रम सं0	विभाग	प्राप्तियों की प्रकृति	बकाये निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	बकाये लेखापरीक्षा अवलोकनों की संख्या	सन्निहित राशि (करोड़ रुपये में)
1.	वित्त	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	408	4,158	647.60
		प्रवेश कर	80	152	21.14
		विद्युत शुल्क	20	23	16.69
		मनोरंजन एवं विलासिता कर आदि	12	17	0.52
2.	उत्पाद	राज्य उत्पाद	263	1,504	294.53
3.	राजस्व	भू–राजस्व	1,297	5,614	533.46

4.	परिवहन	वाहनों पर कर	264	2,074	679.86
5.	मुद्रांक एवं निबन्धन	मुद्रांक एवं निबन्धन फीस	318	888	82.45
6.	खनन एवं भूतत्व	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	172	1,278	368.08
7.	वन एवं पर्यावरण	वानिकी एवं वन्य जीव	81	356	160.93
8.	जल संसाधन	जल दर	155	627	416.04
9.	ईख	ईख	56	144	52.26
कुल			3,126	16,835	3,273.56

यहाँ तक की दिसम्बर 2006 तक निर्गत किये गये 2,237 निरीक्षण प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में प्राथमिक उत्तर, जिन्हें निरीक्षण प्रतिवेदन जारी होने के एक माह के अन्दर प्राप्त किया जाना अपेक्षित था, कार्यालयाध्यक्षों से प्राप्त नहीं हुए थे। उत्तरों की अप्राप्ति के कारण निरीक्षण प्रतिवेदनों का यह वृहद विलम्बन, निरीक्षण प्रतिवेदन में प्रधान महालेखाकार द्वारा इंगित की गयी गलतियों, चूकों एवं अनियमितताओं को सुधारने की कार्रवाई प्रारम्भ करने में कार्यालयाध्यक्षों तथा विभागाध्यक्षों की विफलता का सूचक है।

यह अनुशंसा की जाती है कि लेखापरीक्षा अवलोकनों के शीघ्र एवं उपयुक्त उत्तर भेजने के साथ–साथ निर्धारित समय सारणी के अनुसार नि. प्र./कंडिकाओं के उत्तर भेजने तथा समयबद्ध तरीके से हानि/बकाया माँग वसूल करने में विफल रहे कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई करने हेतु सरकार एक प्रभावकारी प्रक्रिया की स्थापना के लिये उपयुक्त कदम उठाये।

1.12 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

निरीक्षण प्रतिवेदनों में समाविष्ट बकाया लेखापरीक्षा अवलोकनों का शीघ्र निबटारा करने के उद्देश्य से सरकार ने विभागीय लेखापरीक्षा समितियों का गठन किया। इन समितियों की अध्यक्षता सम्बन्धित विभाग के प्रशासनिक सचिव करते हैं तथा जिसमें अन्य के साथ–साथ राज्य सरकार एवं प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय के सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित होते हैं।

लेखापरीक्षा अवलोकनों/कंडिकाओं के निबटारे की प्रगति का अनुश्रवण तथा समीक्षा करने हेतु त्रैमासिक बैठकों का आयोजन किया जाना अपेक्षित है। वर्ष 2006–07 की अवधि में लेखापरीक्षा समिति की एक भी बैठक आयोजित नहीं की गई थी। सरकार/विभागों ने इस बैठक के माध्यम से लम्बित लेखापरीक्षा अवलोकनों का निबटारा करने के लिए कोई भी पहल नहीं की। प्रभावकारी प्रगति हेतु सरकार को इस समिति की आवधिक बैठकें सुनिश्चित करनी चाहिए।

1.13 प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकाओं के प्रति विभागों की प्रतिक्रिया

वित्त विभाग ने सभी विभागों को निर्देश जारी किया था कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में समावेशित किये जाने हेतु प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर अपने उत्तर छः सप्ताह के अन्दर भेजे। प्रधान महालेखाकार द्वारा प्रारूप कंडिकाओं को अर्धशासकीय पत्रों के माध्यम से सम्बन्धित विभागों के सचिवों को, लेखापरीक्षा अवलोकनों की ओर उनका ध्यान आकर्षित करते हुए तथा छः सप्ताह के भीतर उनका उत्तर भेजने हेतु अनुरोध करते हुए अग्रसारित किया जाता है। विभागों से उत्तर की अप्राप्ति के तथ्यों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित प्रत्येक कंडिका के अन्त में निरपवाद रूप से दर्शाया जाता है।

31 मार्च 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित एक समीक्षा सहित 33 प्रारूप कंडिकाएँ, सम्बन्धित विभागों के

सचिवों को मई और अगस्त 2007 के बीच अर्धशासकीय पत्रों के माध्यम से अग्रसारित किये गये थे।

विभिन्न विभागों के सचिवों ने एक समीक्षा का आंशिक उत्तर प्रेषित किया जबकि 23 प्रारूप कंडिकाओं के उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं। अतः विभाग/सरकार के उत्तर के बिना इस प्रतिवेदन में 23 प्रारूप कंडिकाएँ सम्मिलित की गई हैं।

1.14 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर कार्यवाही

सरकारी विभागों को लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर विस्तृत व्याख्या (विभागीय टिप्पणी) तैयार करना है तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को विधानसभा के पटल पर रखे जाने के तीन महीने के अन्दर लोक लेखा समिति को भेजी जानी है।

समीक्षा से पता चला कि सितम्बर 2007 तक 13 विभागों द्वारा वर्ष 1990–91 एवं 2004–05 के बीच के वर्षों के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित 232 कंडिकाओं के संबंध में विभागीय टिप्पणी पुनरीक्षण हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया। विलम्ब की अवधि 15 महीने से लेकर 13 वर्षों से अधिक तक थी, जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है:

क्रम सं.	विभाग	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	विधानमंडल में प्रस्तुतीकरण की तिथियाँ	विभागीय टिप्पणियों के भेजे जाने की अंतिम तिथि	कंडिकाओं की संख्या जो विभागीय टिप्पणियों के लिए बकाये थे	विलम्ब (माह में)
1.	राजस्व	1993-94, 2000-01 से 2004-05	दिसम्बर 1995, दिसम्बर 2003 से मार्च 2006	मार्च 1996, मार्च 2004 से जून 2006	19	15 से 138
2.	वित्त (वाणिज्यकर)	1990-91 से 2004-05	मार्च 1994 से मार्च 2006	जून 1994 से जून 2006	79	15 से 159
3.	वित्त	2003-04 से 2004-05	दिसम्बर 2005 से मार्च 2006	मार्च 2006 से जून 2006	2	15 से 30
4.	राज्य उत्पाद	1990-91 से 2004-05	मार्च 1994 से मार्च 2006	जून 1994 से जून 2006	53	15 से 159
5.	परिवहन	1996-97, 1998-99, 2000-01 से 2004-05	जुलाई 1998, जुलाई 2000, दिसम्बर 2003 से मार्च 2006	अक्तूबर 1998, अक्तूबर 2000, मार्च 2004 से जून 2006	17	15 से 107
6.	खनन एवं भूतत्व	2000-01 से 2004-05	दिसम्बर 2003 से मार्च 2006	मार्च 2004 से जून 2006	15	15 से 42
7.	वन एवं पर्यावरण	2000-01 से 2004-05	दिसम्बर 2003 से मार्च 2006	मार्च 2004 से जून 2006	11	15 से 42
8.	जल संसाधन	1994-95 से 1998-99, 2000-01, 2002-03 से 2004-05	जुलाई 1996 से जुलाई 2000, दिसम्बर 2003, दिसम्बर 2004 से मार्च 2006	अक्तूबर 1996 से अक्तूबर 2000, मार्च 2004, मार्च 2005 से जून 2006	13	15 से 131
9.	निबंधन	1996-97, 2000-01, 2002-03 से 2003-04	जुलाई 1998, दिसम्बर 2003, दिसम्बर 2004 से दिसम्बर 2005	अक्तूबर 1998, मार्च 2004, मार्च 2005 से मार्च 2006	5	18 से 107

10.	ईख	1990-91 से 2000-01	मार्च 1994 से दिसम्बर 2003	जून 1994 से मार्च 2004	14	42 से 159
11.	गृह (पुलिस)	1998-99	जुलाई 2000	अक्तूबर 2001	1	83
12.	सहकारिता	2004-05	मार्च 2006	जून 2006	2	15
13.	शहरी विकास	1997-98	अगस्त 1999	नवम्बर 1999	1	94
कुल					232	

इस प्रकार, लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उठाये गये महत्वपूर्ण मुद्दों, जिसमें अवसूलित राजस्व की काफी राशि सन्निहित थी, पर त्वरित कार्रवाई करने में कार्यपालिका विफल रही।

1.15 स्वीकृत मामलों के राजस्व की वसूली

वर्ष 2001–02 एवं 2005–06 के बीच विभाग/सरकार ने 84.71 करोड़ रुपये से सन्निहित लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया, जिसमें से 31 मार्च 2007 तक मात्र 1.93 करोड़ रुपये की ही वसूली हुई थी, जैसा कि नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपये में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सन्निहित राशि	स्वीकृत राशि	की गई वसूली
2001–02	273.55	..	उपलब्ध नहीं कराया गया
2002–03	175.15	0.48	वही
2003–04	1,117.71	19.53	वही
2004–05	176.92	56.63	0.67
2005–06	304.68	8.07	1.26
कुल	**2,048.01**	**84.71**	**1.93**

संबद्ध विभागों ने माँगे जाने (जून 2007) के बावजूद अद्यतन वसूली सूचित नहीं किये (नवम्बर 2007)।

अध्याय–II : बिक्री, व्यापार आदि पर कर

2.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2006–07 के दौरान विभिन्न वाणिज्यकर अंचलों में बिक्री कर निर्धारण एवं वापसी सम्बन्धी अभिलेखों की नमूना जाँच से 365 मामलों में 62.82 करोड़ रुपये से सन्निहित कर का अवनिर्धारण तथा अन्य त्रुटियों का पता चला जो सामान्यतः निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं :

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि
1.	कर का नहीं/कम लगाया जाना	98	32.86
2.	कर से छूट की अनियमित अनुमति	56	14.25
3.	बिक्री राशि के गलत निर्धारण के कारण कम कर लगाया जाना	100	10.86
4.	अर्थदण्ड का नहीं लगाया जाना	18	1.26
5.	गलत दरों से कर का लगाया जाना	11	0.88
6.	कर के अधिक संग्रहण पर अर्थदण्ड का नहीं लगाया जाना/संगणना में भूल	3	0.37
7.	कर के रियायती दर की अनियमित अनुमति	17	0.25
8.	अतिरिक्त कर एवं अधिभार का नहीं/कम लगाया जाना	14	0.13
9.	अन्य मामले	48	1.96
कुल		365	62.82

वर्ष 2006–07 के दौरान विभाग ने 76 मामलों में 2.12 करोड़ रुपये के अवनिर्धारण एवं अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया, जिसमें से 65 लाख रुपये से सन्निहित 10 मामले वर्ष 2006–07 के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में बताये गये थे।

दृष्टान्तस्वरूप कुछ मामले जिनमें 44.80 करोड़ रुपये सन्निहित हैं, जो महत्वपूर्ण अवलोकनों को उजागर करते हैं, निम्नलिखित कंडिकाओं में विवर्णित हैं :

2.2 बिक्री राशि का गलत निर्धारण

2.2.1 बिहार वित्त अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत बिक्री राशि का अर्थ, मालों की बिक्री या आपूर्ति से सम्बन्धित किसी व्यवसायी को मूल्यवान प्रतिफल के रूप में भुगतेय राशि है। न्याय निर्णय[1] भी दिया गया है कि सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद या राज्य उत्पाद नियमों के अन्तर्गत भुगतान किया गया शुल्क या कर, बिक्री राशि का अभिन्न भाग होगा, चाहे उसे अलग से प्रभारित किया गया हो अथवा नहीं तथा या तो बिक्रेता द्वारा बिक्री राशि के साथ अथवा उसके बाद की तिथि में वसूलनीय हो।

2.2.1.1 विशेष अंचल, पटना में नवम्बर 2006 में पाया गया कि पेट्रोलियम उत्पाद के एक व्यवसायी ने वर्ष 2001–02 में नेपाल को किये गये निर्यात बिक्री के मद में 448.73 करोड़ रुपये के छूट का दावा किया। मार्च 2006 में कर निर्धारण पूरा करते समय निर्धारण प्राधिकारी ने बिल ऑफ एक्सपोर्ट के अभाव में निर्यात बिक्री के दावे को अस्वीकृत कर दिया तथा इसे राज्य के अन्दर बिक्री मानते हुए राज्य में लागू दर पर कर लगाया। हालाँकि, अस्वीकृत दावे पर 125 करोड़ रुपये के उत्पाद शुल्क को बिक्री राशि में सम्मिलित नहीं किया गया जिसके फलस्वरूप अतिरिक्त कर तथा अधिभार सहित 21.87 करोड़ रुपये का कम करारोपण हुआ।

2.2.1.2 विशेष अंचल, पटना में नवम्बर 2006 में देखा गया कि एक व्यवसायी के मामले में निर्धारण प्राधिकारी ने 161.87 करोड़ रुपये के उत्पाद शुल्क को शामिल करते हुए करयोग्य बिक्री राशि का निर्धारण किया तथा वर्ष 2001–02 की अवधि के लिये मार्च 2006 में कर निर्धारण पूरा किया। हालाँकि पेट्रोलियम उत्पाद पर सही दर लगाये जाने पर उत्पाद शुल्क की वास्तविक राशि 193.84 करोड़ रुपये थी। इस प्रकार, कर योग्य बिक्री राशि का निर्धारण 31.97 करोड़ रुपये से कम हुआ, जिसके फलस्वरूप अतिरिक्त कर एवं अधिभार सहित 90.85 लाख रुपये के कर का अवनिर्धारण हुआ।

मामले इंगित किए जाने पर निर्धारण प्राधिकारी ने नवम्बर 2006 में बतलाया कि मामले की जाँच की जायेगी। आगे उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2007)।

2.2.2 बिहार वित्त अधिनियम के अन्तर्गत किसी व्यवसायी का सकल बिक्री राशि, कार्य संविदा के कार्यान्वयन हेतु प्राप्त या प्राप्य सकल राशि अथवा किसी दिये गये अवधि के दौरान किसी भी प्रयोजन हेतु किसी वस्तु के उपयोग के अधिकार के स्थानान्तरण सहित कुल बिक्री मूल्य का योग होगा।

वाणिज्यकर अंचल, सासाराम में जून 2006 में यह पाया गया कि पथ निर्माण कार्य से जुड़े एक व्यवसायी का वर्ष 2002–03 एवं 2003–04 का कर निर्धारण जून 2005 में करते समय निर्धारण प्राधिकारी ने 1.78 करोड़ रुपये के कच्चे मालों के मूल्य को सकल बिक्री राशि में सम्मिलित नहीं किया। इसके फलस्वरूप 17.80 लाख रुपये के कर का कम आरोपण हुआ।

मामले इंगित किए जाने पर निर्धारण प्राधिकारी ने जून 2006 में बतलाया कि मामले की जाँच की जायेगी। आगे उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2007)।

मामले सरकार को जनवरी एवं जून 2007 के बीच प्रतिवेदित किये गये थे; उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2007)।

2.3 केन्द्रीय बिक्री कर का अवनिर्धारण

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 8(5) के प्रावधान के अन्तर्गत बिहार सरकार ने जून 1986 में एक अधिसूचना जारी कर जूट के अन्तर्राज्यीय बिक्री पर बिक्री

1 हिन्दुस्तान सुगर मिल्स बनाम राजस्थान राज्य (1978) 43 एस0 टी0 सी0 13 एस0 सी0; के0 एल0 जोहार एण्ड कम्पनी. बनाम केरल राज्य (1972) 30 एस0 टी0 सी0 394 केरल

कर के दर को घटाकर चार से तीन प्रतिशत कर दिया। केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के इसी धारा के अधीन मई 1996 में एक दूसरी अधिसूचना जारी कर औद्योगिक इकाइयों को विनिर्मित आयरन एवं स्टील के अन्तर्राज्यीय बिक्री पर बिक्री कर से छूट की स्वीकृति प्रदान की गई। पुनः मई 2002 में संशोधित केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत अन्तर्राज्यीय बिक्री पर छूट की स्वीकृति/कम दर पर कर लगाये जाने की अनुमति देने के समय प्रपत्र 'सी' प्रस्तुत करना अनिवार्य है। प्रपत्र 'सी' में घोषणा प्रस्तुत करने में विफल रहने पर घोषित वस्तुओं[2] के मामलों में राज्य में लागू दर की दुगुनी तथा घोषित वस्तुओं को छोड़कर अन्य वस्तुओं के मामले में 10 प्रतिशत अथवा राज्य में लागू दर, जो भी अधिक हो, के दर पर कर आरोप्य है।

2.3.1 विशेष अंचल, पटना की अभिलेखों की नवम्बर 2006 में नमूना जाँच के दौरान यह देखा गया कि एक व्यवसायी ने निर्धारण वर्ष 2000–01 एवं 2001–02 के दौरान 1,483.63 करोड़ रुपये मूल्य के पेट्रोलियम उत्पाद के अन्तर्राज्यीय बिक्री पर रियायती दर से कर का दावा किया था। निर्धारण प्राधिकारी ने मार्च 2005 और मार्च 2006 के बीच कर निर्धारण पूरा करते समय रियायती दर पर कर आरोपित किया, जबकि 72.33 करोड़ रुपये की बिक्री विहित घोषणा प्रपत्र 'सी' से समर्थित नहीं था। इसके फलस्वरूप अतिरिक्त कर तथा अधिभार सहित 9.64 करोड़ रुपये के कर का अवनिर्धारण हुआ।

मामले इंगित किए जाने पर निर्धारण प्राधिकारी ने नवम्बर 2006 में बतलाया कि मामले की जाँच की जायेगी। आगे उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2007)।

2.3.2 दो वाणिज्यकर अंचलों[3] में जून एवं अगस्त 2006 के बीच यह पाया गया कि दो व्यवसायियों ने कर निर्धारण वर्ष 2002–03 एवं 2003–04 के दौरान 18.37 करोड़ रुपये के आयरन एवं स्टील तथा जूट की अन्तर्राज्यीय बिक्री पर छूट/घटे हुए दर पर कर के भुगतान का दावा किया था। निर्धारण प्राधिकारी ने फरवरी 2004 एवं मई 2005 के बीच कर निर्धारण पूरा करते समय इस छूट/घटे दर पर कर के भुगतान को स्वीकृत कर दिया, यद्यपि यह बिक्री प्रपत्र 'सी' में घोषणा द्वारा समर्थित नहीं था। इसके परिणामस्वरूप 1.30 करोड़ रुपये के कर का अवनिर्धारण हुआ।

मामला इंगित किए जाने पर निर्धारण प्राधिकारियों ने जुलाई एवं सितम्बर 2006 के बीच बतलाया कि मामले की जाँच की जायेगी। आगे उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2007)।

2.3.3 बिहार वित्त अधिनियम तथा उसके अधीन बने नियमावली के साथ पठित केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत उन वस्तुओं के खरीद एवं बिक्री पर कर भुगतेय नहीं होगा, जो भारतीय क्षेत्र से बाहर निर्यात के क्रम में किये जाऐंगे, बशर्ते बिक्री दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा प्रमाणित हो। राज्य सरकार द्वारा मार्च 1986 एवं अगस्त 1991 में निर्गत आदेशों के अनुसार निर्यात के क्रम में नेपाल को किये गये बिक्री पर कर से छूट के लिए लेनदेन, अन्य साक्ष्यों के अलावा भारतीय सीमा शुल्क विभाग द्वारा प्रदान किये गये बिल ऑफ एक्सपोर्ट द्वारा अवश्य समर्थित होना चाहिए।

वाणिज्यकर अंचल, दानापुर के अभिलेखों की अगस्त 2006 में की गई नमूना जाँच में यह देखा गया कि वर्ष 2003–04 एवं 2004–05 के दौरान एक व्यवसायी के 49.83 लाख रुपये मूल्य के वस्तुओं का निर्यात बिक्री, यद्यपि भारतीय सीमा शुल्क विभाग द्वारा प्रदान किये गये बिल ऑफ एक्सपोर्ट जैसे विहित दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं था, फिर भी मई 2005 और जनवरी 2006 में कर निर्धारण पूरा करते समय निर्धारण

---

2 अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य में विशेष महत्व के वस्तुओं जैसा कि केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 14 में वर्णित है।

3 दानापुर एवं फारबिसगंज

प्राधिकारी ने उपरोक्त बिक्री को निर्यात बिक्री मानते हुए छूट की गलत अनुमति दी। इसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त कर तथा अधिभार सहित 4.98 लाख रुपये के कर का अवनिर्धारण हुआ।

मामला इंगित किए जाने पर निर्धारण प्राधिकारी ने सितम्बर 2006 में बतलाया कि मामले की समीक्षा की जायेगी। आगे उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2007)।

मामले सरकार को अप्रैल एवं जून 2007 के बीच प्रतिवेदित किये गये थे; उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2007)।

2.4 क्रय/विक्रय राशि का छिपाया जाना

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के साथ पठित बिहार वित्त अधिनियम के अन्तर्गत यदि विहित प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का ठोस कारण है कि व्यवसायी ने बिक्री राशि के ब्योरे को छिपाया या छोड़ा है या जानबूझकर प्रकट नहीं किया है अथवा ऐसी बिक्री राशि के लिए गलत विवरण दिया है, तो उक्त प्राधिकारी, वैसी बिक्री राशि पर व्यवसायी द्वारा देय कर की राशि का निर्धारण या पुनर्निर्धारण करेगा तथा छिपायी गई बिक्री राशि पर निर्धारित कर के अतिरिक्त अर्थदण्ड, जो छिपाये गये बिक्री राशि पर कर की राशि का अधिकतम तीन गुणा तथा कम से कम कर के समतुल्य राशि, भुगतान करने के लिये व्यवसायी को निर्देश देगा।

नवम्बर 2004 एवं नवम्बर 2006 के बीच 10 वाणिज्यकर अंचलों[4] में यह देखा गया कि 35 व्यवसायियों ने निर्धारण वर्ष 2001–02 से 2004–05 के दौरान 871.49 करोड़ रुपये के वस्तुओं का क्रय/विक्रय किया, जैसा कि उनके क्रय/विक्रय विवरणी, पथ अनुज्ञा पत्र उपयोगिता विवरणी तथा घोषणा पत्रों[5] के उपयोगिता विवरणियों तथा वाणिज्यकर आयुक्त, बिहार द्वारा उपलब्ध कराये गये आँकड़ों में दर्शाये गये थे, जबकि वे अपने व्यापार लेखा एवं विवरणियों में मात्र 823.80 करोड़ रुपये ही लेखापित किये थे। इस प्रकार, व्यवसायियों ने 47.69 करोड़ रुपये मूल्य के वस्तुओं के विक्रय/क्रय को छिपा लिया था। हालाँकि, मई 2003 और मई 2006 के बीच कर निर्धारण पूरा करते समय निर्धारण प्राधिकारी क्रय/विक्रय के छिपाव को पकड़ने में विफल रहे। इसके फलस्वरूप अतिरिक्त कर, अधिभार एवं न्यूनतम आरोप्य अर्थदण्ड सहित 8.04 करोड़ रुपये का कर कम आरोपित हुआ, जैसा कि नीचे उल्लेखित है:

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	अंचल का नाम व्यवसायियों की संख्या	कर निर्धारण की अवधि कर निर्धारण का माह/वर्ष	वस्तु	लागू दर (प्रतिशत)	वास्तविक खरीद खरीद लेखापित	वास्तविक बिक्री बिक्री लेखापित	छिपायी गई राशि	कर, अतिरिक्त कर एवं अधिभार की राशि अर्थदण्ड	कुल
1.	पाटलिपुत्र अंचल, पटना 6	2001–02 से 2004–05 11/03 एवं 3/06 के बीच	मोटर साईकिल	12	5,068.93 4,179.67	—	2,327.60	244.26 222.43	466.69
			फर्टिलाइजर	6	—	51,784.24 50,345.90			
			टायर एवं ट्यूब	9					
			गेहूँ उत्पाद	10					

4 आरा, औरंगाबाद, भागलपुर, बक्सर, दानापुर, हाजीपुर, जहानाबाद, पाटलीपुत्र अंचल, पटना, सासाराम एवं विशेष अंचल, पटना

5 सी, एफ, नौ एवं च

2.	दानापुर 4	2002–03 एवं 2003–04 1/05 एवं 5/05 के बीच	पी भी सी पाईप	8	918.56 602.18	---	532.83	85.06 77.79	162.85
			फोम	10					
			भारत निर्मित विदेशी शराब[6]	25	173.24 85.69	955.05 889.63			
			लौह छड़ एवं तार	4	---	265.63 202.14			
3.	विशेष अंचल, पटना 5	2003–04 एवं 2004–05 5/05 एवं 1/06 के बीच	जूता पॉलिश	8	21,947.18 21,606.52	---	340.66	36.60 33.42	70.02
			सीमेन्ट	11					
			दवा	8					
			लोहा एवं इस्पात	4					
4.	सासाराम 7	2001–02 से 2004–05 5/03 एवं 5/06 के बीच	लोहा एवं इस्पात	4	1,781.73 1,206.26	---	575.48	14.88 13.60	28.48
			सीमेन्ट	11					
			ट्रैक्टर एवं इसके कल पुर्जे	1 (अति. कर)					
			फर्टिलाइजर	1 (अति. कर)					
5.	हाजीपुर 4	2001–02 से 2003–04 11/04 एवं 3/06 के बीच	जी आई पाईप	4	2,116.38 1,553.12	---	574.47	13.44 12.89	26.33
			फर्टिलाइजर	1 (अति. कर)					
			अल्युमिनियम बर्तन	12					
			ब्रेड	4	---	227.13 265.92			
6.	औरंगाबाद 3	2002–03 एवं 2003–04 9/04 एवं 9/05 के बीच	फर्टिलाइजर	6	732.89 590.97	---	141.91	12.40 11.42	23.82
			कोयला	4					
			ट्रैक्टर	4					
			मोटर गाड़ी	12					
			मोटर कल पुर्जे	10					
7.	बक्सर 3	2001–02 से 2003–04 9/04 एवं 11/04	कोयला	4	178.16 शून्य	---	178.16	7.13 7.12	14.25
8.	आरा 1	2002–03 9/04	साबुन एवं डिटर्जेंट	12	---	859.98 830.00	29.99	4.33 3.93	8.26
9.	भागलपुर 1	2001–02 9/05	दूध उत्पाद	8	26.10 16.47	---	9.62	0.96 0.87	1.83
10.	जहानाबाद 1	2001–02 1/06	– वही –	1 (अति. कर)	64.37 5.70	---	58.67	0.64 0.59	1.23
	कुल				33,007.53 29,846.58	54,142.04 52,533.60	4,769.39	419.70 384.06	803.76

6 व्यवसायी ने क्रय एवं विक्रय दोनों को छिपाया था।

मामले इंगित किए जाने पर निर्धारण प्राधिकारी, पाटलीपुत्र अंचल, पटना ने बतलाया कि एक मामले में 1.07 करोड़ रुपये के लिये सितम्बर 2005 में माँग सृजित कर दिया गया है तथा अन्य मामलों में सम्बन्धित निर्धारण प्राधिकारियों ने अप्रैल और नवम्बर 2006 के बीच कहा कि मामलों की समीक्षा/जाँच की जायेगी। आगे उत्तर एवं वसूली का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2007)।

मामले सरकार को मार्च 2005 एवं जून 2007 में प्रतिवेदित किये गये थे; उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2007)।

2.5 छूट की गलत स्वीकृति

2.5.1 बिहार वित्त अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार, गजट में प्रकाशित, एक आदेश द्वारा किसी विशेष अवधि में मालों के किसी विनिर्दिष्ट लेनदेन पर किसी भी वस्तु या श्रेणी अथवा वस्तुओं के प्रकार की बिक्री से संबंधित इस अधिनियम के अन्तर्गत कर के भुगतेय राशि के बदले निबंधित व्यवसायियों के किसी श्रेणी या प्रकार को सकल आवर्त का एक निश्चित राशि या एक निश्चित प्रतिशतता भुगतान करने हेतु अनुमति दे सकता है। राज्य सरकार ने 1993 में एक अधिसूचना निर्गत किया जिसमें कार्य संवेदकों को बिहार वित्त अधिनियम के अन्तर्गत भुगतेय कर के बदले सकल आवर्त का दो प्रतिशत के दर पर संयोजित कर का भुगतान करने का अनुबंध था।

पाटलीपुत्र वाणिज्यकर अंचल, पटना के अभिलेखों की अक्तूबर 2006 में नमूना जाँच के दौरान यह पाया गया कि अक्तूबर 2004 और सितम्बर 2005 में निर्धारण वर्ष 2003–04 और 2004–05 का कर निर्धारण करते समय निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा पथ निर्माण कार्य से जुड़े दो उपसंवेदकों को 157.83 करोड़ रुपये के छूट की अनुमति इस आधार पर दी गई कि मुख्य संवेदक ने पूरे सकल आवर्त पर दो प्रतिशत संयोजित कर का भुगतान कर दिया है। चूँकि उप संवेदक भी बिहार वित्त अधिनियम के अन्तर्गत निबंधित थे तथा संयोजित लाभ के लिये अपना विकल्प भी नहीं दिये थे, अतः कार्य संविदा के कार्यान्वयन में खपत किये गये 46.01 करोड़ रुपये के वस्तुओं[7] पर कर की देयता उनके ऊपर थी, न की मुख्य संवेदक पर। पुनः उप संवेदकों को छूट की अनुमति देने हेतु प्रावधान बिहार वित्त अधिनियम अथवा वर्ष 1993 के उपरोक्त अधिसूचना में भी नहीं था।

इस प्रकार, उपसंवेदकों को गलत छूट की अनुमति के परिणामस्वरूप मुख्य संवेदक द्वारा दो प्रतिशत की दर से स्रोत पर कटौती किये गये कर की राशि का समायोजन करने के बाद अतिरिक्त कर एवं अधिभार सहित 1.79 करोड़ रुपये के कर का कम आरोपण हुआ।

मामला इंगित किये जाने पर निर्धारण प्राधिकारी ने अक्तूबर 2006 में बतलाया कि मामले की जाँच की जायेगी। आगे उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2007)।

2.5.2 बिहार वित्त अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार ने दिसम्बर 1995 में एक अधिसूचना जारी कर औद्योगिक इकाइयों को आठ या दस वर्षों, जैसा भी मामला हो, के लिये अथवा पूँजीगत निवेश के 150 प्रतिशत तक कर सीमा, जो भी पहले हो, कर से छूट की अनुमति प्रदान की।

वाणिज्यकर अंचल, हाजीपुर में जून 2006 में देखा गया कि एक व्यवसायी, जिसका पूँजीगत निवेश 1.44 करोड़ रुपये था, का वर्ष 2003–04 के लिये कर निर्धारण सितम्बर 2005 में किया गया एवं माह जून 2003 तक 2.21 करोड़ रुपये के कर का छूट प्रदान

---

[7] अलकतरा, बोल्डर, ईंट, सीमेंट, लौह एवं इस्पात, रिइन्फोर्सड कन्कीट सीमेट, पाईप, पी० भी० सी० सामग्री एवं बालू इत्यादि

किया गया था। जबकि पूँजीगत निवेश का 150 प्रतिशत की विहित कर सीमा 2.16 करोड़ रुपये थी, जो अप्रैल 2003 में समाप्त हो चुकी थी। अतः मई एवं जून 2003 में 1.28 करोड़ रुपये की बिक्री पर गलत छूट दी गई थी, जिसके परिणामस्वरूप 5.13 लाख रुपये के कर का अवनिर्धारण हुआ।

मामला इंगित किये जाने पर निर्धारण प्राधिकारी ने जून 2006 में कहा कि मामले की जाँच की जायेगी। आगे उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2007)।

मामले सरकार को अप्रैल 2007 में प्रतिवेदित किये गये थे; उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2007)।

2.6 क्रय कर आरोपित नहीं किया जाना

बिहार वित्त अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक व्यवसायी जो उन वस्तुओं का क्रय करता है जिन पर बिक्री कर या तो भुगतेय न हो या दिया नहीं गया हो तथा बिक्री के लिए अन्य वस्तुओं के विनिर्माण में उन वस्तुओं की खपत करता है अथवा राज्य में या अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के क्रम में बिक्री के अलावे अन्य तरह से निपटारा करता है तो उसे क्रय मूल्य पर कर का भुगतान करना होगा।

पाटलीपुत्र वाणिज्यकर अंचल, पटना में अक्तूबर 2006 में यह देखा गया कि एक व्यवसायी ने निर्धारण वर्ष 2002–03 के दौरान राज्य के अन्दर 7.21 करोड़ रुपये के कर देय वस्तुओं[8] का क्रय अनिबंधित व्यवसायियों से किया तथा इसकी खपत कैटल फिड, जो बिहार में एक कर मुक्त वस्तु है, के विनिर्माण में किया। निर्धारण प्राधिकारी ने कर निर्धारण करते समय उपरोक्त कच्चे मालों के क्रय मूल्य पर कर आरोपित नहीं किया। इसके फलस्वरूप अतिरिक्त कर एवं अधिभार सहित 60.62 लाख रुपये के क्रय कर का आरोपण नहीं हुआ।

इसे इंगित किये जाने पर निर्धारण प्राधिकारी ने अक्तूबर 2006 में बतलाया कि मामले की जाँच की जायेगी। आगे उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2007)।

मामला सरकार को मई 2007 में प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2007)।

2.7 कर कम लगाया जाना

बिहार बिक्री कर नियमावली, 1983 के साथ पठित बिहार वित्त अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार ने जून 1985 एवं जुलाई 2002 में अधिसूचनाएँ निर्गत कर कुछ विशिष्ट वस्तुओं, श्रेणियों या वस्तुओं के प्रकार को विनिर्दिष्ट किया, जिन पर बिक्री के एक बिन्दु से अधिक या सभी बिन्दुओं पर बिक्री कर आरोप्य था तथा बिक्री के प्रत्येक पूर्ववर्ती प्रक्रम पर भुगतान किये गये बिक्री कर की राशि का समायोजन बिक्री के प्रत्येक अनुवर्ती प्रक्रम पर भुगतेय बिक्री कर की राशि के विरूद्ध विहित तरीके से किया जाना था।

चार वाणिज्यकर अंचलों[9] के अभिलेखों की अप्रैल एवं अक्तूबर 2006 के बीच किये गये नमूना जाँच में यह देखा गया कि वर्ष 2001–02 से 2004–05 के दौरान छः व्यवसायियों ने 22.44 करोड़ रुपये मूल्य के वस्तुओं[10] की बिक्री की, जिनपर बिक्री के सभी बिन्दुओं पर कर आरोप्य था। निर्धारण प्राधिकारी ने मई 2004 और मार्च 2006 के बीच कर निर्धारण पूरा करते समय 84.80 लाख रुपये के बदले गलत तरीके से

---

8 ज्वार, मक्का, सरसों खल्ली, चावल ब्रान और गेहूँ ब्रान

9 औरंगाबाद, बिहारशरीफ, गया और पाटलीपुत्र अंचल, पटना

10 भारत निर्मित विदेशी शराब, साबुन एवं डिटर्जेन्ट एवं वैक्यूम क्लिनर

64.90 लाख रुपये कर आरोपित किया, जिसके फलस्वरूप 19.90 लाख रुपये का कर कम आरोपित किया गया, जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है:

(लाख रुपये में)

अंचल का नाम व्यवसायियों की सं.	वस्तु बिक्री राशि	कर आरोप्य	आरोपित कर	कर का कम आरोपण	अभ्युक्ति
बिहारशरीफ एवं गया 3	साबुन एवं डिटर्जेंट 431.18	7.21	4.74	2.47	निर्धारण प्राधिकारी ने प्रत्येक बिन्दु पर कर के बदले अतिरिक्त कर और अधिभार ही आरोपित किया।
औरंगाबाद एवं पाटलिपुत्र 2	भा नि वि श 1365.78	49.36	36.23	13.13	पूर्ववर्ती प्रक्रम पर भुगतान किये गये कर की राशि की गणना गलत की गई।
पाटलिपुत्र 1	वैक्यूम क्लिनर 447.01	28.23	23.93	4.30	– तथैव –
कुल		**84.81**	**64.90**	**19.90**	

मामले इंगित किये जाने के बाद संबद्ध निर्धारण प्राधिकारियों ने अप्रैल और अक्तूबर 2006 के बीच बतलाया कि मामले की जाँच की जायेगी। आगे उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2007)।

मामले सरकार को फरवरी और मई 2007 के बीच प्रतिवेदित किये गये थे; उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2007)।

2.8 गलत समायोजन के कारण कर की वसूली नहीं होना

बिहार स्थानीय क्षेत्रों में वस्तुओं के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 तथा उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत अनुसूचित सामग्रियों के आयात करने वाले व्यवसायी, बिहार वित्त अधिनियम के अधीन अनुसूचित सामग्रियों की बिक्री के लिए, कर के भुगतान हेतु उत्तरदायी होंगे। बिहार वित्त अधिनियम के अन्तर्गत कर भुगतान की देयता में कटौती, प्रवेश कर अधिनियम के अधीन भुगतान किये गये कर की सीमा तक की जाएगी। पुनः बिहार वित्त अधिनियम के अन्तर्गत यदि कोई निबंधित व्यवसायी स्वीकृत कर का भुगतान देय अथवा विस्तारित तिथि तक करने में विफल रहता है तब विहित प्राधिकारी को विहित दर पर अर्थदण्ड के साथ–साथ ब्याज आरोपित करना है।

पाटलीपुत्र वाणिज्यकर अंचल, पटना के अभिलेखों की अक्तूबर 2006 में संवीक्षा के दौरान यह देखा गया कि एक व्यवसायी ने वर्ष 2004–05 की अवधि में 18.19 लाख रुपये का लुब्रिकेन्ट का विक्रय किया जिस पर 4.54 लाख रुपये का बिक्री कर भुगतेय था। जबकि, व्यवसायी ने लुब्रिकेन्ट के बिक्री पर स्वीकृत कर का भुगतान करने के बजाय ट्रैक्टर के क्रय पर भुगतान किए गए प्रवेश कर से समायोजन का दावा किया था। सितम्बर 2005 में कर निर्धारण करते समय निर्धारण प्राधिकारी ने इसे नहीं देखा। इस प्रकार, लुब्रिकेन्ट के बिक्री पर भुगतेय कर के विरूद्ध ट्रैक्टर के खरीद पर भुगतान किये गये प्रवेश कर के साथ गलत समायोजन के फलस्वरूप अर्थदण्ड एवं ब्याज सहित 11.06 लाख रुपये के कर की वसूली नहीं की गई।

मामला इंगित किये जाने के बाद निर्धारण प्राधिकारी ने अक्तूबर 2006 में बतलाया कि मामले की जाँच की जायेगी। आगे उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2007)।

मामला सरकार को मई 2007 में प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2007)।

2.9 कर की संगणना में भूल

दो वाणिज्यकर अंचलों[11] में जून एवं अक्तूबर 2006 में यह पाया गया कि दो व्यवसायियों का वर्ष 2001–02 और 2003–04 का कर निर्धारण क्रमशः मार्च एवं मई 2006 में किया गया तथा कर की संगणना में भूल के कारण 27.60 लाख रुपये के बदले 22.25 लाख रुपये का कर आरोपित किया गया। इसके फलस्वरूप 5.35 लाख रुपये के कर का कम आरोपण हुआ।

मामले इंगित किये जाने के बाद संबद्ध निर्धारण प्राधिकारियों ने जून एवं अक्तूबर 2006 के बीच बतलाया कि मामले की जाँच की जायेगी। आगे उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2007)।

मामले सरकार को अप्रैल एवं मई 2007 में प्रतिवेदित किये गये थे; उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2007)।

11 हाजीपुर और पाटलीपुत्र अंचल, पटना

अध्याय–III : राज्य उत्पाद

3.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2006–07 के दौरान उत्पाद कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच से 3,404 मामलों में 167.09 करोड़ रुपये की राशि के राजस्व का अवनिर्धारण एवं हानि का पता चला जो सामान्यतः निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं :

(करोड़ रुपये में)

क्रम स.	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि
1.	न्यूनतम गारंटी कोटा का उठाव नहीं किया जाना	12	48.83
2.	उत्पाद दुकानों की बन्दोबस्ती नहीं/विलम्ब से होना	1,891	46.10
3.	अनुज्ञप्तियों का विस्तार नहीं किया जाना	181	3.03
4.	दुकानों की अनुचित बन्दोबस्ती	50	1.53
5.	स्पिरीट के कम प्राप्ति के कारण राजस्व की हानि	4	0.47
6.	अनधिकृत रियायत के कारण अदेय वित्तीय लाभ	14	0.41
7.	अग्रिम फीस की वसूली नहीं होना	21	0.23
8.	अन्य मामले	1,231	66.49
	कुल	**3,404**	**167.09**

वर्ष 2006–07 की अवधि में विभाग ने 258 मामलों में अन्तर्निहित 48.15 करोड़ रुपये के अवनिर्धारण एवं अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया इसमें से 246 मामलों में अन्तर्निहित 37.36 करोड़ रुपये वर्ष 2006–07 में एवं शेष पूर्ववर्ती वर्षो के दौरान बतलाये गये थे। विभाग ने 15 लाख रुपये की वसूली की।

दृष्टान्तस्वरूप कुछ मामले, जिनमें 80.86 करोड़ रुपये अन्तर्निहित हैं, निम्नलिखित कंडिकाओं में विवर्णित हैं:

3.2 न्यूनतम गारंटी कोटा का उठाव नहीं किये जाने के कारण राजस्व की हानि

बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्गत बिक्री अधिसूचना के शर्त–19 के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी को माह के दौरान संपूर्ण न्यूनतम गारंटी कोटा का उठाव करना है, इसमें विफल रहने पर अर्थदण्ड आरोपित किया जा सकता है अथवा उसके अनुज्ञप्ति को बिहार उत्पाद अधिनियम के तहत निरस्त किया जाना है। पुनः जनवरी 2005 से प्रभावी बिहार उत्पाद (देशी शराब/मसालेदार देशी शराब के खुदरा बिक्री हेतु अनुज्ञप्तियों की बन्दोबस्ती) नियमावली, 2004 के नियम 26(1) में 2.50 रुपये प्रति लन्दन प्रूफ लीटर (एल0 पी0 एल0)[1] के दर पर निर्गमन फीस जमा करने के बाद ही शराब के उठाव हेतु पास प्राप्त करने का प्रावधान है।

3.2.1 सात उत्पाद जिलों[2] में फरवरी एवं जुलाई 2007 के बीच यह पाया गया कि उत्पाद दुकानों के खुदरा अनुज्ञप्तिधारी वर्ष 2002–03 से 2005–06 के दौरान न्यूनतम गारंटी कोटा का उठाव नहीं किया जिसमें 48.26 करोड़ रुपये के राजस्व सन्निहित थे (परिशिष्ट–I), जिसकी गणना संबंधित दुकानों हेतु निर्धारित न्यूनतम गारंटी कोटा के आधार पर की गई। विभागीय प्राधिकारियों ने अनुज्ञप्तियों को निरस्त नहीं किया तथा चार उत्पाद जिलों के दुकानों के मामले में मात्र 28.10 लाख रुपये का जुर्माना आरोपित किया। इसके परिणामस्वरूप 47.98 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई।

3.2.2 पाँच उत्पाद जिलों[3] में मार्च एवं जुलाई 2007 के बीच यह पाया गया कि देशी शराब/मशालेदार देशी शराब दुकानों के खुदरा विक्रेता समूहों के अनुज्ञप्तिधारियों ने वर्ष 2005–06 के लिये निर्धारित 66.71 लाख एल0 पी0 एल0 के न्यूनतम गारंटी कोटा के विरूद्ध 32.54 लाख एल0 पी0 एल0 का उठाव किया। 34.17 लाख एल0 पी0 एल0 शराब का उठाव नहीं किये जाने के फलस्वरूप निर्गमन फीस के रूप में 85.44 लाख रुपये की हानि हुई।

मामले इंगित किये जाने के बाद विभाग ने उत्पाद दुकानों की बन्दोबस्ती नहीं/विलम्ब से होने का मुख्य कारण उच्च न्यूनतम गारंटी कोटा एवं अनुज्ञप्ति फीस का निर्धारण किये जाने के कारण उत्पाद दुकान अलाभकारी हो जाने को ठहराया (अक्तूबर 2007)। उत्तर मान्य नहीं थे, क्योंकि लेखापरीक्षा अवलोकन न्यूनतम गारंटी कोटा का उठाव नहीं किये जाने से संबंधित है जिसके कारण सरकारी राजस्व की हानि हुई, न कि उत्पाद दुकानों की बन्दोबस्ती नहीं/विलम्ब से किये जाने पर, जैसा कि जवाब दिया गया था।

3.3 उत्पाद दुकानों की बन्दोबस्ती

बिहार उत्पाद अधिनियम तथा इसके तहत बने नियमों के अन्तर्गत देशी शराब, मसालेदार देशी शराब एवं भारत निर्मित विदेशी शराब की खुदरा बिक्री हेतु अनुज्ञप्तियों की वार्षिक बन्दोबस्ती, उत्पाद आयुक्त द्वारा पूर्व में स्वीकृत रिजर्व फीस तथा इस प्रयोजन हेतु जारी बिक्री अधिसूचना के शर्तों के अनुसार, सार्वजनिक नीलामी के आधार पर किया जाना है। जब स्वीकृत फीस प्राप्त न हो तो उत्पाद आयुक्त के अनुमोदन से

---

1 अल्कोहल की शक्ति 'डिग्री प्रूफ' में मापी जाती है, अल्कोहल की शक्ति, जिसके 13 भाग का वजन, 51 डिग्री फारेनहट पर जल के 12 भाग के वजन के ठीक–ठीक बराबर हो उसे 100 डिग्री प्रुफ निर्दिष्ट किया जाता है। अल्कोहल का दिये गये नमूना का आभासी आयतन को अल्कोहल के आयतन में बदले जाने पर, जिसकी शक्ति 100 डिग्री हो, को एल0पी0एल0 कहा जाता है।

2 अररिया–सह–किशनगंज, भोजपुर–सह–बक्सर, गया, मधेपुरा, मुंगेर–सह–जमुई–सह–लखीसराय–सह–शेखपुरा, पूर्णिया एवं रोहतास–सह–कैमूर

3 भोजपुर–सह–बक्सर, गया, मुंगेर–सह–जमुई–सह–लखीसराय–सह–शेखपुरा, पूर्णिया एवं रोहतास– सह–कैमूर

जिला समाहर्त्ता अपने विवेक से उससे कम फीस पर, जो पिछले तीन वर्षों के रिजर्व फीस के औसत का 10 प्रतिशत से बढ़ोतरी की गई राशि से कम न हो, दुकानों की औपबंधित बन्दोबस्ती कर सकता है। दुकानों के अबन्दोबस्त रहने पर, जून 1995 में पुनः जारी विभागीय अनुदेश के अनुसार, संबंधित क्षेत्रों में शराबों की आपूर्ति अपने प्रबंधन के माध्यम से विभाग द्वारा संचालित करना था। अबन्दोबस्त दुकानों के विभागीय संचालन से संबंधित जून 1995 का अनुदेश अक्तूबर 2003 में हालाँकि इस निर्देश के साथ वापस ले लिया गया था कि सभी जिला समाहर्त्ता बन्दोबस्ती वर्ष के प्रारम्भ में अलाभकारी दुकानों की स्थिति की समीक्षा कर दुकानों की बन्दोबस्ती हेतु लाभकारी दुकानों के साथ सम्मिलित करेंगे। विभागीय संचालन का प्रावधान अप्रैल 2005 में केवल 10 जिलों[4] के लिये पुनः बहाल की गई थी।

उत्पाद दुकानों के बन्दोबस्ती से संबंधित प्रावधानों में एक संशोधन (जनवरी 2005) द्वारा विभाग ने राजस्व के हित में एक से अधिक समूह की व्यवस्था के साथ अवर प्रमंडलीय स्तर पर मुख्यतः एक लॉट में सभी दुकानों का समूहीकरण कर देशी शराब/मसालेदार देशी शराब के खुदरा बिक्री हेतु अनुज्ञप्ति की बन्दोबस्ती की नीति को अपनाया। बिक्रय अधिसूचना की शर्त 6 पुनः यह प्रावधित करता है कि अनुज्ञप्ति की बन्दोबस्ती उत्पाद वर्ष (पहली अप्रैल से शुरू होकर अगले वर्ष की 31 मार्च तक) के शुरूआत से पहले हो जानी चाहिए। सामान्यतः अनुज्ञप्तियों की बन्दोबस्ती एक वर्ष के लिये होनी चाहिए, जिसे तीन वर्षों तक के लिये विस्तारित/नवीकरण किया जा सकता है।

बिहार उत्पाद अधिनियम यह भी प्रावधित करता है कि उत्पाद राजस्व के सभी बकाए उस व्यक्ति से वसूल की जा सकती है जो प्राथमिक तौर पर कुर्की[5] या अपने चल संपति की बिक्री द्वारा इसके भुगतान हेतु उत्तरदायी हैं अथवा विहित प्रक्रिया द्वारा राजस्व के बकाए की वसूली करनी है।

3.3.1 उत्पाद दुकानों का विलम्ब से बन्दोबस्ती किया जाना

दस उत्पाद जिलों[6] में मई 2006 एवं जुलाई 2007 के बीच यह देखा गया कि एक से 11 महीने बीत जाने के बाद 219 देशी शराब, 153 मसालेदार देशी शराब एवं 75 भारत निर्मित विदेशी शराब की दुकानों की बन्दोबस्ती की गई थी। यद्यपि ये दुकानें बन्दोबस्ती की तिथि तक विभागीय तौर पर संचालित किये जा सकते थे, लेकिन इस संबंध में कोई प्रयास नहीं किया गया था। इस प्रकार दुकानों को विलम्ब से बन्दोबस्ती के साथ–साथ विभागीय तौर पर संचालित नहीं किये जाने के कारण सरकार को 11.85 करोड़ रुपये (परिशिष्ट–II) के राजस्व की हानि हुई ।

मामले इंगित किये जाने के बाद उत्पाद अधीक्षक, छपरा ने मई 2006 में बतलाया कि देशी शराब/मसालेदार देशी शराब की दुकानों की बन्दोबस्ती सुनिश्चित करने हेतु भारत निर्मित विदेशी शराब की दुकानों की बन्दोबस्ती को स्थगित कर दिया था, जबकि शेष उत्पाद सहायक/उत्पाद अधीक्षकों ने मई 2006 एवं जुलाई 2007 के बीच कहा कि डाककर्त्ताओं के अनुपलब्धता के कारण दुकानों की बन्दोबस्ती में विलम्ब हुआ था। उत्पाद अधीक्षक, छपरा का जवाब मान्य नहीं हैं, क्योंकि अधिनियम/नियमावली में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इसके अलावे देशी शराब/मसालेदार देशी शराब के दुकानों के विभागीय संचालन हेतु प्रभावी कदम उठाने चाहिए थे तथा भारत निर्मित विदेशी शराब

---

4 अरवल, औरंगाबाद, भोजपुर, गया, जहानाबाद, नवादा, पूर्णिया, रोहतास, सारण एवं पश्चिमी चम्पारण।

5 राजस्व या अन्य बकायों के भुगतान प्राप्त करने हेतु सम्पत्ति को जब्त किये जाने हेतु प्राधिकृत करने का अधिपत्र (वारंट)

6 अररिया–सह–किशनगंज, भागलपुर–सह–बाँका, छपरा, गया, कटिहार, मधेपुरा, मुंगेर–सह–जमुई– सह–लखीसराय–सह–शेखपुरा, पटना, रोहतास–सह–कैमूर एवं सिवान

के दुकानों के मामले में उत्पाद आयुक्त के अनुमोदन के प्रत्याशा में रिजर्व फीस को घटाना चाहिये था तथा दुकानों की बन्दोबस्ती करनी चाहिए थी।

3.3.2 दुकानों का अबन्दोबस्त पड़े रहना

आठ उत्पाद जिलों[7] में जुलाई 2006 एवं जुलाई 2007 के बीच यह पाया गया कि नीलामी पर रखे गये 57 देशी शराब, 22 मसालेदार देशी शराब तथा 25 भारत निर्मित विदेशी शराब की दुकानें वर्ष 2002–03 से 2005–06 के दौरान अबन्दोबस्त पड़े थे तथा उनका विभागीय तौर पर संचालन भी नहीं किया गया था। इसके फलस्वरूप उत्पाद शुल्क एवं अनुज्ञप्ति फीस के रूप में 8.03 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई (परिशिष्ट–III)।

मामले इंगित किये जाने के बाद विभाग ने अक्तूबर 2007 में बतलाया कि संरचना, स्थान एवं कर्मियों के अभाव में अबन्दोबस्त दुकानों की बन्दोबस्ती नहीं की जा सकी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि दुकानों की बन्दोबस्ती कर राजस्व की वसूली के लिये विभागीय संचालन हेतु अनुदेश निर्गत करने के समय सरकार को सभी संरचना मुहैय्या करानी चाहिये थी।

3.3.3 निरस्तीकरण के बाद दुकानों का अबन्दोबस्त पड़े रहना

सात उत्पाद जिलों[8] में जुलाई 2006 एवं जुलाई 2007 के बीच यह देखा गया कि विक्रेताओं द्वारा अनुज्ञप्ति शुल्क के भुगतान नहीं करने तथा न्यूनतम गारंटी कोटा के कम उठाव के कारण अप्रैल 2002 एवं दिसम्बर 2005 के बीच 31 देशी शराब, नौ मसालेदार देशी शराब एवं 20 भारत निर्मित विदेशी शराब की दुकाने निरस्त कर दी गई थी। इन निरस्त दुकानों के विभागीय प्रबंधन हेतु कोई पहल भी नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप 2.28 करोड़ रुपये की उत्पाद शुल्क एवं अनुज्ञप्ति फीस की हानि हुई (परिशिष्ट–IV)।

मामले सरकार को अगस्त 2007 में प्रतिवेदित किये गये थे; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (नवम्बर 2007)।

3.3.4 फीस का अनुचित निर्धारण

पाँच उत्पाद जिलों[9] में जनवरी एवं जुलाई 2007 के बीच यह देखा गया कि बिहार उत्पाद अधिनियम के प्रावधानों एवं उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार 42 भारत निर्मित विदेशी शराब के दुकानों के लिए 2005–06 अवधि के लिए रिजर्व फीस 1.93 करोड़ रुपये निर्धारित किया जाना था। हालाँकि यह मात्र 1.55 करोड़ रुपये ही निर्धारित किया गया था। इस प्रकार पिछले तीन वर्षों के औसत रिजर्व फीस के 10 प्रतिशत से बढ़ी राशि से भी कम पर रिजर्व फीस निर्धारित किया गया था। इस प्रकार, रिजर्व फीस के अनुचित निर्धारण के कारण सरकार को 38.10 लाख रुपये की हानि हुई।

मामले सरकार को अगस्त 2007 में प्रतिवेदित किये गये थे; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (नवम्बर 2007)।

---

7 अररिया–सह–किशनगंज, भोजपुर–सह–बक्सर, गया, मधेपुरा, मुंगेर–सह–जमुई–सह–लखीसराय–सह –शेखपुरा, पटना, पूर्णिया एवं रोहतास--सह–कैमूर

8 गया, कटिहार, मुंगेर–सह–जमुई–सह–लखीसराय–सह–शेखपुरा, पटना, पूर्णिया, रोहतास–सह–कैमूर एवं समस्तीपुर

9 अररिया–सह–किशनगंज, गया, मधेपुरा, पटना एवं पूर्णिया

3.3.5 दुकानों की अनुचित बन्दोबस्ती

पाँच उत्पाद जिलों[10] में अगस्त 2006 एवं जुलाई 2007 के बीच यह पाया गया कि विभाग ने वित्तीय वर्ष 2005–06 के लिये भारत निर्मित विदेशी शराब की दुकानों को समूह में बन्दोबस्त करने का फैसला लिया एवं 7.76 करोड़ रुपये के राजस्व की वसूली की। हालाँकि, वर्ष 2004–05 के दौरान 9.29 करोड़ रुपये के राजस्व की वसूली हुई थी जबकि दुकानों को अलग–अलग बन्दोबस्त किया गया था। इस प्रकार वर्ष 2005–06 में राजस्व की वसूली 1.53 करोड़ रुपये कम हुई थी। दुकानों को समूह में बन्दोबस्त करने हेतु लिया गया निर्णय इस प्रकार राजस्व के हित में साबित नहीं हुआ और कम से कम 1.53 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई।

मामले सरकार को अगस्त 2007 में प्रतिवेदित किये गये थे; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (नवम्बर 2007)।

3.4 अधिनियम/नियमों के प्रावधानों को लागू करने में चूक

बिहार उत्पाद (देशी शराब/मशालेदार देशी शराब की खुदरा बिक्री हेतु अनुज्ञप्ति की बन्दोबस्ती) नियमावली के अनुसार एक दुकान अथवा दुकानों के समूह की अनुज्ञप्ति की बन्दोबस्ती हेतु नीलामी में भाग लेने वाला व्यक्ति, भाग लेने के पूर्व निर्धारित रिजर्व फीस के बारहवें हिस्से के समतुल्य अग्रिम राशि जमा करेगा। बिहार उत्पाद अधिनियम प्रावधित करता है कि अधिनियम के तहत स्वीकृत किसी भी अनुज्ञप्ति के धारक इसके अभ्यर्पण की मंशा हेतु जिला समाहर्त्ता को लिखित रूप से दिए गए सूचना के एक महीने की समाप्ति के बाद उस पूरी अवधि, जिसके लिए अनुज्ञप्तियाँ चालू रहती लेकिन वैसी अभ्यर्पण की गई, के लिए भुगतेय रिजर्व फीस का भुगतान कर अभ्यर्पण कर सकता है।

भोजपुर उत्पाद जिला में यह देखा गया (अप्रैल 2007) कि दुकानों के तीन समूह (आरा सदर, पीरो एवं जगदीशपुर) के लिए अनुज्ञप्तियों की बन्दोबस्ती अप्रैल एवं जुलाई 2005 के बीच जिन डाककर्त्ता के साथ की गई थी उन्होंने नीलामी में भाग लेने के पहले अग्रिम राशि जमा नहीं किया था। दुकानों के इन तीन समूह ने बाद में अपनी अनुज्ञप्ति क्रमशः 31 दिसम्बर 2005, 31 जनवरी 2006 एवं 30 सितम्बर 2005 को अभ्यर्पित कर दिया था। हालाँकि पूरी अवधि जिसके लिए अनुज्ञप्तियाँ चालू रहती लेकिन ऐसी अभ्यर्पण के कारण अनुज्ञप्ति फीस वसूल किये बिना अनुज्ञप्तियों के अर्भ्यपण को स्वीकार कर लिया गया। इसके फलस्वरूप 3.47 करोड़ रुपये के राजस्व की वसूली नहीं हुई जैसा कि नीचे दिया गया हैः

(करोड़ रुपये में)

समूह का नाम	अभ्यर्पण की तिथि	अनुज्ञप्तियाँ चालू रहती लेकिन अभ्यर्पित कर दिये जाने की अवधि	वसूल नहीं की गई राशि		
			अग्रिम राशि	फीस	योग
आरा सदर	31.12.2005	1 जनवरी 2006 से 31 मार्च 2006	47.50	142.50	190.00
पीरो	31.01.2006	1 फरवरी 2006 से 31 मार्च 2006	14.26	28.52	42.78
जगदीशपुर	30.09.2005	1 अक्तूबर 2005 से 31 मार्च 2006	16.33	98.00	114.33
कुल			78.09	269.02	347.11

मामला इंगित किये जाने के बाद संबंधित सहायक उत्पाद आयुक्त ने अगस्त 2006 में बतलाया कि छानबीन के पश्चात् आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह उत्तर

[10] अररिया–सह–किशनगंज, भागलपुर–सह–बाँका, भोजपुर–सह–बक्सर, गया एवं मोतिहारी

मान्य नहीं है क्योंकि बिना अग्रिम राशि की वसूली एवं तदन्तर बिना बकाए की वसूली किये अनुज्ञप्तियों के अभ्यर्पण को स्वीकार किया जाना अनियमित था।

3.5 अनुज्ञप्तियों का विस्तार नहीं किया जाना

बिहार उत्पाद अधिनियम एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों, के अनुसार देशी शराब, मशालेदार देशी शराब एवं भारत निर्मित विदेशी शराब के दुकान की बिक्री हेतु अनुज्ञप्तियाँ, उत्पाद वर्ष के प्रारम्भ होने से पहले, जिला समाहर्ता द्वारा नीलामी द्वारा वार्षिक बन्दोबस्ती की जानी है। लोक सभा चुनाव (फरवरी 2004) एवं आचार संहिता के लागू होने के कारण, उत्पाद वर्ष 2004–05 के लिए दुकानों की वार्षिक बन्दोबस्ती तीन महीनों (अप्रैल 2004 से जून 2004) तक रोक दी गई थी। पुनः बिक्री अधिसूचना के शर्तों के अनुसार सरकार को यह अधिकार सुरक्षित है कि किसी भी समय वह अनुज्ञप्ति के अवधि का परिवर्तन कर सकती है और अनुज्ञप्तिधारी को अनुज्ञप्ति वर्ष के दौरान किसी भी परिवर्तन को स्वीकार करना बाध्य होगा।

आठ उत्पाद जिलों[11] में जनवरी एवं जुलाई 2007 की बीच यह पाया गया कि वर्ष 2003–04 के दौरान निर्गत अनुज्ञप्तियों, जो मार्च 2004 तक वैध थे, के विस्तार हेतु यद्यपि मार्च 2004 में उत्पाद आयुक्त ने अनुदेश जारी कर दिए थे, फिर भी उत्पाद आयुक्त के अनुदेश के अनुसार 75 देशी शराब, 53 मशालेदार देशी शराब और 53 भारत निर्मित विदेशी शराब दुकानों के अनुज्ञप्तिधारियों ने अपने अनुज्ञप्ति को तीन महीनों (अप्रैल से जून 2004) के लिए विस्तारित नहीं कराया था। जहाँ अनुज्ञप्ति को विस्तारित नहीं किया गया, वहाँ शराब के आपूर्ति हेतु एवं अनुज्ञप्तिधारियों के विरूद्ध बिक्री के अधिसूचना के शर्तों को पूरा करने के लिए कोई दण्डात्मक कार्रवाई नहीं की गई थी। इसके फलस्वरूप 3.03 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई (परिशिष्ट–V)।

मामले सरकार को अगस्त 2007 में प्रतिवेदित किये गये थे; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2007)।

3.6 राजस्व की वसूली नहीं/हानि होना

बिहार उत्पाद अधिनियम तथा उसके तहत बने नियमों में प्रावधान है कि सफल डाककर्त्ता को अग्रिम अनुज्ञप्ति फीस की आवश्यक राशि का भुगतान तुरन्त करना है, जिसमें विफल रहने पर बन्दोबस्ती रद्द तथा जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी। प्रत्येक वर्ष उत्पाद दुकानों की बिक्री हेतु जारी अधिसूचना यह अनुबंधित करता है कि जब किसी भी दुकान के डाक की बोली पूर्ण हो जाती है एवं कभी भी इन दुकानों की बन्दोबस्ती कम राशि पर करने की आवश्यकता होने अथवा बिक्री के समय राशि का भुगतान करने में विफल रहने के फलस्वरूप इसे अबन्दोबस्त रखे जाने पर सरकार को हुई किसी प्रकार की हानि के लिए क्रेता उत्तरदायी है। पुनः उक्त अधिसूचना, नीलामी में भाग लेने के पूर्व दुकान के रिजर्व फीस के समतुल्य, जमानत राशि जमा करने हेतु भी प्रावधित करता है।

3.6.1 स्पिरीट दुकानों के परिचालन नही करने के कारण हानि

उत्पाद अधीक्षक, पूर्णिया के 2003–04 एवं 2004–05 के अभिलेखों की समीक्षा के दौरान मार्च 2007 में यह पाया गया कि 29 देशी शराब/मशालेदार देशी शराब दुकान देय तिथि के अन्दर अर्थात उत्पाद वर्ष के प्रारंभ होने से पहले ही बन्दोबस्त कर दिये गये थे। उत्पाद अधीक्षक ने अगस्त 2003 एवं अक्तूबर 2004 के बीच अनुज्ञप्तियों को

---

11 अररिया–सह–किशनगंज, भोजपुर–सह–बक्सर, गया, मधेपुरा, मुंगेर–सह–जमुई–सह–लखीसराय– सह–शेखपुरा, पटना, पूर्णिया एवं रोहतास–सह–कैमूर

रद्द कर दिया था क्योंकि बन्दोबस्ती की तिथि से ही अनुज्ञप्तिधारियों ने शराब का एक भी मात्रा का उठाव नहीं किया था। दुकानों की पूर्नबन्दोबस्ती अथवा विभागीय परिचालन के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इसके कारण 1.20 करोड़ रुपये (रक्षित शुल्क 36.22 लाख रुपये + उत्पाद शुल्क 83.43 लाख रुपये) के राजस्व की हानि हुई। बिक्री अधिसूचना के अन्तर्गत विहित शर्तों के अनुसार दोषी अनुज्ञप्तिधारियों से हानि की भरपाई हेतु की गई कार्रवाई भी अभिलेखों पर नहीं था।

मामले सरकार को अगस्त 2007 में प्रतिवेदित किये गये थे; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2007)।

3.6.2 अग्रिम फीस के भुगतान में चूक

चार उत्पाद जिलों[12] में जनवरी एवं जून 2007 के बीच यह पाया गया कि क्रेताओं, जिनका नौ देशी शराब, छः मशालेदार देशी शराब तथा छः भारत निर्मित विदेशी शराब के दुकानों हेतु डाक स्वीकार कर लिया गया था, नियमों के अन्तर्गत आवश्यक अग्रिम फीस जमा करने में विफल रहे एवं उसके फलस्वरूप अप्रैल 2002 एवं मार्च 2005 के बीच बन्दोबस्ती रद्द कर दी गई थी। ये दुकानें निरस्तीकरण की तिथि से वर्ष के अन्त तक अबन्दोबस्त रह गये, परिणामस्वरूप 24.92 लाख रुपये का अनुज्ञप्ति फीस की वसूली नहीं हुई। आंशिक भुगतान के समायोजन तथा एक भारत निर्मित विदेशी शराब दुकान (पटना) के अनुज्ञप्तिधारी द्वारा 1.56 लाख रुपये की जमानत राशि जमा करने के अलावे शेष 23.36 लाख रुपये (परिशिष्ट–VI) के राजस्व की हानि की क्षतिपूर्ति हेतु कोई कार्रवाई, जैसा कि नियमों के तहत किया जाना था, नहीं की गयी थी।

मामले सरकार को अगस्त 2007 में प्रतिवेदित किये गये थे; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (नवम्बर 2007)।

3.7 राजस्व शीर्ष में अनियमित जमा

भारत के संविधान के अनुच्छेद 284 प्रावधित करता है कि सभी धन (सरकारी राजस्व के अलावे) राज्य के लोक लेखा में जमा किया जाना चाहिए। पुनः अनुच्छेद 266 निर्देशित करता है कि राज्य के समेकित निधि से कोई भी धन विधायिका के अनुमोदन के बिना विनियोजित नहीं किया जायेगा।

आठ उत्पाद जिलों[13] में यह पाया गया (जनवरी से जुलाई 2007) कि वर्ष 2002–03 से 2005–06 से संबंधित 23.04 करोड़ रुपये (परिशिष्ट–VII) की जमानत राशि – सिक्युरिटी डिपोजिट शीर्ष[14] के बदले राजस्व प्राप्ति शीर्ष[15] के अन्तर्गत अनियमित रूप से जमा की गई थी। चूँकि समेकित निधि में जमा की गई राशि को जब्त नहीं किया जा सकता है, विभाग भारत निर्मित विदेशी शराब के अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा चूक के कारण 87.67 लाख रुपये की जमानत राशि को जब्त करने में असमर्थ रह गया। इसके अलावे, जमानत राशि को राजस्व प्राप्तियाँ शीर्ष के अन्तर्गत जमा किये जाने के फलस्वरूप राजस्व संग्रहण के आँकड़ों को बढ़ाकर दिखलाया गया।

मामले इंगित किये जाने के बाद विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया तथा अक्तूबर 2007 में कहा कि जमानत राशि को राजस्व शीर्ष "0039 – राज्य

---

12 अररिया–सह–किशनगंज, मुंगेर–सह–जमुई–सह–लखीसराय–सह–शेखपुरा, पटना एवं रोहतास–सह–कैमूर

13 अररिया–सह–किशनगंज, भोजपुर–सह–बक्सर, गया, मधेपुरा, मुंगेर–सह–जमुई–सह–लखीसराय– सह–शेखपुरा, पटना, पूर्णिया एवं रोहतास–सह–कैमूर

14 '8443 – सिविल डिपोजिट'

15 '0039 – राज्य उत्पाद'

उत्पाद" के बजाए शीर्ष "8443 सिविल डिपोजिट – सिक्युरिटी डिपोजिट" के अन्तर्गत जमा कराने हेतु सभी उत्पाद जिलों को निदेश जारी कर दिया गया है।

3.8 आसवन गृहो (डिस्टीलरिज) द्वारा शराब का कम उठाव/मोलासेस से शराब की कम प्राप्ति के कारण राजस्व की हानि

मोलासेज नियंत्रण अधिनियम, 1947 के अनुसार बिहार राज्य में कारखानों द्वारा मोलासेज के उत्पादन की कीमत एवं भण्डारण, आपूर्ति एवं वितरण का नियंत्रण किया जाता है। इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत बनाया गया बिहार मोलासेज नियंत्रण (नियमावली), 1955 यह निर्धारित करता है कि प्रत्येक आसवन गृह आगामी 1 जनवरी से प्रारंभ होने वाले बारह महीनों के दौरान मोलासेज की अपनी आकलित आवश्यकता संबंधी माँग–पत्र नियंत्रक को सौंपेगा (31 अक्तूबर तक)। माँग–पत्र के अनुसार तथा इसकी जाँच करने के उपरान्त नियंत्रक आसवन गृह के लिये मोलासेस का आवंटन करते हैं।

राजस्व पर्षद द्वारा जनवरी 2000 में बनाये गये नियमों के अनुसार प्रत्येक आसवन गृह मालिक, शराब के उत्पादन के लिये खपत हुए मोलासेस में विद्यमान किण्वित शक्कर के प्रत्येक क्विंटल से कम से कम 92 एल0 पी0 एल0 शराब की न्यूनतम प्राप्ति बनाये रखने हेतु उत्तरदायी होंगे। इसे सुनिश्चित करने हेतु आसवन गृह के उत्पाद पदाधिकारी द्वारा मोलासेस का मिश्रित नमूना लेना है तथा जाँच हेतु रासायनिक परीक्षक को भेजा जाना है।

3.8.1 भागलपुर एवं हाथीदह में दो आसवन गृहों के किण्वित शक्कर की मात्रा से संबंधित स्पिरीट उत्पादन पंजी, मोलासेस की खपत पंजी एवं रासायनिक परीक्षक के प्रतिवेदनों की संवीक्षा (सितम्बर 2006 एवं जुलाई 2007) से पता चला कि वर्ष 2005–06 के दौरान खपत हुये मोलासेस से शराब की न्यूनतम प्राप्ति बनाये रखने में आसवन गृह विफल रहे थे। इसके फलस्वरूप उत्पाद शुल्क के रूप में 43.39 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

वर्ष	आसवन गृह का नाम	आसवित मोलासेस की मात्रा (क्विंटल में)	शराब की आवश्यक न्यूनतम प्राप्ति (एल0 पी0 एल0 में)	शराब की वास्तविक प्राप्ति (एल0 पी0 एल0 में)	कमी (एल0 पी0 एल0 में)	प्रति एल0 पी0 एल0 दर (रुपये में)	उत्पाद शुल्क की हानि (लाख रुपये में)
2005-06	मैक. डोवेल आसवन गृह, हाथीदह, पटना	69,392.71	17,19,316.31	16,80,198.50	39,117.81	100	39.12
2005-06	एस. सी. आई. आसवन गृह, रजौन, बाँका	31,405.00	8,82,748.29	8,70,554.60	12,193.69	35	4.27
कुल		**1,00,797.71**	**26,02,064.60**	**25,50,753.10**	**51,311.50**		**43.39**

मामला इंगित किये जाने के बाद उत्पाद अधीक्षकों ने सितम्बर 2006 एवं जुलाई 2007 के बीच बतलाया कि अभिलेखों की जाँच के बाद कार्रवाई की जायेगी। उत्तर, हालाँकि लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने तक उत्पाद अधीक्षकों की निष्क्रियता के संबंध में मौन है।

3.8.2 सरकार ने हाथीदह के एक आसवन गृह को वर्ष 2005–06 के दौरान 1,35,720 क्विंटल मोलासेस का कोटा आवंटित किया, जिसके विरूद्ध आसवन गृह द्वारा 79,806.75 क्विंटल मोलासेस का उठाव किया तथा 55,913.25 क्विंटल शेष रह गया। मोलासेस में किण्वित शक्कर की विहित न्यूनतम मात्रा के अनुसार 11,182.65

एल0 पी0 एल0 शराब का कम उत्पादन हुआ तथा सरकार 11.18 लाख रुपये के राजस्व से वंचित रह गया।

मामले सरकार को अगस्त 2007 में प्रतिवेदित किये गये थे; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2007)।

3.9 राजस्व के बकाये की वसूली

3.9.1 सरकारी राजस्व का अवरूद्ध होना

तीन उत्पाद जिलों[16] के अभिलेखों की मार्च एवं जून 2007 में की गई संवीक्षा से पता चला कि उत्पाद दुकानों के विभिन्न श्रेणियों के 101 अनुज्ञप्तियाँ हालाँकि वर्ष 2002–03 से 2005–06 के दौरान 1.73 करोड़ रुपये (परिशिष्ट–VIII) राशि की अग्रिम फीस जमा नहीं किये थे, जैसा कि प्रत्येक वर्ष निर्गत बिक्री अधिसूचना के अन्तर्गत करना आवश्यक था, फिर भी विभाग द्वारा नीलामवाद प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की गई, जिसके कारण राजस्व अवरूद्ध रह गया।

3.9.2 नीलामवाद मामले दर्ज करने में विलम्ब के कारण ब्याज की हानि

लोक माँग वसूली अधिनियम, 1914 के अनुसार लोक माँग, जिससे नीलामवाद संबंधित है, पर ब्याज 12 प्रतिशत की वार्षिक दर से नीलामवाद हस्ताक्षर करने की तिथि से वसूली की तिथि तक लगाया जाना है। नीलामवाद मामले दर्ज करने में विलम्ब का प्रतिफल ब्याज के रूप में राजस्व की हानि होगी।

दो उत्पाद जिलों में जून एवं जुलाई 2007 में यह पाया गया कि वर्ष 1980–81 से 2003–04 से संबंधी बकाया माँग की राशि 21.84 लाख रुपये थी जिसके विरूद्ध विभाग ने नीलामवाद मामले एक से 22 वर्षों के विलम्ब से दायर किया था। इस प्रकार, नीलामवाद की कार्रवाई करने में विलम्ब के कारण ब्याज के रूप में 36.31 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई थी जो नीचे वर्णित है:

(लाख रुपये में)

उत्पाद जिलों के नाम	दुकानों की सं0	उत्पाद राजस्व से संबंधित वर्ष	नीलामवाद मामले दायर किये जाने का वर्ष	कुल बकाया	वसूलित बकाया	विलम्ब	12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज की हानि
मुंगेर–सह–जमुई–सह–लखीसराय–सह–शेखपुरा	28	1980-81से 2000-01	2002-03 से 2003-04	20.97	शून्य	3 से 22 वर्ष	35.37
गया	2	1992-93 एवं 1994-95	1994-95 एवं 1995-96	0.87	शून्य	एक से दो वर्ष	0.94
कुल	**30**			**21.84**			**36.31**

मामले सरकार को अगस्त 2007 में प्रतिवेदित किये गये थे; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2007)।

16 भोजपुर–सह–बक्सर, मुंगेर–सह–जमुई–सह–लखीसराय–सह–शेखपुरा एवं पूर्णिया

3.10 अभ्यर्पित दुकानों के लिए नये स्थल का पहचान नहीं किया जाना

उत्पाद आयुक्त ने अक्तूबर 2003 में अनुदेश निर्गत किया था कि जो दुकान अंततः अबन्दोबस्त रह जाते हैं उनके अभ्यर्पण को समर्पित करने के प्रस्ताव के साथ उनके लिए नये लाभकारी स्थल के चयन का भी प्रस्ताव भेजना चाहिए।

गया उत्पाद जिला के अभिलेखों की जुलाई 2007 में की गई समीक्षा के दौरान देखा गया कि 11 देशी शराब के दुकान जो अबन्दोबस्त पड़े थे उनके अभ्यर्पण के प्रस्ताव को बगैर नये लाभकारी स्थल के अनुशंसा के दिसम्बर 2003 में स्वीकार किया गया। नये स्थल के प्रस्ताव के अभाव के फलस्वरूप वर्ष 2004–05 के दौरान 25.20 लाख रुपये का राजस्व अवरूद्ध रहा (वर्ष 2003–04 के न्यूनतम गारंटी कोटा पर शुल्क एवं अनुज्ञप्ति फीस के आधार पर गणना की गई)।

मामले सरकार को अगस्त 2007 में प्रतिवेदित किये गये थे; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2007)।

अध्याय–IV: मोटर वाहनों पर कर

4.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2006–07 के अवधि में परिवहन कार्यालयों के अभिलेखों के नमूना जाँच से 172 मामलों में 41.63 करोड़ रुपये की राशि के मोटर वाहनों पर कर, फीस, अर्थदण्ड/जुर्माना आदि के नहीं/कम कर लगाये जाने का पता चला जो सामान्यतः निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं :

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि
1.	अर्थदण्ड एवं जुर्माना आरोपित नहीं किया जाना	09	0.97
2.	कर का नहीं/कम लगाया जाना	01	0.01
3.	अन्य मामले	162	40.65
	योग	**172**	**41.63**

वर्ष 2006–07 की अवधि में विभाग ने 116 मामलों में अन्तर्निहित 28.49 करोड़ रुपये का अवनिर्धारण तथा अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया जिन्हें वर्ष 2006–07 की अवधि में बतलाये गये थे।

दृष्टान्तस्वरूप 30.44 करोड़ रुपये से अन्तर्निहित कर प्रभाव वाले कुछ मामले का उल्लेख निम्नलिखित कंडिकाओं में की गई है:

4.2 योग्यता प्रमाण पत्र का अनियमित निर्गमन

केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989, के अन्तर्गत किसी भी परिवहन वाहन को योग्यता प्रमाण पत्र तब तक प्रदान नहीं किया जा सकता है, जब तक कि वाहन मालिक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में कर भुगतान का प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर लेते हैं। माननीय पटना उच्च न्यायालय के न्यायनिर्णय[1] के अनुसार योग्यता प्रमाण पत्र लेने हेतु टैक्स टोकन, जो कि कर भुगतान का एक साक्ष्य है, प्रस्तुत करना अपेक्षित है। पुनः राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार द्वारा 1994 में निर्गत कार्यपालक अनुदेशों के अनुसार मोटर वाहन निरीक्षकों को उन परिवहन वाहनों को योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान/नवीकरण करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिनके विरूद्ध कर का भुगतान नहीं किया गया है।

अगस्त 2006 एवं मार्च 2007 के बीच आठ जिला परिवहन कार्यालयों[2] के कराधान पंजियों के साथ योग्यता प्रमाण पत्र पंजियों में दर्ज प्रविष्टियों के तिर्यक जाँच के दौरान यह पाया गया कि कर का अद्यतन भुगतान सुनिश्चित किये बगैर 95 परिवहन वाहनों को योग्यता प्रमाण पत्र निर्गत कर दिये गये थे। इस चूक के कारण न केवल राज्य परिवहन आयुक्त के आदेश की अवहेलना हुई, बल्कि जुलाई 2002 एवं जुलाई 2006 के बीच की अवधि से संबंधित अर्थदण्ड सहित 2.74 करोड़ रुपये के कर की वसूली भी नहीं हुई।

मामले इंगित किये जाने के बाद छः जिला परिवहन पदाधिकारियों[3] ने अगस्त 2006 एवं मार्च 2007 के बीच कहा कि मामले को मोटर वाहन निरीक्षकों को अनुपालन हेतु संदर्भित किया जाएगा। जिला परिवहन पदाधिकारी, सहरसा ने मार्च 2007 में कहा कि मामले की जाँच की जायेगी तथा तदनूरूप कार्रवाई की जायेगी, जबकि जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना ने जनवरी 2007 में बताया कि माँग पत्र निर्गत किये जायेंगे। आगे उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2007)।

मामले सरकार को अप्रैल 2007 में प्रतिवेदित किये गये थे; उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2007)।

4.3 मोटर वाहन पर कर की वसूली नहीं किया जाना

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत मोटर वाहन कर का भुगतान उसी निबन्धन प्राधिकारी को किया जाना है जिसके क्षेत्राधिकार में वाहन निबन्धित है। निवास स्थान/व्यवसाय स्थल के परिवर्तन की स्थिति में, वाहन मालिक नये निबन्धन प्राधिकारी को कर का भुगतान कर सकता है, बशर्ते की पूर्ववर्ती निबंधन प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करें। पुनः निबंधन प्राधिकारी, वाहन मालिकों को कर के भुगतान से छूट प्रदान कर सकता है, यदि वह संतुष्ट हो कि वाहन मालिक द्वारा विहित शर्त्तों को पूरा कर लिया गया है। समय पर वसूली सुनिश्चित करने के लिए जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा माँग पत्र निर्गत किया जाना अपेक्षित है तथा माँग पत्र का जवाब नहीं दिये जाने की स्थिति में विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत कार्यपालक अनुदेशों के अनुसार नीलामवाद प्रक्रिया आरम्भ किया जाना है। 90 दिनों से भी अधिक समय तक कर का भुगतान नहीं किये जाने पर देय कर का 200 प्रतिशत की दर पर अर्थदण्ड के रूप में लगाया जाना है।

---

1 पटना जिला ट्रक संघ बनाम बिहार राज्य 1993(1) पी एल जे आर 211

2 बाँका, बेगुसराय, कटिहार, मोतिहारी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पटना एवं सहरसा

3 बाँका, बेगुसराय, कटिहार, मोतिहारी, मुंगेर एवं मुजफ्फरपुर

जुलाई 2006 एवं मार्च 2007 के बीच 30 जिला परिवहन कार्यालयों[4] के करारोपण पंजी के नमूना जाँच के दौरान यह पाया गया कि 1,198 परिवहन वाहन के मालिकों ने यद्यपि जुलाई 2002 एवं जून 2006 के बीच की अवधि से संबंधित 9.13 करोड़ रुपये के कर का भुगतान नहीं किया था फिर भी, जिला परिवहन पदाधिकारियों ने दोषी वाहन मालिकों से बकाये की वसूली हेतु कोई कार्रवाई नहीं की थी। किसी भी मामले में मालिकों के पते में परिवर्तन होने अथवा कर भुगतान से छूट प्राप्त करने के लिये वाहनों के कागजात अभ्यर्पित किए जाने का उल्लेख अभिलेख पर नहीं पाया गया। इसके फलस्वरूप 9.13 करोड़ रुपये के कर की वसूली नहीं हुई। इसके अलावे 200 प्रतिशत के दर पर 18.25 करोड़ रुपये का अर्थदण्ड भी आरोपित किया जाना था।

मामले इंगित किये जाने के बाद 26 जिला परिवहन पदाधिकारियों[5] ने जुलाई 2006 एवं मार्च 2007 के बीच कहा कि माँग पत्र निर्गत किया जायेगा, जिसपर तदन्तर नीलामवाद की कार्रवाई की जायेगी। जिला परिवहन पदाधिकारियों, खगड़िया एवं जहानाबाद ने नवम्बर 2006 में कहा कि जाँचोपरांन्त कार्रवाई की जायेगी। जिला परिवहन पदाधिकारी, जमुई ने नवम्बर 2006 में बतलाया कि माँग पत्र निर्गत कर दिया गया है। जिला परिवहन पदाधिकारी, अररिया ने दिसम्बर 2006 में कहा कि उत्तर बाद में दी जायेगी। हालाँकि दिया गया उत्तर, कर की वसूली हेतु वाहन मालिकों के विरूद्ध कार्रवाई नहीं किये जाने के कारणों के बारे में खामोश था, जबकि इसे लेखापरीक्षा में इंगित किया गया था। आगे उत्तर प्रतिवेदित नहीं किये गये हैं (नवम्बर 2007)।

मामले सरकार को जनवरी एवं जून 2007 के बीच प्रतिवेदित किये गये थे; उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2007)।

4.4 अभ्यर्पण में अन्तर्ग्रस्त वाहनों से कर की वसूली नहीं किया जाना

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम तथा उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत जब कोई मोटर वाहन मालिक किसी अवधि, जो एक समय में छः महीने से अधिक की न हो, अपने वाहन का उपयोग नहीं करना चाहता है, तो उसे वाहन का उपयोग नहीं किये जाने की अवधि के लिए कर भुगतान से सक्षम पदाधिकारी द्वारा छूट प्रदान किया जा सकता है बशर्ते कि छूट का दावा निबन्धन प्रमाण पत्र, योग्यता प्रमाण पत्र, टैक्स टोकन इत्यादि जैसे आवश्यक प्रलेखों को अभ्यर्पित कर दिये जाने के साक्ष्यों से समर्थित हो। उपरोक्त अवधि के विस्तार, यदि कोई हो, के लिये वाहन मालिक को समय–समय पर संबंधित करारोपण पदाधिकारी के समक्ष वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा। करारोपण पदाधिकारी को महीने में कम से कम एक बार वाहन के पार्किंग स्थल का औचक रूप में भौतिक सत्यापन करना है और वाहन के अभिलेख में इस निरीक्षण मेमो को दर्ज करना है। वचन पत्र में उल्लिखित अवधि के दौरान यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि मोटर वाहन का उपयोग किया जा रहा है अथवा वाहन को वचन पत्र में दर्शाये गये स्थान की अपेक्षा किसी अन्य स्थान पर रखा गया है तो इस अधिनियम के अन्तर्गत यह माना जायेगा कि उक्त सम्पूर्ण अवधि में कर का भुगतान किये बगैर वाहन का उपयोग किया गया है।

जुलाई 2006 एवं मार्च 2007 के बीच तीन जिला परिवहन कार्यालयों के कराधान/अभ्यर्पण पंजी एवं अन्य संबद्ध अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया

4 अररिया, औरंगाबाद, बाँका, बेगुसराय, भभुआ, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, छपरा, दरभंगा, गया, गोपालगंज, जहानाबाद, जमुई, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मोतिहारी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालन्दा, नवादा, पटना, सहरसा, समस्तीपुर, शेखपुरा, सिवान एवं वैशाली

5 औरंगाबाद, बाँका, बेगुसराय, भभुआ, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, छपरा, दरभंगा, गया, गोपालगंज, कटिहार, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मोतिहारी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालन्दा, नवादा, पटना, सहरसा, समस्तीपुर, शेखपुरा, सिवान एवं वैशाली

कि अभ्यर्पण में अन्तर्निहित 23 वाहनों से संबंधित 14.61 लाख रुपये के कर की वसूली उनके मालिकों से नहीं की गई थी, जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है :

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	जिला परिवहन कार्यालय का नाम	वाहनों की संख्या	सन्निहित कर की अवधि	अनियमितताएँ	कर प्रभाव
1.	नालन्दा	06	1 फरवरी 2003 से 31 मार्च 2006	आरम्भिक अभ्यर्पण अवधि के कालातीत हो जाने के बाद नये वचन पत्र प्राप्त किये बगैर 28 एवं 39 महीनों के बीच अवधि विस्तार की अनुमति दी गई थी।	8.31
2.	मुजफ्फरपुर	13	4 नवम्बर 2004 से 30 जून 2006	आरम्भिक अभ्यर्पण अवधि के कालातीत हो जाने के बाद नये वचन पत्र प्राप्त किये बगैर 16 एवं 20 महीनों के बीच अवधि विस्तार की अनुमति दी गई थी। पुनः 13 वाहनों में से एक मामले में आरम्भिक अभ्यर्पण दर्ज करने के समय योग्यता प्रमाण पत्र अभ्यर्पित नहीं किया गया था।	4.47
3.	मोतिहारी	04	1 दिसम्बर 2004 से 30 जून 2006	आरम्भिक अभ्यर्पण अवधि के कालातीत हो जाने के बाद नये वचन पत्र प्राप्त किये बगैर 13 एवं 18 महीनों के बीच अवधि विस्तार की अनुमति दी गई थी। पुनः चार वाहनों में से एक वाहन का अभ्यर्पण निबंधन प्रमाण पत्र के फोटो कॉपी के आधार पर अनियमित रूप से स्वीकार किया गया था।	1.83
	कुल	23			14.61

मामले इंगित किये जाने के बाद दो जिला परिवहन पदाधिकारियों[6] ने दिसम्बर 2006 एवं मार्च 2007 के बीच बतलाया कि अभ्यर्पण को रद्द करने संबंधी सूचनापत्र वाहन मालिकों को निर्गत कर दिया जायेगा। जिला परिवहन पदाधिकारी, नालन्दा ने मई 2007 में कहा कि कर की वसूली हेतु माँग पत्र पहले ही निर्गत कर दिया गया है। हालाँकि यह उत्तर आगे के अवधि के लिये वाहन मालिकों से नये वचन पत्र प्राप्त किये बगैर आरम्भिक अभ्यर्पण अवधि के अनियमित विस्तार एवं उचित कागजात के बगैर/कागजातों के फोटोकॉपी पर अभ्यर्पण की अनुमति देने के कारणों को स्पष्ट नहीं करता है। आगे उत्तर प्रतिवेदित नहीं किये गये हैं (नवम्बर 2007)।

6 मोतिहारी एवं मुजफ्फरपुर

मामले सरकार को अप्रैल एवं मई 2007 में प्रतिवेदित किये गये थे; उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2007)।

4.5 मोटर वाहनों के व्यवसायियों से व्यापार कर की वसूली नहीं/कम किया जाना

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम के प्रावधानों एवं उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत विनिर्माता अथवा व्यवसायी को उसके व्यवसाय के क्रम में अधिकार में रहे मोटर वाहनों पर एक विनिर्माता/व्यवसायी के रूप में विहित वार्षिक दर पर कर का भुगतान करना है। देय तिथि के अन्दर कर का भुगतान नहीं करने की स्थिति में देय कर का 25 एवं 200 प्रतिशत के बीच अर्थदण्ड आरोप्य है।

दो जिला परिवहन कार्यालयों[7] के अभिलेखों की अक्तूबर एवं दिसम्बर 2006 के बीच किये गये संवीक्षा से यह प्रकटित हुआ कि मोटर वाहनों के 12 व्यवसायियों ने वर्ष 2002–03 एवं 2005–06 की अवधि के बीच अपने अधिकार में रखे गये 9,360 दोपहिया एवं 151 तीन/चार पहियों वाली गाड़ियों हेतु या तो विहित दर पर कर का भुगतान नहीं किया था या कम कर का भुगतान किया था। जिला परिवहन पदाधिकारियों ने भी दोषी व्यवसायियों पर माँग सृजित नहीं किया। इसके फलस्वरूप अर्थदण्ड सहित 12.46 लाख रुपये के व्यापार कर की वसूली नहीं/कम हुई।

मामले इंगित किये जाने पर जिला परिवहन पदाधिकारी, बेगुसराय ने दिसम्बर 2006 में बतलाया कि व्यवसायियों से चालान प्राप्त कर इसकी जाँच की जाएगी। जिला परिवहन पदाधिकारी, मुंगेर ने अक्तूबर 2006 में कहा कि माँग पत्र निर्गत किया जाएगा। आगे उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2007)।

मामले सरकार को अप्रैल 2007 में प्रतिवेदित किए गए थे; उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2007)।

4.6 टैक्स टोकन का अनियमित निर्गमन

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति जो विहित कर का भुगतान करता है, को करारोपण पदाधिकारी इसके लिए विहित प्रपत्र में रसीद एवं टैक्स टोकन उपलब्ध कराएगा। पुनः करारोपण पदाधिकारी किसी मोटर वाहन से संबंधित वर्तमान अवधि का कर अथवा अर्थदण्ड, यदि कोई हो, तब तक स्वीकार एवं टैक्स टोकन निर्गत नहीं करेगा जब तक कि कर एवं देय अर्थदण्ड के बकाये का पूर्णरूपेण भुगतान/निपटारा न कर लिया गया हो।

जिला परिवहन पदाधिकारी, शेखपुरा के कराधान पंजी के फरवरी 2007 में नमूना जाँच के दौरान यह पाया गया कि जिला परिवहन पदाधिकारी ने जून 2002 से अक्तूबर 2006 के अवधि से संबंधित बकाए कर एवं अर्थदण्ड वसूल किये बगैर वर्तमान अवधि हेतु कर प्राप्त कर 19 परिवहन वाहनों को टैक्स टोकन निर्गत कर दिया। चूँकि किसी भी वाहन हेतु मूल कागजातों के अभ्यर्पण के पश्चात कर के भुगतान में छूट का दावा नहीं किया गया था, बकाए की वसूली किये बगैर वर्तमान कर की वसूली कर टैक्स टोकन निर्गत किया जाना अधिनियम का उल्लंघन था तथा इसके परिणामस्वरूप 5.32 लाख रुपये के सरकारी राजस्व की वसूली नहीं हुई।

मामला इंगित किये जाने पर जिला परिवहन पदाधिकारी ने फरवरी 2007 में बतलाया कि वाहन मालिकों को माँग पत्र निर्गत किया जायेगा। आगे उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2007)।

---

7 बेगुसराय एवं मुंगेर

मामला सरकार को मई 2007 में प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2007)।

4.7 स्पेशल एग्रीमेंट कार्ड का अनियमित निर्गमन

बिहार मोटरवाहन नियमावली के साथ पठित मोटरवाहन अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत परिवहन विभाग, बिहार सरकार ने अक्तूबर 2003 में स्पेशल एग्रीमेंट कार्ड योजना, जिसे गोल्डन कार्ड के नाम से भी जाना जाता है, की शुरूआत की। ये प्रीपेड कार्ड, मालवाहकों के भार क्षमता पर आधारित भिन्न–भिन्न मूल्यों, जिसमें अधिक मालों के माप एवं मालों को उतारने तथा इसके भंडारण इत्यादि पर शुल्क भी सम्मिलित है, के थे। योजना एवं राज्य परिवहन आयुक्त के कार्यपालक अनुदेशों के अनुसार उपरोक्त कार्ड अहस्तांतरणीय थे तथा बिहार में निबंधित वाहनों, जिनके पास वैध निबंधन प्रमाण पत्र, योग्यता प्रमाण पत्र, बीमा, परमिट तथा टैक्स टोकन थे एवं अन्य राज्यों में निबंधित वैसे वाहन जिन्हें निम्नतम 28 दिन का राज्य में परिचालन हेतु अस्थायी परमीट प्राप्त थे, एक कैलेन्डर माह हेतु जारी करना था।

तीन जिला परिवहन कार्यालयों[8] के स्पेशल एग्रीमेंट कार्ड से संबंधित अभिलेखों की दिसम्बर 2006 एवं मार्च 2007 के बीच नमूना जाँच में पाया गया कि कर का अद्यतन भुगतान, योग्यता प्रमाण पत्र, बीमा तथा वैध परमिट सुनिश्चित किये बगैर 2.31 करोड़ रुपये मूल्य के विभिन्न श्रृंखलाओं के 8,573 कार्ड, जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा अक्तूबर 2003 से नवम्बर 2006 की अवधि के दौरान निर्गत किये गये थे। स्पेशल एग्रीमेंट कार्ड, किन वाहनों को निर्गत किये गये थे, का विवरण दर्शाने हेतु कोई अभिलेख संधारित नहीं था। इस प्रकार, स्पेशल एग्रीमेंट कार्ड के उपयोग हेतु निर्धारित शर्तों की अवहेलना करते हुए 2.31 करोड़ रुपये मूल्य के 8,573 स्पेशल एग्रीमेंट कार्डों का, परिवाहकों द्वारा विभिन्न वाहनों हेतु उपयोग के लिए, अनियमित निर्गमन किया गया था, जो सरकारी राजस्व के क्षरण को प्रश्रय देता है।

मामले इंगित किये जाने के बाद दो जिला परिवहन पदाधिकारियों[9] ने दिसम्बर 2006 तथा मार्च 2007 के बीच बतलाया कि मामले को पूर्ववर्ती जिला परिवहन पदाधिकारियों को संदर्भित किया जाएगा, जबकि जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर ने मार्च 2007 में कहा कि मामले की जाँच नियमों एवं विनियमों के प्रावधानों के संदर्भ में की जाएगी। जिला परिवहन पदाधिकारियों, मोतिहारी एवं सहरसा के उत्तर मान्य नहीं हैं क्योंकि पदस्थ जिला परिवहन पदाधिकारी अभिलेखों की जाँच, कार्रवाई तथा लेखापरीक्षा अवलोकनों के समुचित उत्तर देने हेतु सक्षम प्राधिकारी थे। आगे उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2007)।

मामले सरकार को मई एवं जून 2007 में प्रतिवेदित किये गये थे; उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2007)।

---

8 मोतिहारी, मुजफ्फरपुर एवं सहरसा

9 मोतिहारी एवं सहरसा

अध्याय–V : अन्य कर प्राप्तियाँ

5.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2006–07 के दौरान निम्नलिखित प्राप्तियों के अभिलेखों की नमूना जाँच में 388 मामलों में अन्तर्निहित 83.10 करोड़ रुपये के कर, फीस, शुल्क, के अवनिर्धारण एवं राजस्व के हानि इत्यादि का पता लगा, जो सामान्यतः निम्नलिखित श्रेणियों में आते है :

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	श्रेणिया	मामलों की संख्या	राशि
क.	भू–राजस्व		
1.	सलामी एवं व्यावसायिक लगान का निर्धारण नहीं होना	101	36.63
2.	सन्निहित भूमि की बन्दोबस्ती नहीं होना	107	29.43
3.	उपकर एवं/या बकाया उपकर पर ब्याज का नहीं/ कम उद्ग्रहण	43	6.96
4.	सैरातों की बंदोबस्ती नहीं होना	48	1.04
5.	अन्य मामले	10	0.74
	कुल	309	74.80
ख.	प्रवेश कर		
1.	कर का नहीं/कम उद्ग्रहण	31	2.98
2.	कर के गलत दर का लगाया जाना	13	0.68
3.	अधिक कर संग्रह के लिए अर्थदंड नहीं लगाया जाना	4	0.26
4.	बिक्री राशि के गलत निर्धारण के कारण कम उद्ग्रहण	1	0.19
5.	कर से छूट की अनियमित अनुमति	2	0.08
6.	अन्य मामले	17	4.00
	कुल	68	8.19
ग.	मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस		
1.	संशोधित दरों की विलंब से प्राप्ति के कारण मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस की कम वसूली	4	0.01
2.	अन्य मामले	5	0.03
	कुल	9	0.04
घ	विद्युत शुल्क		
1.	विद्युत शुल्क की वसूली न होना	2	0.07
	कुल	2	0.07
	कुल योग	388	83.10

वर्ष 2006–07 के दौरान संबंधित विभागों ने 207 मामलों में सन्निहित 50.73 करोड़ रुपये के अवनिर्धारण एवं अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया जो वर्ष 2006–07 में इंगित किये गये थे। विभाग ने पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित 67 लाख रुपये की वसूली को प्रतिवेदित किया।

दृष्टान्तस्वरूप कुछ मामले जिसमें 2.47 करोड़ रुपये सन्निहित है, निम्नलिखित कंडिकाओं में उल्लेख किये गये हैं :

क : भू–राजस्व

5.2 भू–लगान का निर्धारण एवं वसूली नहीं किया जाना

26 अगस्त 1993 के प्रभाव से संशोधित बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 के प्रावधानों के तहत एक रैय्यत, समाहर्त्ता से पूर्व अनुमति लेकर भूमि को कृषि के अलावे अन्य कार्यों के लिए उपयोग में ला सकता है। समाहर्त्ता ऐसी अनुमति देने से पूर्व पुनः यह निश्चय कर लेंगे कि ऐसी भूमि का लगान तथा उपकर बाजार मूल्य के पाँच प्रतिशत तक परन्तु तीन प्रतिशत से कम न हो। भूमि के उपयोग में किसी प्रकार के परिवर्तन को पता लगाने हेतु अंचल अधिकारी को आवधिक सर्वेक्षण करना है तथा उप समाहर्त्ता, भूमि सुधार को प्रतिवेदन भेजना है। उप समाहर्ता भूमि सुधार, बशर्ते कि रैय्यत ने उपयोग में परिवर्तन हेतु अनुमति के लिए आवेदन नहीं दिया हो, सर्वेक्षण प्रतिवेदन के आधार पर वाणिज्यिक लगान निर्धारित कर भूतलक्षी प्रभाव से अनुमोदन देंगे तथा इसे माँग सृजन करने हेतु अंचल अधिकारी के पास भेजेंगे।

तीन अंचल अधिकारियों[1] के अभिलेखों की अगस्त से सितम्बर 2006 के दौरान किये गये संवीक्षा से पता चला कि वर्ष 2001–02 से 2005–06 के दौरान 25 रैय्यतों, जिनके पास कृषि प्रयोजन हेतु काश्तकारी थी, 38.16 एकड़ भूमि का उपयोग दुकानों, पेट्रोल पंपों, ईंट भट्ठा, चावल मिल, बैंक, कार्यालयों एवं होटलों इत्यादि जैसे वाणिज्यिक प्रयोजनों हेतु किया था। यद्यपि अंचल अधिकारियों ने वाणिज्यिक लगान के निर्धारण हेतु सर्वेक्षण प्रतिवेदन उप समाहर्ता, भूमि सुधार को भेजा था, उप समाहर्ता, भूमि सुधार ने इस पर कार्रवाई नहीं की। इसके परिणामस्वरूप कृषि भूमि का उपयोग वाणिज्यिक प्रयोजनों हेतु करने पर लगान एवं उपकर के माँग का सृजन अंचल अधिकारी नहीं कर सके थे। इस प्रकार सर्वेक्षण प्रतिवेदन के अधार पर भू–लगान एवं उपकर के निर्धारण में उप समाहर्ता, भूमि सुधार की विफलता के फलस्वरूप 1.18 करोड़ रुपये के राजस्व की वसूली नहीं हुई।

मामले इंगित किये जाने के बाद अंचल अधिकारियों, ने अगस्त तथा सितम्बर 2006 में बतलाया कि मामले संबद्ध उप समाहर्ता, भूमि सुधार को संदर्भित किये जायेंगे। आगे उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2007)।

मामले सरकार को मार्च एवं अप्रैल 2007 में प्रतिवेदित किये गये थे; उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2007)।

ख : प्रवेश कर

5.3 गलत दर पर प्रवेश कर लगाया जाना

बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपयोग, व्यवहार अथवा बिक्री हेतु मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम (प्रवेश कर अधिनियम), 1993 के अंतर्गत राज्य सरकार अगस्त 2003 में एक अधिसूचना जारी कर स्थानीय क्षेत्रों में मालों के प्रवेश पर कर के दरों को संशोधित किया। संशोधित दरों के अनुसार मोटर साईकिल एवं भारत निर्मित विदेशी शराब पर क्रमशः आठ एवं 16 प्रतिशत के दर पर प्रवेश कर आरोप्य था।

पाटलिपुत्र वाणिज्यकर अंचल के अभिलेखों की सितम्बर–अक्तूबर 2006 में नमूना जाँच के दौरान यह देखा गया कि वर्ष 2003–04 एवं 2005–06 के दौरान तीन व्यवसायियों ने 13.98 करोड़ रुपये मूल्य के मोटर साईकिल एवं भारत निर्मित विदेशी शराब मंगाया,

---

1 चेनारी, करगहर एवं शिवसागर

जैसा कि मासिक/वार्षिक विवरणी में दर्शाया गया था। हालाँकि निर्धारण प्राधिकारी अक्तूबर 2004 और मार्च 2006 के बीच कर निर्धारण पूरा करते समय प्रवेश कर का आरोपण या तो संशोधन से पूर्व के दर पर या लागू दर से कम दर पर किया, जिसके फलस्वरूप 46.14 लाख रुपये का प्रवेश कर कम लगाया गया।

मामले इंगित किए जाने के बाद निर्धारण प्राधिकारी ने अक्तूबर 2006 में बताया कि मामले की जाँच की जाएगी। आगे उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2007)।

मामला सरकार को मई 2007 में प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2007)।

5.4 आयात मूल्य के छिपाव के कारण प्रवेश कर का कम आरोपण

बिहार वित्त अधिनियम, 1981 के साथ पठित प्रवेश कर अधिनियम के अंतर्गत यदि विहित प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का ठोस कारण है कि व्यवसायी ने बिक्री राशि के ब्योरे को छिपाया या छोड़ा है या जानबूझकर प्रकट नहीं किया है अथवा ऐसी बिक्री राशि के लिए गलत विवरण दिया है तो उक्त प्राधिकारी वैसी बिक्री राशि पर व्यवसायी द्वारा देय कर की राशि का निर्धारण या पुनर्निर्धारण करेगा तथा छिपायी गयी बिक्री राशि पर निर्धारित किये गये कर के अतिरिक्त अर्थदण्ड जो कर का अधिकतम तीन गुणा तक किन्तु कम से कम कर के समतुल्य राशि होगा, भुगतान करने के लिए व्यवसायी को निर्देश देगा।

जून एवं अक्तूबर 2006 के बीच किये गये तीन वाणिज्यकर अंचलों की लेखापरीक्षा में तीन व्यवसायियों द्वारा दिये गये प्रतिवेदनों के साथ रोड परमिट उपयोगिता विवरणी, घोषणा प्रपत्रों, क्रय विवरणियों, व्यापार लेखाओं इत्यादि के तिर्यक जाँच से पता चला कि व्यवसायियों ने वर्ष 2001–02 एवं 2004–05 के बीच 4.60 करोड़ रुपये मूल्य के अनुसूचित मालों के आयात/क्रय का छिपाव किया। निर्धारण प्राधिकारी मार्च 2004 एवं जनवरी 2006 के बीच कर निर्धारण करते समय छिपाव का पता लगाने में विफल रहे, जिसके फलस्वरूप न्यूनतम आरोप्य अर्थदंड सहित 39.60 लाख रुपये के प्रवेश कर का कम आरोपण हुआ, जैसा कि नीचे दिया गया है:

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	अंचल का नाम / व्यवसायियों की सं.	अवधि / निर्धारण की माह	वस्तु / दर (प्रतिशत में)	वास्तविक क्रय / लेखापित किया गया क्रय	छिपाव की राशि	प्रवेश कर / अर्थदण्ड	कर का कम आरोपण	तिर्यक जाँचित अभिलेख
1.	पाटलिपुत्र / 1	2003-04 एवं 2004-05 / 10/2004 एवं 01/2006	लौह–इस्पात एवं पी भी सी सामग्रियाँ / 4; पेन्ट एवं मोटर वाहन / 5; विद्युत सामग्रियाँ / 8	2,896.99 / 2,651.00	245.99	10.09 / 10.09	20.18	क्रय विवरणी एवं हरा रोड परमिट की विवरणी
2.	सासाराम / 1	2001-02 / 11/2004	ट्रैक्टर[2] / 4 एवं 5	218.60 / 26.14	192.46	8.57 / 8.57	17.14	हरा रोड परमिट की विवरणी/ व्यापारिक लेखा एवं प्रतिवेदन
3.	भागलपुर / 1	2002-03 / 03/2004	तम्बाकू / 5	63.27 / 40.44	22.83	1.14 / 1.14	2.28	क्रय विवरणी एवं प्रतिवेदन
	कुल				461.28	19.80 / 19.80	39.60	

2 25 जुलाई 2001 के प्रभाव से दर को चार से पाँच प्रतिशत बढ़ा दी गई।

मामले इंगित किए जाने के बाद निर्धारण प्राधिकारी, भागलपुर एवं पाटलिपुत्र अंचल ने अगस्त एवं अक्तूबर 2006 में बताया कि मामले की जाँच की जाएगी जबकि निर्धारण प्राधिकारी, सासाराम ने जून 2006 में लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए मामले को संशोधित करने का आश्वासन दिया। आगे उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2007)।

मामले सरकार को दिसम्बर 2006 एवं मई 2007 में प्रतिवेदित किये गये थे; उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2007)।

5.5 व्यवसायियों के निबंधन नहीं होने के कारण कर का नहीं लगाया जाना

बिहार वित्त अधिनियम के साथ पठित प्रवेश कर अधिनियम एवं उसके अधीन बने नियमों एवं निर्गत अनुदेशों के अंतर्गत कुछ विनिर्दिष्ट सामग्रियों (अनुसूचित सामग्रियों) की बिहार में खपत, व्यवहार एवं बिक्री पर प्रवेश कर निर्धारित दर पर लगाया जाता है। प्रत्येक व्यवसायी जो प्रवेश कर अधिनियम के तहत कर भुगतान के लिए उत्तरदायी हैं, उसे निबंधन कराने के लिए विहित प्राधिकारी के समक्ष कर के भुगतान के लिए उत्तरदायी होने के सात दिनों के भीतर आवेदन करना होगा। निबंधन के लिए आवेदन करने में विफल होने पर कर के साथ–साथ प्रतयेक चूक दिवस के लिये 50 रुपये प्रति दिन की दर से अथवा कर की राशि के समतुल्य राशि में जो कम हो, अर्थदण्ड देना होगा।

पटना विशेष अंचल के अभिलेखों की नवम्बर 2006 में नमूना जाँच के दौरान पता चला कि दो व्यवसायियों, जो बिहार वित्त अधिनियम के अन्तर्गत निबंधित थे, ने वर्ष 2003–04 एवं 2004–05 के बीच 4.17 करोड़ रुपये मूल्य की अनुसूचित सामग्रियाँ मँगाई थी। व्यवसायियों ने प्रवेश कंर अधिनियम के अंतर्गत न तो स्वयं को निबंधित कराया था और न ही उपरोक्त सामग्रियों के आयात मूल्य पर प्रवेश कर का भुगतान किया था। निर्धारण प्राधिकारी, इन व्यवसायियों को प्रवेश कर अधिनियम के तहत निबंधित करने तथा विहित दर पर कर का आरोपण करने में भी विफल रहे। इसके फलस्वरूप अर्थदण्ड सहित 31.82 लाख रुपये के प्रवेश कर का आरोपण नहीं हुआ।

मामले इंगित किये जाने के बाद निर्धारण प्राधिकारी ने नवम्बर 2006 में बतलाया कि मामले कि जाँच की जाएगी। आगे उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2007)।

मामला सरकार को जून 2007 में प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2007)।

5.6 अर्थदण्ड नही लगाया जाना

बिहार वित्त अधिनियम के साथ पठित प्रवेश कर अधिनियम तथा इसके तहत बने नियमों के अन्तर्गत प्रत्येक व्यवसायी, जिसे कर की भुगतान की देयता प्रवेश कर अधिनियम के अंतर्गत बनती है, सभी अनुसूचित मालों के संबंध में एक सही एवं पूर्ण तथा उस पर भुगतेय कर का प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। बिहार वित्त अधिनियम पुनः प्रावधित करता है कि विहित प्राधिकारी को कर निर्धारण से पूर्व यदि बिक्री राशि के छिपाव का पता चलता है तो निर्धारित किये गये कर के अलावे अर्थदण्ड, जो कर का अधिकतम दुगुना किन्तु कम से कम कर के समतुल्य राशि तक होगा, भुगतान करने के लिये व्यवसायी को निर्देश देगा। प्रवेश कर अधिनियम पुनः प्रावधित करता है कि बिहार वित्त अधिनियम के अन्तर्गत विवरणियों, कर निर्धारण, पुनर्निर्धारण, बिक्री राशि का छिपाव, कर की वसूली, अपराध एवं अर्थदण्ड इत्यादि से संबंधित प्रावधान प्रवेश कर अधिनियम के तहत भी लागू होंगे। पुनः विभाग द्वारा नवम्बर 1998 एवं मई 2002 में निर्गत कार्यपालिका अनुदेशों के अनुसार निर्धारण प्राधिकारी को विवरणियों की समीक्षा

करनी है तथा चूककर्ता व्यवसायियों के विरूद्ध बिहार वित्त अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारंभ करनी है।

5.6.1 मुंगेर वाणिज्यकर अंचल के अभिलेखों की मई 2006 में की गई नमूना जाँच के दौरान यह देखा गया कि एक व्यवसायी ने वर्ष 2003–04 के दौरान अपने विवरणी में 15.69 लाख रुपये के अनुसूचित सामग्रियों के आयात को दर्शाया था। इन विवरणियों की रोड परमिट के उपयोगिता विवरणियों के साथ तिर्यक जाँच करने पर पता चला कि व्यवसायी ने वस्तुतः 1.71 करोड़ रुपये मूल्य के अनुसूचित सामग्रियों का आयात किया था। हालाँकि निर्धारण प्राधिकारी विवरणियों की समीक्षा तथा 1.55 करोड़ रुपये के आयात मूल्य के छिपाव का पता लगाने में विफल रहे, जिसके फलस्वरूप 6.80 लाख रुपये का न्यूनतम अर्थदण्ड नहीं लगाया गया।

मामले इंगित किए जाने के बाद निर्धारण प्राधिकारी ने मई 2006 में बताया कि मामले की जांच की जाएगी। आगे उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2007)।

5.6.2 भभुआ वाणिज्यकर अंचल के अभिलेखों की जुलाई 2006 में की गई नमूना जाँच के दौरान यह पाया गया कि वर्ष 2002–03 एवं 2003–04 की अवधि में एक व्यवसायी ने 4.68 करोड़ रुपये के सामग्रियों के वास्तविक क्रय, जैसा कि वाणिज्यकर आयुक्त, बिहार द्वारा निर्धारण प्राधिकारी को सूचित किया गया था, के विरूद्ध अपनी विवरणियों में 3.71 करोड़ रुपये के अनुसूचित सामग्रियों के आयात को दर्शाया था। हालाँकि निर्धारण प्राधिकारी वाणिज्यकर आयुक्त द्वारा उपलब्ध कराये गये सूचनाओं के आलोक में विवरणियों की समीक्षा करने में विफल रहे तथा इस प्रकार 96.93 लाख रुपये के छिपाव का पता नहीं लगा सके, जिसके कारण 3.88 लाख रुपये के न्यूनतम अर्थदण्ड का आरोपण नहीं हुआ।

मामले को इंगित किए जाने के बाद निर्धारण प्राधिकारी ने जुलाई 2007 में सूचित किया कि माँग का सृजन कर दिया गया है। वसूली का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2007)।

मामले सरकार को जनवरी एवं फरवरी 2007 में प्रतिवेदित किये गये थे; उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2007)।

अध्याय–VI : कर भिन्न प्राप्तियाँ

6.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2006–07 के निम्न प्राप्तियों के अभिलेखों के नमूना जाँच के दौरान 314 मामले में 252.37 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि/वसूली नहीं होना उद्घटित हुआ जिसे नीचे दर्शाया गया है :

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि
क.	खान एवं खनिज		
1.	"खान एवं खनिज से प्राप्तियाँ" (एक समीक्षा)	1	38.32
2.	नीलामवाद प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं किया जाना	7	34.99
3.	अर्थदण्ड/फीस का आरोपण नहीं किया जाना	36	30.64
4.	ब्याज का आरोपण नहीं किया जाना	9	9.17
5.	बालू घाट के नहीं/अनियमित बंदोबस्ती होने के कारण नीलामी राशि का आरोपण नहीं/कम किया जाना	6	3.81
6.	मुद्रांक एवं निबंधन फीस का आरोपण नहीं किया जाना	11	2.28
7.	सतही रेंट/डेड रेंट का कम आरोपण अथवा आरोपण नहीं किया जाना	4	1.47
8.	रॉयल्टी एवं उपकर का नहीं/कम आरोपण	1	0.20
9.	अन्य मामले	18	16.77
	कुल	93	137.65
ख.	जल दर		
1.	जल दर के निर्धारण में विलम्ब	11	10.85
2.	अन्य मामले	40	65.01
	कुल	51	75.86
ग.	वन प्राप्तियाँ		
1.	विभागीय चूकों के कारण राजस्व की हानि	115	13.54
2.	माँग का कम सृजन होना	1	2.08
3.	अन्य मामले	54	23.24
	कुल	170	38.86
	कुल योग	314	252.37

वर्ष 2006–07 के दौरान संबंधित विभागों ने 89 मामलों में शामिल 108.33 करोड़ रुपये के अवनिर्धारण एवं अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया जो वर्ष 2006–07 में इंगित किये गये थे।

"खान एवं खनिज से प्राप्तियाँ" पर समीक्षा के लेखापरीक्षा परिणाम जिसमें कुल 38.32 करोड़ रुपये के वित्तीय प्रभाव शामिल हैं एवं दृष्टांतस्वरूप 9.53 करोड़ रुपये से सन्निहित कुछ अन्य मामले निम्नलिखित कंडिकाओं में विवर्णित हैः

क : खान एवं खनिज

6.2 खान एवं खनिज से प्राप्तियाँ

मुख्य अंश

खान निदेशक द्वारा दोषी ईंट भट्ठा मालिकों द्वारा रॉयल्टी का भुगतान नहीं किये जाने का अनुश्रवण के लिए जिला खनन पदाधिकारियों द्वारा संधारित ईंट भट्ठा रजिस्टर के समीक्षा की प्रणालियों में कमी के कारण 7.89 करोड़ रुपये के अर्थदण्ड का आरोपण नहीं हुआ।

(कंडिका 6.2.7)

जिला खनन पदाधिकारियों/सहायक खनन पदाधिकारियों द्वारा प्रपत्रों के ब्योरे के सत्यापन को खान निदेशक द्वारा समीक्षा को सुनिश्चित करने की प्रणाली में कमी के कारण कार्य संवेदकों के विरूद्ध 12.79 करोड़ रुपये के अर्थदण्ड का आरोपण नहीं हुआ।

(कंडिका 6.2.8)

कोषागार आँकड़ों के साथ विभागीय आँकड़ों का मिलान करने में जिला खनन पदाधिकारियों की विफलता के फलस्वरूप 1.70 करोड़ रुपये का दुर्विनियोजन हुआ।

(कंडिका 6.2.10)

आठ जिला खनन कार्यालयों में 2001–02 से 2006–07 के दौरान 44 पत्थर के खानों और बालू घाटों के बन्दोबस्ती दस्तावेजों का निष्पादन नहीं होने के फलस्वरूप 3.60 करोड़ रुपये के मुद्रांक शुल्क का नहीं/कम वसूली हुई।

(कंडिका 6.2.12)

पाँच जिला खनन कार्यालयों में 9.64 करोड़ रुपये रक्षित मूल्य के 118 बालू घाटों के अबन्दोबस्त रहने के फलस्वरूप 8.95 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई।

(कंडिका 6.2.13)

6.2.1 प्रस्तावना

खनिजों का खनन, खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम (एम.एम.आर.डी. अधिनियम), 1957 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा बनाये गये बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली (बी.एम.एम.सी. नियमावली), 1972 एवं खनिज रियायत नियमावली (एम.सी. नियमावली), 1960 द्वारा शासित होता है। खनिजों के खनन से प्राप्तियाँ मुख्यतः रॉयल्टी, डेड रेंट, सतह रेंट, पट्टा/परमीट/संभावित अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन फीस, अर्थदण्ड, जुर्माना और बकायों का विलंब से भुगतान पर ब्याज द्वारा उपार्जित होती है। ईंट मिट्टी, भवन पत्थर, क्ले, चूना पत्थर और बालू इत्यादि राज्य में उपलब्ध लघु खनिज हैं।

लेखापरीक्षा में खान एवं खनिजों से प्राप्तियाँ की एक समीक्षा की गई थी। इसके दौरान काफी प्रणालीगत और अनुपालन त्रुटियों का पता चला जिसे आगे की कंडिकाओं में उल्लेख किया गया है।

6.2.2 संगठनात्मक ढाँचा

खान एवं खनिजों का विनियमन एवं विकास, खनिज रियायत प्रदान करना, निर्धारण, खनन बकायों का आरोपण एवं संग्रहण सरकार स्तर पर, आयुक्त सह सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा प्रशासित होते हैं। विभाग के प्रधान खान निदेशक होते हैं जिनकी सहायता सात खान उपनिदेशक, एक मुख्यालय एवं छः अंचल स्तर पर तथा जिलों में 27 जिला खनन पदाधिकारी/सहायक खनन पदाधिकारी द्वारा की जाती है। राजस्व निर्धारण, रॉयल्टी एवं अन्य खनन बकायों के आरोपण एवं संग्रहण का उत्तरदायित्व जिला खनन पदाधिकारी/सहायक खनन पदाधिकारी की होती है जो जिला खनन कार्यालय के प्रभारी होते हैं। अंचल के खान उपनिदेशक अपीलीय प्राधिकारी होते हैं एवं खान राजस्व के बकाया की वसूली हेतु नीलामवाद पदाधिकारी की शक्तियाँ भी उनमें समाहित हैं।

6.2.3 लेखापरीक्षा का उद्देश्य

समीक्षा यह जाँचने के लिए की गई थी किः

- खनन एवं रॉयल्टी की वसूली, डेड रेंट, सतही रेंट, पट्टा परमिट/संभावित अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन फीस, जुर्माना, अर्थदण्ड एवं विलम्ब से किये गये भुगतान पर ब्याज से संबंधित अधिनियमों/नियमों/प्रावधानों को सही तरह से लागू किया गया है;
- वसूल किये गये राजस्व का उचित लेखांकन सरकारी लेखा के उचित शीर्ष में हुआ; तथा
- विभाग के क्रिया कलाप के अनुश्रवण हेतु प्रभावी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली अस्तित्व में था।

6.2.4 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

27 में से नौ जिला खनन कार्यालयों[1], छः में से दो अंचलों[2] एवं खान निदेशालय के वर्ष 2001–02 से 2005–06 से संबंधित अभिलेखों की समीक्षा नवम्बर 2006 एवं जून 2007 के मध्य की गई थी। इकाइयों का चयन राजस्व संग्रहण[3] के आधार पर किया गया है।

6.2.5 स्वीकृति

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग, लेखापरीक्षा हेतु आवश्यक सूचना एवं अभिलेख को उपलब्ध कराने में खान एवं भूतत्व विभाग के सहयोग को स्वीकार करता है। समीक्षा के परिणामों को सरकार को जुलाई 2007 में अग्रसारित किया गया था और दिनांक 9 अक्तूबर 2007 की लेखापरीक्षा समीक्षा समिति की बैठक में प्रधान सचिव,

1 औरंगाबाद, भोजपुर, गया, जमुई, कैमूर, मुंगेर, नवादा, पटना और रोहतास

2 गया एवं पटना

3 वर्ष 2005–06 के दौरान कुल संग्रहण का 69 प्रतिशत

खान एवं भूतत्व विभाग के साथ इस पर विचार विमर्श किया गया था। सरकार के उत्तर को संबंधित कंडिकाओं में अनुकूलतः सम्मिलित कर लिया गया है।

लेखापरीक्षा परिणाम

6.2.6 राजस्व की प्रवृत्ति

वर्ष 2001–02 से 2005–06 के बजट आकलनों एवं वास्तविक प्राप्तियों के विवरण नीचे दिये गये हैं:

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	बजट आकलन	वास्तविक प्राप्तियाँ	भिन्नता	भिन्नता की प्रतिशतता
2001–02	50.00	39.20	(–)10.80	(–)21.60
2002–03	61.60	61.20	(–)0.40	(–)0.65
2003–04	75.00	73.34	(–)1.66	(–)2.21
2004–05	81.00	80.09	(–)0.91	(–)1.12
2005–06	81.00	100.90	(+)19.90	(+)24.57

विभाग की प्राप्तियाँ तदन्तर बढ़ती गई जो प्रोत्साहक प्रवृत्ति है। वर्ष 2005–06 में बजट आकलन से 19.90 करोड़ रुपये की वृद्धि मुख्यतः मिट्टी कार्य हेतु नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (एन.टी.पी.सी.), बाढ़ से रॉयल्टी की प्राप्ति एवं पत्थरों के खान की नीलामी और कार्य विभाग से अन्य प्राप्तियाँ थी।

प्रणालीगत त्रुटियाँ

6.2.7 ईंट भट्ठा से प्राप्तियाँ

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली एवं इसके अन्तर्गत निर्गत अधिसूचना (मार्च 2001) के अनुसार ईंट भट्ठा का वर्गीकरण विभिन्न श्रेणियों में किया गया है। ईंट भट्ठा मालिकों को रॉयल्टी की समेकित राशि को निर्धारित दर पर दो किस्तों (50 प्रतिशत का प्रथम किश्त भट्ठा के परिचालन से पूर्व एवं 50 प्रतिशत का द्वितीय किश्त उक्त वर्ष के मार्च माह के पूर्व) में भुगतान करना है। नियम 28 पुनः प्रावधित करता है कि खनन परमिट के प्रत्येक आवेदन के साथ 2000 रुपये देना होगा।

नियम 26 क के अनुसार ईंट मिट्टी निकालने वाला/ईंट भट्ठा मालिक विहित तरीके से रॉयल्टी की समेकित राशि का भुगतान करने में विफल रहता है तो उसे व्यवसाय को चालू रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी और सक्षम पदाधिकारी या कोई अन्य पदाधिकारी जो राज्य सरकार द्वारा इस हेतु प्राधिकृत किये गये हैं, वैसे व्यवसाय को बन्द कराने में सक्षम होंगे। आगे बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली के प्रावधान एवं सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों (अक्तूबर 1986) के अन्तर्गत जिला खनन पदाधिकारी/सहायक खनन पदाधिकारी/खान निरीक्षक का यह कर्त्तव्य है कि अवैध खनन के परिचालन का पता लगाने के लिए प्रत्येक महीने ईंट भट्ठे का निरीक्षण करें।

खान एवं खनिज विनियमन एवं विकास अधिनियम यह प्रावधित करता है कि ईंट भट्ठा मालिक द्वारा अधिनियम के प्रावधान का लगातार उल्लंघन करने पर एक अतिरिक्त जुर्माना, जो प्रथम वैसे उल्लंघन हेतु दोषी सिद्ध होने के बाद लगातार उल्लंघन करने पर, 500 रुपये प्रतिदिन तक होगा, आरोपित किया जा सकता है।

प्रत्येक जिला खनन पदाधिकारी द्वारा एक ईंट भट्ठा रजिस्टर का संधारण करना है जिसमें अनुज्ञप्तिधारियों का नाम एवं उनके द्वारा भुगतान की गई रॉयल्टी का वर्णन हो। **रॉयल्टी का भुगतान नहीं करने वाले दोषी ईंट भट्ठा मालिकों एवं अर्थदण्ड के आरोपण के अनुश्रवण हेतु जिला खनन पदाधिकारियों द्वारा संधारित ईंट भट्ठा रजिस्टरों को खान निदेशक द्वारा समीक्षा को सुनिश्चित करने हेतु कोई प्रणाली नहीं था। ऐसी प्रणाली के अभाव में विभिन्न प्रकार की त्रुटियों का पता चला जिनका उल्लेख नीचे किया गया है।**

6.2.7.1 ईंट मिट्टी के अवैध खनन के लिए अर्थदण्ड का आरोपण नहीं

वर्ष 2001–02 से 2005–06 के दौरान छः जिला खनन कार्यालयों[4] के अभिलेखों के नमूना जाँच में पाया गया कि 603 ईंट भट्ठा बिना परमिट एवं रॉयल्टी की समेकित राशि का भुगतान किये बगैर परिचालित थे। अतः ईंट भट्ठों का परिचालन अवैध था। **हालाँकि सभी ईंट भट्ठों का निरीक्षण जिला खनन पदाधिकारियों द्वारा किया गया था और अवैध परिचालन पाया गया था, लेकिन बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली के अन्तर्गत 3.16 करोड़[5] रुपये के अर्थदण्ड के आरोपण हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई थी** (परिशिष्ट–IX)।

6.2.7.2 लगातार उल्लंघन करने पर जुर्माना नहीं लगाये जाने के कारण हानि

पाँच जिला खनन कार्यालयों[6] के रजिस्टर एवं अन्य अभिलेखों के नमूना जाँच में पाया गया कि 82 दोषी ईंट भट्ठा मालिक वर्ष 2001–02 से 2005–06 के दौरान दो से पाँच वर्षों तक लगातार अवैध रूप से ईंट मिट्टी निकालने में संलग्न थे एवं बगैर परमिट प्राप्त किए और रॉयल्टी का भुगतान किए बिना भट्ठा का परिचालन कर रहे थे। **यद्यपि अवैध परिचालन की जानकारी विभागीय प्राधिकारियों को थी, लेकिन इसे बन्द कराने एवं जुर्माना आरोपित करने की कार्रवाई नहीं की गई थी।** अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों की लगातार अवहेलना के अतिरिक्त, इसके फलस्वरूप 4.73 करोड़ रुपये का अधिकतम अर्थदण्ड का आरोपण भी नहीं हुआ था, जैसा कि नीचे उल्लिखित है:

(लाख रुपये में)

क्रम संख्या	जिला खनन कार्यालय के नाम	दोषी ईंट भट्ठा मालिकों की संख्या	2001–02 से 2005–06 के दौरान उल्लंघन की अवधि	जुर्माना का नहीं लगाया जाना
1.	औरंगाबाद	17	2 से 5 वर्ष	107.68
2.	कैमूर	16	2 से 4 वर्ष	83.93
3.	नवादा	16	2 से 5 वर्ष	105.85
4.	पटना	16	2 से 4 वर्ष	73.00
5.	रोहतास	17	2 से 5 वर्ष	102.20
कुल		**82**	--	**472.66**

4 औरंगाबाद, भोजपुर, गया, कैमूर, पटना और रोहतास

5 उत्खनित मिट्टी के वास्तविक मूल्य के अभाव में ईंट भट्ठा मालिकों द्वारा भुगतेय रॉयल्टी पर मूल्य की गणना की गई है, जो कि लागत की गणना हेतु एक अवयव है।

6 कंडिका 6.2.7.1 में संदर्भित छः जिला खनन कार्यालयों में से चार जिला खनन कार्यालयों (औरंगाबाद, कैमूर, पटना एवं रोहतास) उभयनिष्ठ हैं।

इसे इंगित किये जाने के बाद, सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए कहा (अक्तूबर 2007) कि अवैध खनन रोकने हेतु अन्तर्विभागीय गश्ती दल का गठन किया जा चुका है और नीलामवाद दायर करने की कार्रवाई की जा रही है जहाँ पूर्व में नहीं किया गया था।

6.2.7.3 ब्याज का आरोपण नहीं किया जाना

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली के अनुसार सरकार को देय कोई रेंट, रॉयल्टी या फीस अथवा अन्य कोई रकम पर सरकार 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष के दर पर साधारण ब्याज प्रभारित कर सकती है।

तीन जिला खनन कार्यालयों/सहायक खनन कार्यालयों[7] के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान पाया गया कि वर्ष 2001–02 से 2004–05 की अवधि में 475 ईंट भट्ठा समेकित रॉयल्टी के भुगतान किए बगैर परिचालित थे और 293 ईंट भट्ठा, रॉयल्टी का एक हिस्सा ही भुगतान किए थे। जिला खनन पदाधिकारियों/सहायक खनन पदाधिकारियों ने प्रभावी नियंत्रण हेतु विहित रजिस्टर का संधारण नहीं किया था जिससे कि रॉयल्टी के भुगतान की तिथि का सत्यापन हो सके। उक्त रजिस्टर के अभाव में 3. 44 करोड़ रुपये के अभुगतित रॉयल्टी पर 2.27 करोड़ रुपये के ब्याज की राशि का आरोपण नहीं हो सका था (परिशिष्ट–X)।

मामले इंगित किये जाने के बाद सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए कहा (अक्तूबर 2007) कि ब्याज की वसूली हेतु कार्रवाई की जाएगी।

विभाग, राजस्व क्षरण को रोकने हेतु अवैध खनन के लिए जिला खनन पदाधिकारियों/सहायक खनन पदाधिकारियों को उत्तरदायी बनाने हेतु विचार कर सकती है। ईंट भट्ठा रजिस्टर को तैयार किया जा सकता है। अनुश्रवण के प्रयोजन हेतु खान निदेशक द्वारा ईंट भट्ठा रजिस्टर की उपयुक्त आवधिक समीक्षा भी निर्धारित किया जा सकता है।

6.2.8 खनिज के अवैध अधिप्राप्ति के लिए कार्य संवेदकों के विरूद्ध अर्थदण्ड का अरोपण नहीं किया जाना

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली प्रावधित करता है कि कार्य संवेदक केवल पट्टाधारी/अनुज्ञप्तिधारी और प्राधिकृत व्यवसायी से ही खनिज का क्रय करेंगे। कार्य विभाग, संवेदकों द्वारा किए गये कार्य में व्यवहृत खनिजों के लागत की वसूली हेतु जो विपत्र समर्पित किया जाता है, उसको तबतक स्वीकार नहीं करेगा जबतक वह निर्धारित प्रपत्र 'एम' एवं 'एन' जिसमें उस व्यवसायी का नाम एवं पता वर्णित हो, जिससे खनिज का क्रय किया गया था, द्वारा समर्थित न हो। जो पदाधिकारी उक्त विपत्र को प्राप्त करेगा, उसका कर्त्तव्य है कि प्रपत्र की छाया प्रति एवं ब्योरे को संबंधित जिला खनन पदाधिकारी/सहायक खनन पदाधिकारी को भेज दें। संबंधित जिला खनन पदाधिकारी/सहायक खनन पदाधिकारी द्वारा प्रपत्रों के सारांश के सत्यापन से अगर यह प्रकट होता है कि खनिज का क्रय किसी वास्तविक पट्टाधारी से नहीं किया गया है, तो यह माना जाएगा कि खनिजों की प्राप्ति अवैध खनन द्वारा की गई है और ऐसी परिस्थिति में उक्त जिला खनन पदाधिकारी/सहायक खनन पदाधिकारी, कार्य संवेदकों के विरूद्ध उन नियमों के प्रावधानानुसार कार्रवाई करेगा। **लेखापरीक्षा संवीक्षा से यह पता चला कि कार्य विभाग प्रपत्र 'एम' एवं 'एन' की छाया प्रति, जिला खनन**

---

7 भोजपुर, कैमूर तथा पटना

पदाधिकारियों/सहायक खनन पदाधिकारियों को प्रस्तुत नहीं कर रहे थे। जिला खनन पदाधिकारियों/सहायक खनन पदाधिकारियों द्वारा प्रपत्रों के ब्योरे को सत्यापन किया जा रहा था, इसकी खान निदेशक द्वारा समीक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रणाली भी नहीं थी। ऐसी प्रणाली के अभाव में काफी गलतियों का पता चला जो नीचे उल्लिखित हैं।

नौ जिला खनन कार्यालयों[8] के अभिलेखों के नमूना जाँच से पता चला कि तीन कार्य विभागों[9], ने, कार्य संवेदकों द्वारा उपयोग किए गए खनिजों का ब्योरा, जिला खनन पदाधिकारियों/सहायक खनन पदाधिकारियों को सत्यापन हेतु नहीं भेजा था। इसके बावजूद विभागों ने वर्ष 2001–02 से 2005–06 के अवधि के दौरान संवेदकों से व्यवहृत खनिजों के लिए 12.79 करोड़ रुपये के रॉयल्टी का आरोपण किया और सरकारी खाते में जमा कराया। यह दर्शाता है कि खनिजों का क्रय किसी प्राधिकृत पट्टाधारी/व्यवसायी से नहीं किया गया था एवं संवेदक रॉयल्टी के अतिरिक्त अर्थदण्ड के भुगतान के लिए भी उत्तरदायी थे। **लेकिन जिला खनन पदाधिकारियों/सहायक खनन पदाधिकारियों द्वारा कार्य विभागों से रॉयल्टी के ब्योरे की प्राप्ति के पश्चात सत्यापित करने के लिए कार्य विभाग से प्रपत्र 'एम' एवं 'एन' को मंगाने एवं अवैध खनन के मामले को पता लगाने हेतु कोई अनुवर्ती कार्रवाई प्रारम्भ नहीं किया गया था।** यह न केवल संवेदकों को अवैध रूप से खनिजों का क्रय/उत्खनन करने को प्रोत्साहित करता है बल्कि इसके फलस्वरूप 12.79 करोड़ रुपये राशि का अर्थदण्ड भी आरोपित नहीं किया गया जैसा कि नीचे दिखलाया गया है:

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	जिला खनन कार्यालयों के नाम	वर्ष	राशि
1.	औरंगाबाद	2001-02 से 2005-06	0.93
2.	कैमूर	2002-03 से 2005-06	1.21
3.	भोजपुर	2001-02 से 2005-06	1.98
4.	गया	2003-04 से 2005-06	2.02
5.	जमुई	2005-06	1.07
6.	मुंगेर	2001-02 से 2005-06	0.78
7.	नवादा	2001-02 से 2005-06	1.70
8.	पटना	2001-02 2005-06	2.98
9.	रोहतास	2005-06	0.12
कुल			**12.79**

टिप्पणी:– बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली के नियम 40 (8) के अनुसार खनिज के मूल्य में उत्पादन की लागत, हथालन व्यय, परिवहन लागत, रॉयल्टी, बिक्री कर एवं अन्य कर और उपकर तथा लाभ सम्मिलित है। लेकिन अवयवों के दरों के अभाव में खनिज के मूल्य के लिए केवल रॉयल्टी को ध्यान में रखा गया था।

8 औरंगाबाद, भोजपुर, गया, जमुई, कैमूर, मुंगेर, नवादा, पटना और रोहतास

9 लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग तथा शहरी विकास विभाग

मामले इंगित किये जाने के बाद सरकार ने अक्तूबर 2007 में कहा कि कोषागार पदाधिकारी को निर्देश निर्गत कर दिये गये हैं कि प्रपत्र 'एम' एवं 'एन' प्राप्त किए बगैर संवेदकों के विपत्र पर विचार न किया जाए। तथापि, इन गलतियों का पता लगाने में जिला खनन पदाधिकारियों/सहायक खनन पदाधिकारियों की विफलता पर उत्तर खामोश है।

सरकार, जिला खनन पदाधिकारियों/सहायक खनन पदाधिकारियों, जो प्रपत्र 'एम' एवं 'एन' के विवरणियों को प्राप्त एवं सत्यापन करने में विफल रहते हैं उन पर उत्तरदायित्व निर्धारित करने पर विचार कर सकती है।

6.2.9 राजस्व वसूली प्रणाली

बिहार वित्तीय नियमावली के अंतर्गत, नियंत्री पदाधिकारी का यह कर्त्तव्य है कि सरकारी बकायों का सही एवं वास्तविक निर्धारण, वसूली एवं कोषागार में जमा किये जाने को सुनिश्चित करे। लोक माँग वसूली अधिनियम के अन्तर्गत राजस्व पर्षद के निर्देशों के अनुसार माँग पदाधिकारी और नीलामवाद पदाधिकारी नीलामवाद मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए संयुक्त रूप से जिम्मेवार होंगे और किसी प्रकार की कठिनाई होने पर नीलामवाद मामलों के निष्पादन को सुनिश्चित करने हेतु इसकी सूचना बगैर विलम्ब के समाहर्त्ता को देंगे।

नीलामवाद की व्यवस्था लागू करने, आपत्तियों का त्वरित निष्पादन करने एवं शीघ्र कार्यान्वयन हेतु माँग पदाधिकारी प्राथमिक रूप से जिम्मेवार होंगे। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि कार्यान्वयन कार्यवाही संतोषजनक रूप में प्रगति पर है।

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली और समय–समय पर उसके अधीन निर्गत अनुदेशों के अन्तर्गत भुगतेय रेंट, रॉयल्टी एवं अर्थदण्ड की राशि, बिहार लोक माँग वसूली अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत लोक माँग के रूप में वसूलनीय होगा। तदनुसार बकाया की वसूली हेतु नीलामवाद प्रक्रिया प्रारंभ कर देना है, इस हेतु माँग पदाधिकारी को रजिस्टर IX में मामलों के विवरण को संधारित करना है और नीलामवाद हेतु नीलाम पदाधिकारी को प्रस्ताव भेजना है जो मामलों को रजिस्टर X में दर्ज करेंगे। **इन रजिस्टरों की प्रविष्टियों के मिलान हेतु समय–समय पर तिर्यक जाँच करनी है एवं समय पर नीलामवाद मामलों के निष्पादन को भी सुनिश्चित करना है।** पुनः अनुज्ञप्ति धारक/प्राधिकृत व्यवसायी के मामलों में, जो निर्धारित समय पर किसी तरह के सरकारी बकाया राशि के भुगतान करने में विफल रहते हैं तो देय तिथि से सात महीनों के अन्दर नीलामवाद दायर कर देना आवश्यक है।

6.2.9.1 बकाया राजस्व की स्थिति

खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा समर्पित वर्षवार राजस्व के बकायों का विवरण नीचे दिये गये हैं:

वर्ष (तक)	प्रोग्रेसिव राशि (करोड़ रुपये में)
2001-02	75.28
2002-03	83.93
2003-04	99.03
2004-05	116.63
2005-06	125.86

125.86 करोड़ रुपये के कुल बकाया राजस्व में से 106.26 करोड़ रुपये (84.42 प्रतिशत) नीलामवाद कार्रवाई से आच्छादित था।

मामला इंगित किये जाने के पश्चात सरकार ने अक्तूबर 2007 में बतलाया कि बकाये राशि की जल्द वसूली हेतु कार्रवाई की जाएगी।

6.2.9.2 नीलामवाद मामलों से संग्रहण

विभाग के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि लंबित नीलामवाद मामलों की उम्रवार विवरणी और उनके निष्पादन के साथ–साथ राशि की वसूली का वर्ष जिससे वह संबंधित थे, विभाग में उपलब्ध नहीं था। रजिस्टर IX, जिसे माँग पदाधिकारी द्वारा संधारित करना था, उचित तरीके से संधारित नहीं करने के कारण विभाग इस स्थिति में नहीं था कि बकाया राशि और वसूली की स्थिति का अनुश्रवण करे। जिला प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत होने वाले प्रतिवेदन/रिटर्न की व्यवस्था नहीं थी जिससे कि नीलामवाद के मामलों की स्थिति का पता चल सके। लेखापरीक्षा के अनुरोध पर विभाग संबंधित जिला प्राधिकारियों से वर्ष 2001–02 से 2005–06 के नीलामवाद बकाये का वर्षवार संग्रहण के आँकड़ों को प्राप्त किया जो नीचे उल्लिखित है:

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	नीलामवाद बकाये से संग्रहण					
	बकाया		संग्रहण		प्रतिशतता	
	मामलों की संख्या	राशि	निष्पादित मामलों की संख्या	प्राप्त राशि	मामले	राशि
2001-02	30,066	65.56	406	1.81	1.35	2.76
2002-03	अनुपलब्ध	75.15	409	1.74	अनुपलब्ध	2.31
2003-04	32,618	82.83	256	1.56	0.78	1.88
2004-05	32,417	96.24	176	0.83	0.54	0.86
2005-06	34,828	108.39	435	2.13	1.25	1.96

इस प्रकार, विभाग द्वारा नीलामवाद के मामलों का त्वरित निष्पादन हेतु अनुपालन की कार्रवाई प्रभावी नहीं था जिसके फलस्वरूप 106.26 करोड़ रुपये के बकाया राजस्व का संचय हुआ। लंबे अवधि तक लम्बित मामले से वसूली की संभावना भी दूरस्थ होती जा रही है।

मामला इंगित किये जाने के पश्चात् सरकार ने अक्तूबर 2007 में बतलाया कि मामलों की त्वरित निष्पादन हेतु कार्रवाई की जाएगी।

6.2.9.3 नीलामवाद दायर नहीं किया जाना

जिला खनन कार्यालय रोहतास एवं पटना के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि 65 लाख रुपये से सन्निहित वर्ष 2002–03 के 48 मामलों को संबंधित माँग पदाधिकारियों द्वारा रजिस्टर IX में दर्ज किया गया था और नीलामवाद दायर करने हेतु नीलामवाद पदाधिकारी को भेजा गया था। लेखापरीक्षा द्वारा नीलामवाद पदाधिकारी के रजिस्टर X की प्रविष्टियों के सत्यापन से प्रकट हुआ कि ये मामले नीलामवाद की

प्रक्रिया हेतु रजिस्टर में लेखांकित नहीं किए गये थे। राजस्व के बकाया विवरणी के अवलोकन से यह पता चला कि ये राशियाँ जिला खनन पदाधिकारी (माँग पदाधिकारी) के अभिलेखों में भी बकाया राजस्व के रूप में परिलक्षित नहीं हो रहा था। **इस प्रकार, रजिस्टर IX की प्रविष्टियों को, नीलामवाद पदाधिकारी द्वारा संधारित रजिस्टर X के प्रविष्टियों के साथ तिर्यक जाँच में माँग पदाधिकारी की विफलता के कारण नीलामवाद पदाधिकारी द्वारा नीलामवाद प्रारम्भ नहीं किया गया था।**

मामला इंगित किये जाने के पश्चात् सरकार ने अक्तूबर 2007 में कहा कि नीलामवाद की कार्रवाई प्रारम्भ की जाएगी।

राजस्व के हित में सरकार, नीलामवाद मामलों का समय से और त्वरित प्रारम्भ/निष्पादन को सुनिश्चित करने हेतु प्रणाली को सुदृढ़ करने का विचार कर सकती है।

6.2.10 सरकारी राजस्व का दुर्विनियोजन

बिहार वित्तीय नियमावली, भाग I के नियम 7 के अनुसार संबंधित नियंत्री पदाधिकारी का यह देखना कर्त्तव्य है कि सरकार के बकायों का सही एवं तत्परता से आकलन एवं वसूली हो रहा है और कोषागार में जमा हो गया है। तदनुसार उनको चाहिए कि अपने अधीनस्थ से उचित प्रपत्र में मासिक लेखा एवं रिटर्न जो इस तथ्य का दावा करता है कि कोषागार में राशि जमा की गई है या अन्य स्रोतों से लेखांकित किया गया है और जिसका मिलान कोषागार जमा से, जो महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार द्वारा प्रस्तुत किया गया है, यह देखने के लिए कि जो राशि संग्रहित प्रतिवेदित किया गया था, लोक लेखे में पूर्णरूपेण जमा किया गया है। यदि गलत जमा, नियंत्री पदाधिकारी के नजर में आता है तो उनको लेखाओं में सुधार हेतु तुरंत महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार को इसकी सूचना देनी चाहिए। यदि किसी राशि के जमा का दावा किया जाता है लेकिन वह लेखे में नहीं पाया गया तो इसकी खोजबीन संबंधित विभागीय पदाधिकारी से कराना चाहिए।

जिला खनन पदाधिकारियों/सहायक खनन पदाधिकारियों द्वारा खनिज प्राप्तियाँ संबंधित प्राप्त की गई राशि को बैंक ड्राफ्ट रजिस्टर/नगद राशि के लिए कच्चा चालान रजिस्टर में दर्ज किया जाना है। जिला खनन पदाधिकारी/सहायक खनन पदाधिकारी को प्राप्त राजस्व की विवरणी एवं सरकारी खाते में जमा संबंधित मासिक विवरणी भी भेजना है। उन्हें जमा राशि की सत्यता का कोषागार के अभिलेखों से भी सत्यापन करना है।

जिला खनन पदाधिकारी, नवादा द्वारा भेजे गए वर्ष 2003–04 एवं 2004–05 के मासिक रिटर्न की संवीक्षा से पता चला कि बालू घाटों के नीलामी से राजस्व के रूप में क्रमशः 1.96 करोड़ रुपये एवं 2.32 करोड़ रुपये प्राप्त किए गए थे और कोषागार में जमा किए गए थे। लेखापरीक्षा द्वारा कोषागार पदाधिकारी, नवादा के कोषागार प्राप्ति अनुसूची के तिर्यक जाँच से यह पता चला कि उक्त अवधि के दौरान मात्र 2.58 करोड़ रुपये सरकारी खाते में जमा किए गए थे। जिला खनन पदाधिकारी के द्वारा विभागीय आँकड़ों को कोषागार आँकड़ों के साथ मिलान करने में विफलता के फलस्वरूप 1.70 करोड़ रुपये का दुर्विनियोजन हुआ (परिशिष्ट–XI)।

मामला इंगित किये जाने के पश्चात् सरकार ने अक्तूबर 2007 में लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार करते हुए कहा कि कार्यालय के संबंधित कर्मचारियों के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारम्भ कर दी गई है।

विभाग के राजस्व आँकड़ों को कोषागार के वैसे आँकड़ों से प्रत्येक माह मिलान किये जाने को अनिवार्य करने का विभाग अनुदेश निर्गत कर सकती है।

6.2.11 आंतरिक लेखापरीक्षा

आंतरिक लेखापरीक्षा, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का एक अनिवार्य अंग है, जो संगठन को इस बात के लिए आश्वस्त करता है कि विहित प्रणाली अच्छी तरह से कार्यशील है। सरकार के विभिन्न विभागों की आंतरिक लेखापरीक्षा 1953 में वित्त विभाग के अन्तर्गत केन्द्रीयकृत किया गया था। लेखापरीक्षा द्वारा पूछे जाने पर वित्त (अंकेक्षण) विभाग ने कहा कि विभागों का आंतरिक लेखापरीक्षा, अधीनस्थ कार्यालयों के प्रशासनिक विभाग से प्राप्त अधियाचना के आधार पर किया जाता है। खान एवं भूतत्व विभाग के आंतरिक लेखापरीक्षा से संबंधित वित्त (अंकेक्षण) विभाग द्वारा वर्ष 2001–02 से 2005–06 के दौरान मात्र 15 अंकेक्षण प्रतिवेदन निर्गत किया गया था।

अंकेक्षण हेतु कार्यालयों की संख्या, वास्तविक में अंकेक्षित कार्यालयों की संख्या एवं आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की स्थिति, निर्गत कंडिकाएँ तथा उनके निष्पादन से संबंधित विवरणी, अनुरोध किये जाने के बावजूद खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था (नवम्बर 2007)। इसके अतिरिक्त न केवल खान एवं भूतत्व विभाग बल्कि आंतरिक अंकेक्षण प्रभाग इस स्थिति में नहीं था कि समीक्षा के वर्षों की अवधि में भेजी गई/प्राप्त की गई अभियाचना की संख्या को बता सके। **यह दर्शाता है कि प्रबंधन को प्रणाली के दोषपूर्ण क्रियाकलापों के क्षेत्रों को पता लगाने के लिए किसी तरह की व्यवस्था नहीं थी। अतः सही समय पर सुधारात्मक कार्रवाई हेतु कोई अवसर नहीं रह गया।**

इस प्रकार आंतरिक लेखापरीक्षा, जो किसी संगठन के प्रबंधन के पास उसके दक्षतापूर्ण क्रियाकलाप को सुनिश्चित करने हेतु एक महत्वपूर्ण साधन है, अप्रभावी और अपरिचालित रह गया।

सरकार, आंतरिक लेखापरीक्षा प्रभाग को प्रभावी बनाने के लिए समुचित मापदण्ड अपना सकती है।

अनुपालन त्रुटियाँ

6.2.12 मुद्रांक शुल्क, अधिभार एवं अतिरिक्त अधिभार का कम/नहीं लगाया जाना

6.2.12.1 बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली यह प्रावधित करता है कि किसी खनिज के उत्खनन के अधिकार को पाँच वर्षों के लिए पट्टा पर दिया जा सकता है और विहित ढंग से सार्वजनिक नीलामी द्वारा बन्दोबस्त किया जाए। प्रदान किए गये पट्टा विहित प्रपत्र "डी" में निष्पादित होगा या वैसे प्रपत्र में जो उसके समान हो, जैसा कि प्रत्येक मामले हेतु परिस्थिति माँग करता हो। नियम पुनः स्पष्ट करता है कि जहाँ खनन पट्टा प्रदान किया गया हो वहाँ पट्टे की स्वीकृति आदेश के 90 दिनों के अंदर विधिवत पट्टे का निष्पादन होगा एवं भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 के अन्तर्गत जैसा कि प्रावधित है, पट्टाधारी को तीन प्रतिशत[10] की दर से मुद्रांक शुल्क का भुगतान करना होगा। इसके अतिरिक्त बिहार वित्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधित मुद्रांक शुल्क के समतुल्य अधिभार एवं 10 प्रतिशत अतिरिक्त अधिभार भी आरोप्य है।

---

10 प्रपत्र "डी" के भाग IX के उपबन्ध 9 के अन्तर्गत उद्घोषित अनुमानित रॉयल्टी के गणना पर आधारित है।

तीन जिला खनन कार्यालयों[11] के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि 88.57 एकड़ की 44 पत्थर के खानों की बन्दोबस्ती 57.27 करोड़ रुपये पर फरवरी 2002 से जुलाई 2006 की बीच की गई थी। लेकिन विभाग ने 31 पत्थर खान के मामले में जिनमें नीलाम की राशि 55.55 करोड़ रुपये सन्निहित था, मुद्रांक शुल्क, अधिभार और अतिरिक्त अधिभार के 3.48 करोड़ रुपये का आरोपण नहीं किया था। 13 मामलों में विभाग ने 12.52 लाख रुपये के बदले मात्र 1.29 लाख रुपये के मुद्रांक शुल्क, अधिभार एवं अतिरिक्त अधिभार का आरोपण किया था। इसके फलस्वरूप 3.60 करोड़ रुपये के राजस्व की वसूली नहीं/कम हुई थी (परिशिष्ट–XII)।

मामले इंगित किये जाने के पश्चात् सरकार ने अक्तूबर 2007 में कहा कि जिला खनन कार्यालय, नवादा के मामले में मुद्रांक शुल्क वसूल किया गया था जो कि पट्टा दस्तावेज के मूल्य (वार्षिक आधारित) का पाचवाँ भाग है और शेष 30 मामलों में माँग का सृजन कर दिया जायेगा। उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि पाँच वर्ष के पट्टा अनुबंध के पाचवाँ भाग पर मुद्रांक शुल्क की वसूली वैध रूप में अनुमान्य नहीं है और जिस मूल्य पर बन्दोबस्ती हुई थी उस पूरे मूल्य पर मुद्रांक शुल्क आरोप्य था। शेष मामलों में मुद्रांक शुल्क की वसूली का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2007)।

6.2.12.2 बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली एवं दिसम्बर 2002 में भारत सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना प्रावधित करता है कि जहाँ उक्त बन्दोबस्ती सार्वजनिक नीलामी द्वारा की जाती है वहाँ साधारणतया 60 दिनों के अन्दर दस्तावेजों का निष्पादन होगा और भारतीय मुद्रांक अधिनियम में जैसा कि विहित है, मुद्रांक शुल्क प्रभारित होगा। बिहार वित्त अधिनियम के अन्तर्गत दस्तावेजों के निष्पादन हेतु मुद्रांक शुल्क के समतुल्य अधिभार के साथ–साथ 10 प्रतिशत अतिरिक्त अधिभार भी आरोपित किया जाना है।

सात जिला खनन कार्यालयों[12] के अभिलेखों की संवीक्षा से यह प्रकट हुआ कि कलेण्डर वर्ष 2004 एवं 2006 के बीच 47.30 करोड़ रुपये पर 245 बालू घाटों की बन्दोबस्ती हुई थी। लेकिन विभाग ने, जैसा कि नियम/अधिसूचना के अन्तर्गत अपेक्षित था, कोई बन्दोबस्ती दस्तावेजों का निष्पादन नहीं किया था। अतः प्रावधानों के अनुपालन में जिला खनन पदाधिकारियों/सहायक खनन पदाधिकारियों की विफलता के फलस्वरूप अधिभार एवं अतिरिक्त अधिभार सहित मुद्रांक शुल्क के मद में 1.02 करोड़ रुपये की वसूली नहीं हुई (परिशिष्ट–XIII)।

मामले इंगित किये जाने के पश्चात सरकार ने अक्तूबर 2007 में कहा कि लेखापरीक्षा अवलोकन के आलोक में माँग का सृजन किया जा चुका था। वसूली का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2007)।

6.2.13 बालू घाटों की बन्दोबस्ती नहीं होने के कारण हानि

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली के अन्तर्गत, लघु खनिज के रूप में बालू घाटों की बन्दोबस्ती संबंधित जिला समाहर्त्ता द्वारा वार्षिक आधार पर उच्चतर डाककर्त्ता को सार्वजनिक नीलामी द्वारा की जायेगी।

---

11 मुंगेर, नवादा तथा रोहतास

12 औरंगाबाद, भोजपुर, गया, कैमूर, नवादा, पटना और रोहतास

पाँच जिला खनन कार्यालयों[13] के बालू घाटों के अभिलेखों की संवीक्षा से यह प्रकट हुआ कि कैलेण्डर वर्ष 2002 से 2006 के दौरान 9.64 करोड़ रुपये के रक्षित मूल्य के 118 बालू घाटों की बन्दोबस्ती नहीं हुई थी। कैलेण्डर वर्ष 2002 और 2004 में रोहतास जिला के 27 में से 15 बालू घाटों का विभागीय परिचालन किया गया था और 6.02 करोड़ रुपये रक्षित मूल्य के विरूद्ध मात्र 68 लाख रुपये का ही संग्रहण हुआ था। चूँकि नदीय बालू का संचय एवं समापन एक सतत प्रक्रिया है, वर्ष दर वर्ष बालू घाटों के बन्दोबस्ती में प्रभावी कदम उठाने में कमी के कारण सरकार को 8.95 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई (परिशिष्ट–XIV)।

मामले इंगित किये जाने के पश्चात सरकार ने अक्तूबर 2007 में कहा कि बालू घाटों के बन्दोबस्ती हेतु कोई भी डाककर्त्ता नहीं आया। उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि विभाग ने विभागीय स्तर पर बालू घाटों का संचालन कर सकता था। पुनः बालू घाटों के विभागीय स्तर पर किये गये संचालन के मामलों में रक्षित मूल्य की वसूली में विभाग की विफलता पर भी उत्तर मौन है।

6.2.14 पत्थर खानों के अविवेकपूर्ण बन्दोबस्ती के कारण राजस्व की हानि

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली के नियम 52 (1) (i) जैसा कि मार्च 2001 से संशोधित है, के अनुसार नियम 9 क के अन्तर्गत अधिसूचित खनिज के संबंध में पत्थर के खानों को सार्वजनिक नीलामी द्वारा पट्टा पर देना/बन्दोबस्ती की जानी है। सरकार ने अगस्त 2001 में बिहार के सभी जिलों के पत्थर खानों के रक्षित मूल्य को अधिसूचित किया और तद्नुसार पट्टाधारी को केवल नीलामी राशि का भुगतान करना था।

जिला खनन कार्यालय, मुंगेर एवं रोहतास के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि 12 पत्थर खानों को अक्तूबर 2002 एवं मार्च 2004 के बीच पाँच वर्षों के लिए 4.42 करोड़ रुपये की नीलामी राशि पर सार्वजनिक नीलामी द्वारा बन्दोबस्त की गई थी। पट्टाधारियों ने मार्च 2006 तक उक्त पत्थर खानों से 4,20,96,181 घन फीट पत्थर का उत्खनन किया था। यदि संशोधन के पूर्व विहित तरीके से पट्टा पर दिया गया होता तो रॉयल्टी के रूप मे 11.91 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त होती। इस प्रकार, पत्थर के खानों को पट्टा पर देने के बदले नीलाम करने का सरकार का अविवेकपूर्ण निर्णय के कारण 7.50 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई (परिशिष्ट–XV)।

मामले इंगित किये जाने के पश्चात सरकार ने अक्तूबर 2007 में कहा कि निदेश निर्गत (नवम्बर 2004) किया गया था कि जिन मामलों में उत्खनित पत्थर से प्राप्त होने वाले रॉयल्टी की राशि, नीलामी राशि से अधिक हो, तो बन्दोबस्तीधारी को अंतर की राशि का भुगतान करना होगा। हालाँकि, इस प्रकार के सुधारात्मक निर्देशों को निर्गत करने में तीन वर्षों से अधिक के विलम्ब के संबंध में सरकार का उत्तर खामोश है, जिसके कारण लेखापरीक्षा में नमूना जाँचित इन 12 पत्थर के खानों के मामले में राजस्व की हानि हुई।

6.2.15 बालू घाटों के विभागीय परिचालन के कारण राजस्व की हानि

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली के नियम 11 क प्रावधित करता है कि एक कैलेण्डर वर्ष के लिए बालू घाटों की बन्दोबस्ती जिला समाहर्त्ता द्वारा उच्चतर डाककर्त्ता

---

13 औरंगाबाद, भोजपुर, कैमूर, पटना और रोहतास

को किया जाना है। दिसम्बर 2001 में सरकार ने तय किया कि यदि बालू घाट नीलामी द्वारा बन्दोबस्त नहीं होता है तो इनका परिचालन विभागीय स्तर पर कराया जाए।

सरकार ने, आदर्श चुनाव आचार संहिता के लागू रहने के कारण जनवरी से मार्च 2005 तक के अवधि के लिए बालू घाटों के बन्दोबस्ती, वर्ष 2004 के रक्षित मूल्य के आधार पर तीन महीने के आनुपातिक रक्षित फीस की गणना कर वर्ष 2004 के बन्दोबस्तीधारी के साथ बन्दोबस्त करने का निर्णय लिया था। तदनुसार, बालू घाटों के बन्दोबस्ती हेतु दिसम्बर 2004 में सभी जिला समाहर्त्ता को अनुदेश निर्गत कर दिये गये थे।

जिला खनन पदाधिकारी, मुंगेर के कैलेण्डर वर्ष 2005 के बालू घाटों के बन्दोबस्ती से संबंधित अभिलेखों के नमूना जाँच में पाया गया कि वर्ष 2004 के बन्दोबस्तीधारी पिछले 12 महीनों के औसत रक्षित मूल्य पर जनवरी से मार्च 2005 की अवधि के लिए 77.28 लाख रुपये का भुगतान करने हेतु सहमत थे। जिला समाहर्त्ता, लखीसराय ने दिसम्बर 2004 में मामले पर उपयुक्त दिशा निर्देश हेतु सरकार को संदर्भित किया था। विभाग ने निर्णय लिया कि पूर्व के बन्दोबस्तीधारी को यह कार्य आवंटित नहीं किया जाए और इस तर्क पर कि डाककर्त्ता इस कार्य को करने में सहमत नहीं है, कार्य को विभागीय स्तर पर कराने हेतु अनुदेश निर्गत कर दिया गया था। सरकार का यह तर्क मान्य नहीं है क्योंकि पूर्व के बन्दोबस्तीधारी द्वारा स्वीकार्य का लेखापरीक्षा अवलोकन को जिला खनन पदाधिकारी/सहायक खनन पदाधिकारी, लखीसराय द्वारा पुनः पुष्टि (नवम्बर 2007) की गई थी। विभाग ने विभागीय परिचालन से इस अवधि के दौरान मात्र 3.49 लाख रुपये ही संग्रहित कर पाया था। इस प्रकार पूर्व के बन्दोबस्तीधारी को कार्य आवंटित करने में विभाग की विफलता के फलस्वरूप 73.79 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई।

6.2.16 रेलवे ट्रैक के निर्माण में खनिजों का अवैध व्यवहार के लिए अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया जाना

फरवरी 2000 में भारत सरकार ने अधिसूचना निर्गत कर स्पष्ट किया कि तटबंध, सड़क, रेलवे एवं भवन के निर्माण में, भरने या सतहीकरण में व्यवहृत सामान्य मिट्टी लघु खनिज है। आगे, प्रत्येक सहायक खनन पदाधिकारी/जिला खनन पदाधिकारी को निर्माण कार्य में संलग्न संवेदकों की सूची रखना है।

बिहार खनिज समनुदान नियमावली (27) (1) प्रावधित करता है कि आवेदन प्राप्त होने पर, सक्षम पदाधिकारी अपने क्षेत्राधिकार में किसी निर्दिष्ट भूमि से खनिज का उत्खनन और हटाये जाने हेतु किसी व्यक्ति को प्रपत्र 'ई' में खनन अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकता है।

जिला खनन पदाधिकारी, नवादा के अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि रेलवे ट्रैक के निर्माण में 12.79 लाख घन मीटर मिट्टी एवं 72,000 घन मीटर मोरम[14] का उपयोग हुआ था जिसके लिये रेलवे संवेदकों से रॉयल्टी वसूल नहीं की गई थी। रेलवे संवेदकों ने मिट्टी एवं मोरम के उत्खनन हेतु अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए आवेदन नहीं दिया था। जिला खनन पदाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान पाया कि संवेदकों ने अवैध रूप से खनिज का उपयोग किया था जो बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली के दण्डात्मक प्रावधानों को आकर्षित करता है। यद्यपि, संवेदकों के विरूद्ध, 2.13 करोड़ रुपये के रॉयल्टी की वसूली हेतु तीन नीलामवाद दायर किये गये थे, लघु खनिज के

[14] सड़क का सतहीकरण करने में व्यवहृत मिट्टी एवं क्ले का मिश्रण

अवैध उत्खनन के लिए 2.13 करोड़ का अर्थदण्ड का आरोपण नहीं हुआ था, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

संवेदकों के नाम	15 रुपये प्रति घन मीटर की दर से मिट्टी भरने का कार्य	30 रुपये प्रति घन मीटर की दर से मोरम	भुगतेय रॉयल्टी (लाख रुपये में)
मोदी कन्स्ट्रक्शन प्रोपराइटर–श्री नवीन मोदी,काँके रोड, राँची	9,09,000 घन मीटर	-----	136.35
— तथैव —	3,00,000 घन मीटर	48,000 घन मीटर	59.40
मेसर्स एलाइड कम्पनी कोलकाता प्रोपराइटर–श्री अजय कुमार	70,000 घन मीटर	24,000 घन मीटर	17.70
कुल	**12,79,000**	**72,000**	**213.45**

मामला इंगित किये जाने के बाद सरकार ने अक्तूबर 2007 में बताया कि जिला खनन पदाधिकारियों/सहायक खनन पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश निर्गत कर दिया गया था। वसूली का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2007)।

6.2.17 पत्थर के खानों के पट्टे का अनियमित नवीनीकरण

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली के प्रावधान के अन्तर्गत खनन पट्टा के नवीनीकरण हेतु आवेदन, पट्टे के समाप्ति के पूर्व 90 दिनों तक लेकिन 180 दिनों के पहले नहीं करेगा। हालाँकि, सरकार ने मार्च 2001 में वर्तमान पट्टे के नवीनीकरण को खत्म कर दिया और नवादा जिले में पाँच वर्षों के लिए दो एकड़ के पट्टा के प्रत्येक इकाई का रक्षित मूल्य 11.50 लाख रुपये नियत कर दिया था।

जिला खनन कार्यालय, नवादा के अभिलेखों की संवीक्षा से यह प्रकट हुआ कि 162 एकड़ पत्थर के खान के पट्टे की अवधि 30 सितम्बर 2001 को समाप्त होना था। हालाँकि विभाग ने सरकार के आदेश की अवहेलना करते हुए पट्टेधारी के पक्ष में 7 अप्रैल 2001 को 53.10 एकड़ (162 एकड़ में से) का नवीनीकरण कर दिया। इसके बाद विभाग ने खान क्षेत्र को बगैर कब्जा किये ही अप्रैल 2007 में खनन पट्टा के परिचालन को स्थगित कर दिया। इस दौरान इस तरह के खनन परिचालन के अनियमित नवीनीकरण के कारण विभाग को नये बन्दोबस्ती से प्राप्य नियत रक्षित मूल्य के मद में 1.31 करोड़ रुपये[15] की हानि उठानी पड़ी।

सरकार, लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए अक्तूबर 2007 में कहा कि वसूली हेतु आदेश निर्गत कर दी गई थी। सरकार के आदेश का उल्लंघन कर इस तरह के अवैध नवीनीकरण से संबंधित कारणों से हालाँकि उत्तर खामोश है, जिसके कारण राजस्व की हानि उठानी पड़ी।

---

15 01.10.2001 से 31.03.2007 की अवधि अर्थात् 5 1/2 वर्ष

53.10/2 X 11.5 लाख/5 वर्ष X 5 1/2 वर्ष	=	335.86 लाख रुपये
मार्च 2007 तक प्राप्त राजस्व को घटाकर	=	(–) 204.87 लाख रुपये
(सहायक खनन पदाधिकारी, नवादा से विचार–विमर्श के अनुसार)		130.99 लाख रुपये

6.2.18 राजस्व प्राप्तियों का मिलान नहीं किया जाना

विभाग को उनके द्वारा संधारित अभिलेखों में प्राप्तियों के आँकड़ों को महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार के अभिलेखों में दर्ज आँकड़ों से मिलान करना है। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि समीक्षा के अवधि के दौरान मिलान का कार्य नहीं किया गया था। फलतः विभागीय आँकड़ों और महालेखाकार (ले0 एवं हक0) बिहार द्वारा तैयार की गई वित्त लेखे में सन्निहित आँकड़ों के बीच भिन्नता थी जो दिये गये हैः

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	वित्त लेखे के अनुसार प्राप्ति	विभाग के अनुसार प्राप्ति	अन्तर
2001-02	39.20	40.99	(+)1.79
2002-03	61.20	57.52	(-)3.68
2003-04	73.34	67.59	(-)5.75
2004-05	80.09	75.33	(-) 4.76
2005-06	100.90	96.39	(-) 4.51

मामले इंगित किये जाने के बाद सरकार ने अक्तूबर 2007 में कहा कि सभी जिला खनन पदाधिकारियों/सहायक खनन पदाधिकारियों को आँकड़ों के मिलान हेतु आवश्यक निर्देश दिया जा चुका है।

6.2.19 निष्कर्ष

खनन प्राप्तियाँ राज्य का द्वितीय सबसे बड़ा कर भिन्न प्राप्तियाँ है। लेखापरीक्षा समीक्षा में खनन प्राप्तियों के आरोपण एवं संग्रहण की प्रणाली में त्रुटियाँ का पता चला जो राजस्व के क्षरण को बढ़ावा दिया एवं अवैध तथा अनधिकृत खनन परिचालन हेतु अर्थदण्ड का आरोपण भी नहीं हुआ। विभाग में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली बहुत ही कमजोर था जैसा कि जिला खनन पदाधिकारियों/सहायक खनन पदाधिकारियों द्वारा विहित रजिस्टर के संधारण और उपयुक्त कार्रवाई करने में विफलता से प्रमाणित होता है। आंतरिक लेखापरीक्षा किसी भी संगठन के पास उसके दक्षतापूर्ण क्रियाकलाप को सुनिश्चित करने हेतु एक महतवपूर्ण साधन है, उचित ध्यान के अभाव में अप्रभावी एवं अपरिचालित रह गया।

6.2.20 अनुशंसाओं का सार

प्रणालीगत एवं अनुपालन बिन्दुओं के सुधारने हेतु सरकार निम्नलिखित अनुशंसाएँ लागू करने पर विचार कर सकती हैः

- राजस्व के क्षरण को रोकने के लिए अवैध खनन हेतु जिला खनन पदाधिकारियों/सहायक खनन पदाधिकारियों को उत्तरदायी बनायें। ईंट भट्ठा रजिस्टर तैयार कराया जाये। अनुश्रवण के प्रयोजन हेतु खान निदेशक द्वारा ईंट भट्ठा रजिस्टर की उपयुक्त आवधिक समीक्षा भी निर्धारित किया जा सकता है;

- उन जिला खनन पदाधिकारियों/सहायक खनन पदाधिकारियों पर, जो प्रपत्र 'एम' एवं 'एन' में विवरणों को प्राप्त एवं सत्यापित करने में विफल रहते हैं, उत्तरदायित्व निर्धारित करे;

- राजस्व के हित में नीलामवाद मामले का समय पर एवं त्वरित प्रारंभ/निष्पादन को सुनिश्चित करने हेतु प्रणाली को सुदृढ़ करे;

- प्रत्येक माह विभाग के राजस्व आँकड़ों को कोषागार के आँकड़ों से मिलान को अनिवार्य करने के लिए अनुदेश निर्गत हो; एवं

- आंतरिक अंकेक्षण प्रभाग को प्रभावी बनाने हेतु उचित मापदण्ड अपनाएँ।

ख : जल दर

6.3 खतियानी के माँग का सृजन नहीं किया जाना

बिहार सिंचाई अधिनियम, 1997 एवं उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत सिंचाई कार्यों के लिये जल आपूरित किये गये लाभार्थियों से जलदर की वसूली हेतु खरीफ के लिये 30 नवम्बर, रबी के लिये 30 अप्रैल एवं गर्मा फसलों के लिये 15 जून तक, सिंचाई विभाग द्वारा सिंचित भूमि की विवरणी (सूदकार), कृषकवार मापी (खेसरा) तथा माँग विवरणी (खतियानी)[16] तैयार करना है। इन विवरणियों को वसूली हेतु विभाग के राजस्व प्रमण्डलों को भेजा जाना है।

सात प्रमंडलों[17] के अभिलेखों की अप्रैल एवं नवम्बर 2006 में किये गये नमूना जाँच में पाया गया कि वर्ष 2001–02 से 2005–06 के दौरान खरीफ का 2.11 लाख हेक्टेयर एवं रबी का 2.17 लाख हेक्टेयर सिंचित भूमि हेतु खतियानी तैयार नहीं की गई थी तथा सिंचाई विभाग द्वारा सम्बन्धित राजस्व प्रमण्डलों को नहीं भेजा गया था। इसके फलस्वरूप खरीफ के लिये 4.55 करोड़ रुपये एवं रबी फसलों के लिये 4.01 करोड़ रुपये के जलदर की माँग का सृजन एवं संग्रहण नहीं हुआ।

मामले इंगित किये जाने के बाद तीन प्रमण्डलों[18] के कार्यपालक अभियन्ताओं ने जून एवं सितम्बर 2006 के बीच बतलाया कि जल्द से जल्द खतियानी तैयार करने हेतु कार्रवाई की जायेगी। दो प्रमण्डलों[19] के कार्यपालक अभियन्ताओं ने सितम्बर एवं अक्तूबर 2007 के बीच बतलाया कि माँग सृजित कर दिया गया है अन्य कार्यपालक अभियन्ताओं ने खतियानी तैयार नहीं होने का कारण कर्मियों की कमी को ठहराया। उनका जवाब मान्य नहीं हैं, क्योंकि प्रमण्डलों में स्वीकृत बल के संदर्भ में पर्याप्त कर्मी उपलब्ध थे। आगे उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (नवम्बर 2007)।

---

16 सिंचित भूमि की संकलित माँग

17 डेहरी प्रमण्डल, डेहरी; गंगा पम्प प्रमण्डल, चौसा; सिंचाई प्रमण्डल, बौंसी, बिजीखोरबा तथा लक्ष्मीपुर (बाँका में); सोन नहर प्रमण्डल, बिक्रमगंज एवं बक्सर।

18 डेहरी प्रमण्डल, डेहरी; सिंचाई प्रमण्डल, लक्ष्मीपुर (बाँका में) एवं सोन नहर प्रमण्डल, बिक्रमगंज

19 गंगा पंप नहर प्रमण्डल, चौसा एवं सोन नहर प्रमण्डल, बक्सर

मामले सरकार को अक्तूबर 2006 एवं अप्रैल 2007 के बीच प्रतिवेदित किए गए थे; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2007)।

6.4 कृषि योग्य चाट भूमि की बन्दोबस्ती नहीं किये जाने के कारण राजस्व की हानि

बिहार सिंचाई नियमावली एवं उसके अधीन निर्गत अनुदेशों के अन्तर्गत चाट भूमि[20] की कृषि हेतु बन्दोबस्ती/नवीकरण प्रत्येक वर्ष जून से मार्च तक की अवधि के लिये, नौ महीनों के पट्टे पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा भूमिहीन किसानों को प्राथमिकता के आधार पर किया जाना है। इसके लिए, जलदर सहित विहित दर पर बन्दोबस्ती राशि की वसूली कर बन्दोबस्ती हेतु उपलब्ध चाट भूमि के लिए नहर अवर प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा आवेदन की माँग करनी है। चाट भूमि के बन्दोबस्त राशि सभी बकायों के साथ अग्रिम में ही वसूल कर लेनी है।

सोन नहर अवर प्रमंडल, करगहर, डेहरी प्रमण्डल के अभिलेखों की जुलाई 2006 में नमूना जाँच से पता चला कि 580.29 एकड़ कृषि योग्य चाट भूमि में से 307.82 एकड़ भूमि की बन्दोबस्ती कालातीत हो गई। लेकिन विभाग ने न तो पूर्व में बन्दोबस्त किये गये लोगों के साथ भूमि को पुर्नबन्दोबस्त करने हेतु कोई पहल की और न ही भूमि की नई बन्दोबस्ती हेतु कोई आवेदन की माँग की गई। इसके बजाए, पूर्व में बन्दोबस्ती लेने वालों द्वारा भूमि को अनधिकृत रूप से अधिकार में रखे गये थे। इस प्रकार, वर्ष 2002–03 से 2005–06 की अवधि के बीच भूमि की बन्दोबस्ती करने में विभाग की विफलता के फलस्वरूप 10.83 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई।

मामला इंगित किये जाने के बाद कार्यपालक अभियन्ता ने जुलाई 2006 में बतलाया कि खाली भूमि की बन्दोबस्ती हेतु कदम उठाये जाएँगे। जबकि जवाब इतने लम्बी अवधि तक के लिए चाट भूमि के अबन्दोबस्ती के कारणों, जिससे राजस्व की हानि हुई, के प्रति मौन था। आगे उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2007)।

मामला सरकार को नवम्बर 2006 में प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2007)।

ग. : वन प्राप्तियाँ

6.5 संग्रहित/दावा नहीं किये गये लकड़ी का निष्पादन नहीं होने के कारण राजस्व का अवरुद्ध होना

बिहार वन उत्पाद (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1984 प्रावधित करता है कि राज्य के वनों से संग्रहित किये गये अथवा संग्रहित किये जाने वाले सभी वन उत्पादों का निस्तारण, प्रत्येक वर्ष अधिमानतः अप्रैल माह के समाप्त होने से पहले, सार्वजनिक निलामी द्वारा किया जाना है। इसके अलावे, दावा नहीं किये गये लकड़ी को भारतीय वन अधिनियम, 1927 के प्रावधानों के अन्तर्गत सार्वजनिक निलामी के माध्यम से निस्तारित किया जाना था।

---

20 नहर के दोनों किनारों पर अवस्थित सरकारी भूमि।

पाँच वन प्रमण्डलों[21] के अभिलेखों की मई एवं नवम्बर 2006 के बीच किये गये नमूना जाँच से पता चला कि 40.69 लाख रुपये मूल्य के विभिन्न प्रजातियों की 1,678.679 घन मीटर लकड़ियों एवं 505 घेरे के खम्भे वर्ष 2001–02 से 2005–06 के दौरान संग्रहित/जब्त किये गये थे तथा मार्च 2006 तक निष्पादित नहीं किये गये थे। इसके फलस्वरूप 40.69 लाख रुपये का राजस्व अवरूद्ध रहा।

इसे इंगित किये जाने के बाद प्रमण्डलीय वन पदाधिकारी, गया ने बतलाया कि विभिन्न डिपो से लकड़ियों को बेच दिया जाएगा। उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि निष्पादन हेतु प्रमण्डलीय वन पदाधिकारी द्वारा कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया था। प्रमण्डलीय वन पदाधिकारी, पूर्णिया ने बतलाया कि सभी बकाये ढेरों को प्रत्येक माह नीलामी पर रखा जाता था, परन्तु रैय्यती भूमियों से बाजार में आयी सुखी लकड़ियों की प्रचुर उपलब्धता के कारण बकाये ढेरों की बिक्री धीमी थी। प्रमण्डलीय वन पदाधिकारी, सासाराम ने बतलाया कि लकड़ियों का निस्तारण नये मानदण्डों के अनुसार किया जा रहा था। तथापि यह उत्तर जब्त लकड़ियों के निस्तारण के अनावश्यक विलम्ब पर कोई प्रकाश नहीं डालता है, जिसके कारण वन डिपों में नहीं बेची गई लकड़ियों का संचयन हुआ। अन्ततोगत्वा लकड़ियों का क्षय हुआ एवं परिणामस्वरूप राजस्व की हानि हुई।

मामले सरकार को अप्रैल एवं मई 2007 के बीच प्रतिवेदित किए गए थे; उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2007)।

6.6 अतिक्रमित वन भूमि से बेदखल नहीं किया जाना

समय समय पर संशोधित भारतीय वन अधिनियम के अन्तर्गत वन भूमि का अतिक्रमण एक संज्ञेय तथा गैर जमानती अपराध है। कोई भी वन पदाधिकारी, जो प्रमण्डलीय वन पदाधिकारी के पद से नीचे का न हो, के पास यह विश्वास करने का ठोस कारण हो कि सरकारी वन भूमि का अतिक्रमण किया गया है तो अतिक्रमण करने वाले को बेदखल तथा बिहार पब्लिक लैंड इनक्रोचमेंट एक्ट, 1956 के तहत एक दण्डाधिकारी को प्रदत्त सभी शक्तियों का उपयोग कर सकता है। अतिक्रमण करने वालो से वन उत्पादों एवं वन भूमि की क्षति हेतु रॉयल्टी एवं क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भी भारतीय वन अधिनियम प्रावधित करता है।

वन भूमि का अतिक्रमण सतत जारी रहना तथा उसपर किसी प्रकार का अनधिकृत क्रियाकलाप, माननीय उच्चतम न्यायालय के अतिक्रमणकारियों से पूर्ण बेदखल करने के आदेश[22] की अवहेलना मानी जायेगी। प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार ने शीर्ष न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में शिथिलता बरतने वाले वन पदाधिकारियों के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई हेतु जून 2003 में निर्देश निर्गत किये थे।

जमुई तथा सासाराम वन प्रमण्डलों में मई एवं सितम्बर 2006 में यह पाया गया कि 18 मामलों में 14.9229 हेक्टेयर क्षेत्र के वन भूमि का अतिक्रमण किया गया था। प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा जारी किये गये निदेश तथा शीर्ष न्यायालय के आदेशों के बावजूद अतिक्रमणकारियों से वन भूमि की बेदखली सुनिश्चित करने हेतु विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। खड़े पेड़ों की क्षति का मुआवजा हेतु अतिक्रमणकारियों से वसूल की जाने वाली राजस्व का निर्धारण भी विभाग द्वारा नहीं किया गया।

---

21 गया, जमुई, मुंगेर, पूर्णिया एवं सासाराम

22 टी0 एन0 गोदावरम् थिरूमलपद बनाम संघ सरकार, समादेश याचिका (सिविल)–1995 का 202

प्रति हेक्टेयर 5.80 लाख रुपये के न्यूनतम शुद्ध वर्तमान मूल्य पर, अतिक्रमित वन भूमि का मूल्य 86.56 लाख रुपये है।

मामले इंगित किये जाने के बाद प्रमण्डलीय वन पदाधिकारी, सासाराम ने सितम्बर 2006 में बतलाया कि बेदखली की कार्रवाई प्रारम्भ कर दी गई है, जबकि प्रमण्डलीय वन पदाधिकारी, जमुई ने कोई जवाब नहीं दिया। आगे उत्तर प्राप्त नही हुए हैं (नवम्बर 2007)।

मामले सरकार को अप्रैल 2007 में प्रतिवेदित किए गए; उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2007)।

पटना
दिनांक 26 FEB 2008

(अरूण कुमार सिंह)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक 29 FEB 2008

(विनोद राय)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट–V

(संदर्भ–कंडिका 3.5)

अनुज्ञप्तियों का विस्तार नही किया जाना

क्रम संख्या	कार्यालय का नाम	वर्ष	देशी शराब			मशालेदार देशी शराब			भारत निर्मित विदेशी शराब			
			मासिक रिजर्व फीस	दुकानों की संख्या	विस्तार की गई अवधि का कोटा (एल पी. एल. में)	मासिक रिजर्व फीस	दुकानों की संख्या	विस्तार की गई अवधि का कोटा (एल. पी. एल. में)	मासिक रिजर्व फीस	दुकानों की संख्या	विस्तार की गई अवधि का कोटा	
											एल. पी. एल. में	बी. एल. में
1.	सहायक उत्पाद आयुक्त, पटना	2004-05	-	-	-	1,58,995.00	12	41,892.00	3,83,799.00	10	34,800.00	52,294.00
2.	उत्पाद अधीक्षक,मधेपुरा	तथैव	50,325.00	07	6,360.00	15,868.00	05	2,904.00	62,095.00	04	6,123.00	3,105.00
3.	उत्पाद अधीक्षक, पूर्णिया	तथैव	2,27,585.00	05	शेष दुकानों के बीच वितरित किया गया कोटा	72,325.00 + 7,232.00	10	शेष दुकानों के बीच वितरित किया गया कोटा	47,674.00	02	शेष दुकानों के बीच वितरित किया गया कोटा	शेष दुकानों के बीच वितरित किया गया कोटा
4.	उत्पाद अधीक्षक, अररिया–सह–किशनगंज	तथैव	3,43,090.00	17	22,796.90	38,252.00	04	6,411.75	1,55,562.00 + 18,370.00	9+1	15,751.25	6,648.75
5.	सहायक उत्पाद आयुक्त, भोजपुर–सह–बक्सर	तथैव	3,18,288.00	18	1,11,102.10	37,758.00	07	10,665.00	89,304.00	08	15,263.00	15,986.00
6.	सहायक उत्पाद आयुक्त, रोहतास–सह–कैमूर	तथैव	2,52,871.00	11	74,586.00	20,674.00	03	5,190.00	5,225.00	01	5,685.00	7,290.00
7.	उत्पाद अधीक्षक, मुंगेर–सह–जमुई–सह–लखीसराय–सह–शेखपुरा	तथैव	30,384.00	06	4,711.00	-	-	-	28,014.00	01	788.00	365.00
8.	सहायक उत्पाद आयुक्त, गया	तथैव	1,36,493.00	11	41,226.00	30,035.00	12	8,267.00	1,05,429.00	17	32,961.00	6,937.00
	कुल		**13,59,036.00**	**75**	**2,60,781.90**	**3,81,139.00**	**53**	**35,329.75**	**8,95,472.00**	**53**	**1,11,371.25**	**92,625.75**

दुकानों की संख्या			रिजर्व फीस	राशि	शुल्क एम.जी.क्यू.	दर	राशि
75	1	देशी शराब	13,59,036 x 3=	40,77,108.00	2,60,781.90	35	91,27,366.50
53	2	मशालेदार देशी शराब	3,81,139 x 3=	11,43,417.00	35,329.75	40	14,13,190.00
53	3	भारत निर्मित विदेशी शराब	8,95,472x 3=	26,86,416.00	1,11,371.25	100	1,11,37,125.00
					92,625.75	8	7,41,006.00
				(क) 79,06,941.00			**(ख) 2,24,18,687.50**

कुल (क+ख) **3,03,25,628.50 रुपये**

परिशिष्ट–VI

(संदर्भ–कंडिका 3.6.2)

अग्रिम फीस के भुगतान में चूक

क्रम संख्या	कार्यालय का नाम	वर्ष	दुकानों की संख्या	मासिक रिजर्व फीस (रुपये में)	वार्षिक कोटा		अभ्युक्तियाँ
					भा. नि. वि. श.	बीयर	
1.	सहायक उत्पाद आयुक्त, पटना	2002-03 एवं 2004-05	2 (भा.नि.वि.श.)	57,289.00 34,100.00	15,937 -	53,540 -	(1) 6,87,000 रुपये की वसूली हेतु प्रारंभ की गई नीलामवाद मामले 29 मार्च 2003 को निरस्त कर दिये गये। (2) 15 मार्च 2005 को निरस्त कर दिया गया। 75,000 रुपये भुगतान किया गया। शेष 1,23,367 रुपये से 80,720 रुपये में समाहर्त्ता द्वारा जमानत राशि से समायोजित कर दिया गया।
2.	उत्पाद अधीक्षक, अररिया–सह–किशनगंज	2002-03	1 (दे.श.) 4 (म.दे.श.) 3 (भा.नि.वि.श.)	1,66,445.00	12120 (दे.श.) 53,759 (म.दे.श.) 4588 (भा.नि.वि.श.) 3076		20 अप्रैल 2002 को अररिया एंव 13 अपैल 2002 को किशनगंज में दुकान को निरस्त किया गया।
3.	सहायक उत्पाद आयुक्त, रोहतास–सह–कैमूर	2003-04	1 (दे.श.)	63,030.00	25264 (दे.श.)		11 जून 2003 को समाहर्त्ता, रोहतास द्वारा निरस्त किया गया।
4.	उत्पाद अधीक्षक, मुंगेर–सह–जमुई–सह–लखीसराय–सह–शेखपुरा	2004-05	7 (दे.श.) 2 (म.दे.श.) 1 (भा.नि.वि.श.)	94,428.00	42105 (दे.श.) 3170 (म.दे.श.) 1095 (भा.नि.वि.श.) 1095		09 जुलाई 2004 को समाहर्त्ता, मुंगेर तथा 16 अगस्त 2004 को समाहर्त्ता, लखीसराय ने दुकान को निरस्त किया।

रुपये 4,15,292 X 6 माह
= 24,91,752
(-) 75,000
24,16,752
(-) 80,720
= 23,36,032

परिशिष्ट–VII
(संदर्भ–कंडिका 3.7)
राजस्व शीर्ष में अनियमित जमा

(राशि रुपये में)

क्रम संख्या	कार्यालय का नाम	2002-03			2003-04			2004-05			2005-06		
		देशी शराब	मशालेदार देशी शराब	भारत निर्मित विदेशी शराब	देशी शराब	मशालेदार देशी शराब	भारत निर्मित विदेशी शराब	देशी शराब	मशालेदार देशी शराब	भारत निर्मित विदेशी शराब	देशी शराब	मशालेदार देशी शराब	भारत निर्मित विदेशी शराब
1.	सहायक उत्पाद आयुक्त, पटना	1,04,34,170	-	-	62,936	-	-	7,91,25,000	-	3,06,57,669	-	-	-
2.	उत्पाद अधीक्षक,मधेपुरा	2,73,682	97,208	3,31,250	1,38,432	-	77,505	18,34,700	2,08,616	15,62,811	3,73,251	-	10,59,866
3.	उत्पाद अधीक्षक, पूर्णिया	17,67,375	-	-	-	42,980	-	-	-	41,61,160	1,05,47,279	-	-
4.	उत्पाद अधीक्षक, अररिया–सह–किशनगंज	7,81,495	2,77,682	6,72,970	8,56,358	1,48,701	5,85,156	9,43,980	1,80,202	11,76,594	1,47,05,459	1,02,09,435	10,25,681
5.	सहायक उत्पाद आयुक्त, भोजपुर–सह–बक्सर	38,04,253	5,16,544	9,99,042	1,04,890	37,793	-	64,56,439	9,23,692	37,17,163	2,68,005	-	7,92,578
6.	सहायक उत्पाद आयुक्त, रोहतास–सह–कैमूर	36,48,878	2,69,962	7,50,305	5,38,791	63,289	77,743	96,24,027	6,47,462	21,73,316	-	-	20,20,834
7.	उत्पाद अधीक्षक, मुंगेर–सह–जमुई–सह–लखीसराय–सह – शेखपुरा	7,47,714	1,30,202	6,11,388	37,785	-	14,300	55,17,367	3,03,340	24,91,319	-	-	19,77,526
8.	सहायक उत्पाद आयुक्त, गया	6,00,357	63,886	4,92,650	1,90,231	2,880	87,050	16,22,055	71,342	10,53,154	-	-	25,94,758
		22057924	**13,55,484**	**38,57,605**	**19,29,423**	**2,95,643**	**8,41,754**	**10,51,23,568**	**23,34,654**	**4,69,93,186**	**2,58,93,994**	**1,02,09,435**	**94,71,243**

2002-03 2,72,71,013
2003-04 30,66,820
2004-05 5,44,51,408
2005-06 4,55,74,672
रुपये **23,03,63,913**

परिशिष्ट–VIII
(संदर्भ–कंडिका 3.9.1)
बकाया अनुज्ञप्ति फीस

(राशि रुपये में)

क्रम संख्या	कार्यालय का नाम	वर्ष	अनुज्ञप्तियों की संख्या	बकाया अनुज्ञप्ति फीस
1.	उत्पाद अधीक्षक, पूर्णिया	2003-04	13	2,81,883
		2005-06	24	1,07,61,000
2.	सहायक उत्पाद आयुक्त, भोजपुर–सह–बक्सर	2004-05	8	11,82,656
		2005-06	1	1,00,000
3.	उत्पाद अधीक्षक, मुंगेर–सह–जमुई–सह–लखीसराय–सह–शेखपुरा	2002-03	7	78,983
		2003-04	6	1,73,028
		2004-05	37	2,63,847
		2005-06	5	44,18,501
कुल			**101**	**1,72,59,898**

परिशिष्ट– IX
(संदर्भ–कंडिका 6.2.7.1)
ईंट मिट्टी के अवैध खनन के लिए अर्थदण्ड का आरोपण नहीं

(राशि रूपये में)

जिला खनन कार्यालयों के नाम	वर्ष	अर्थदण्ड की राशि सहित ईट भट्ठों की संख्या एवं श्रेणी							भुगतित रॉयल्टी की राशि	आरोप्य अर्थदण्ड (9-10)
		श्रेणी I	90,000 रूपये प्रति ईंट भट्ठा की दर से रॉयल्टी की राशि	श्रेणी II	70,000 रूपये प्रति ईंट भट्ठा की दर से रॉयल्टी की राशि	श्रेणी III	50,000 रूपये प्रति ईंट भट्ठा की दर से रॉयल्टी की राशि	कुल रॉयल्टी की राशि (4+6+8)		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1. औरंगाबाद	05-06	-	-	-	-	**32**	16,00,000	16,00,000	शून्य	16,00,000
2. कैमूर	01-02	-	-	3	2,10,000	21	10,50,000		शून्य	
	02-03	-	-	-	-	31	15,50,000		शून्य	
	03-04	-	-	-	-	32	16,00,000		शून्य	
	04-05	-	-	-	-	30	15,00,000		शून्य	
	कुल	-	-	**3**	2,10,000	**114**	57,00,000	59,10,000	शून्य	59,10,000
3. भोजपुर (i) आरा	05-06	-	-	**2**	1,40,000	**37**	18,50,000	19,90,000	शून्य	19,90,000
(ii) बक्सर	05-06	-	-	**5**	3,50,000	**35**	17,50,000	21,00,000	शून्य	21,00,000
4. गया	04-05	-	-	-	-	152	76,00,000		शून्य	
	05-06	-	-	-	-	75	37,50,000		शून्य	
	कुल	-	-	-	-	**227**	113,50,000	113,50,000	शून्य	113,50,000
5. पटना	04-05	14	12,60,000	11	7,70,000	55	27,50,000		शून्य	
	05-06	7	6,30,000	10	7,00,000	35	17,50,000		शून्य	
	कुल	**21**	**18,90,000**	**21**	**14,70,000**	**90**	**45,00,000**	**78,60,000**	**शून्य**	**78,60,000**
6. रोहतास	05-06	-	-	1	70,000	**15**	7,50,000	8,20,000	शून्य	8,20,000
कुल योग		**21**	**18,90,000**	**32**	**22,40,000**	**550**	**2,75,00,000**	**3,16,30,000**	**शून्य**	**3,16,30,000**

श्रेणी I - 21
श्रेणी II - 32
श्रेणी III- 550
कुल - 603

परिशिष्ट– X

(संदर्भ–कंडिका 6.2.7.3)

ब्याज का आरोपण नहीं किया जाना

(रूपये लाख में)

जिला खनन कार्यालयों के नाम	वर्ष	बिना भुगतान किए श्रेणी (भट्ठों की संख्या)				भुगतान नहीं की गई राशि	आंशिक भुगतान श्रेणी (भट्ठों की संख्या)				आंशिक भुगतान राशि			कुल बकाया	24 प्रतिशत की दर से ब्याज
		I	II	III	कुल		I	II	III	कुल	आरोप्य	भुगतित	अभुगतित		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
भोजपुर (बक्सर)	01-02	--	7	34	41	22.72	--	8	39	47	26.04	11.44	14.60	37.32	35.83
	02-03	--	2	20	22	11.88	--	17	22	39	23.68	15.55	8.13	20.01	14.41
	03-04	--	--	16	16	8.32	--	11	30	41	23.72	15.33	8.39	16.71	8.02
	04-05	--	2	28	30	16.00	--	9	40	49	27.28	18.05	9.23	25.23	6.06
	कुल	**--**	**11**	**98**	**109**	**58.92**	**--**	**45**	**131**	**176**	**100.72**	**60.37**	**40.35**	**99.27**	**64.32**
भोजपुर (आरा)	01-02	--	9	63	72	39.22	--	13	28	41	23.92	14.30	9.62	48.84	46.89
	02-03	--	10	21	31	18.12	--	8	8	16	9.92	5.33	4.59	22.71	16.35
	03-04	--	--	15	15	7.80	--	5	14	19	10.88	6.42	4.46	12.26	5.88
	04-05	--	1	33	34	17.88	--	8	33	41	22.92	12.79	10.13	28.01	9.72
	कुल	**--**	**20**	**132**	**152**	**83.02**	**--**	**34**	**83**	**117**	**67.64**	**38.84**	**28.80**	**111.82**	**75.84**
कैमूर	03-04	--	--	32	32	16.64	--	--	--	--	--	--	--	16.64	7.99
	कुल	**--**	**--**	**32**	**32**	**16.64**	**--**	**--**	**--**	**--**	--	--	--	**16.64**	**7.99**
पटना	01-02	19	9	47	75	48.40	--	--	--	--	--	--	--	48.40	46.46
	02-03	7	6	28	41	25.32	--	--	--	--	--	--	--	25.32	18.23
	03-04	4	4	17	25	15.40	--	--	--	--	--	--	--	15.40	7.39
	04-05	12	6	23	41	27.32	--	--	--	--	--	--	--	27.32	6.56
	कुल	**42**	**25**	**115**	**182**	**116.44**	**--**	**--**	**--**	**--**	--	--	--	**116.44**	**78.64**
कुल योग		**42**	**56**	**377**	**475**	**275.02**	**--**	**79**	**214**	**293**	**168.36**	**99.21**	**69.15**	**344.17**	**226.79**

परिशिष्ट–I

(संदर्भ– कंडिका 3.2.1)

न्यूनतम गारंटी कोटा का उठाव नहीं किये जाने के कारण राजस्व की हानि

क्रम संख्या	कार्यालय का नाम	दुकानों के प्रकार	2002–03		2003–04		2004–05		2005–06		विगत चार वर्षो का योग		कोटा का कम उठाव	शुल्क की हानि (रुपये में)
			कोटा	उठाव	कोटा	उठाव	कोटा	उठाव	कोटा	उठाव	कोटा	उठाव		
1.	मधेपुरा	देशी शराब	55246.00	47654.00	14096.00	9076.00	30573.00	19856.00	-	-	99915.00	76586.00	23329.00	816515.00
		मशालेदार देशी शराब	87108.00	27727.50	75427.00	22386.00	29523.00	13719.56	-	-	192058.00	63833.06	128224.94	5128997.60
		भारत निर्मित विदेशी शराब	125304.00	63644.38	113003.00	66863.96	82641.00	18956.07	149994.00	77783.68	470942.00	227248.00	243693.91	24369391.00
2.	पूर्णियाँ	देशी शराब	418560.00	177184.00	439488.00	223744.00	283309.00	223744.00	-	-	1141357.00	624672.00	516685.00	18083975.00
		मशालेदार देशी शराब	69130.00	-	72586.00	3496.00	11064.00	3496.00	-	-	152780.00	6992.00	145788.00	5831520.00
		भारत निर्मित विदेशी शराब	197378.00	178016.58	207247.00	181177.19	194100.00	178954.47	291635.00	151271.00	598725.00	538148.24	60576.76	6057676.00
3.	अररिया–सह –किशनगंज	देशी शराब	312225.00	275804.00	327864.00	253176.00	341057.00	228302.00	-	-	981146.00	757282.00	223864.00	7835240.00
		मशालेदार देशी शराब	133102.00	33936.31	139361.00	41283.53	171588.00	372426.00	-	-	444051.00	112462.41	331588.59	13263543.60
		भारत निर्मित विदेशी शराब	102478.00	73693.38	107608.00	61677.00	222277.00	160736.00	196467.00	110152.00	628830.00	406258.38	222571.62	22257162.00
4.	भोजपुर–सह –बक्सर	देशी शराब	102411.00	987768.00	1075343.00	880554.00	1358822.00	675204.00	-	-	3458276.00	2543526.00	914750.00	32016250.00
		मशालेदार देशी शराब	357876.00	266313.00	393224.00	193807.00	429855.00	228164.00	-	-	1080955.00	688286.00	392669.00	15706760.00
		भारत निर्मित विदेशी शराब	242155.00	180100.00	253751.00	231652.00	274437.00	162213.00	317979.00	119403.00	1091322.00	693768.00	397554.00	39755400.00
5.	रोहतास–सह – कैमूर	देशी शराब	1648928.00	1214297.00	1511386.00	1091738.00	1296394.00	1270866.00	-	-	4656708.00	3576901.00	1079807.00	37793245.00
		मशालेदार देशी शराब	143088.00	103390.00	150173.00	110183.00	157712.00	140370.00	-	-	450973.00	353943.00	97030.00	3881200.00
		भारत निर्मित विदेशी शराब	214629.00	183439.00	193868.00	126743.00	219471.00	161086.00	243508.00	141247.00	871476.00	612515.00	258961.00	25896100.00
6.	मुंगेर–सह– जमुई–सह– लखीसराय– सह–शेखपुरा	देशी शराब	684051.00	463883.00	711588.00	514460.00	754802.00	438862.00	-	-	2150441.00	1417205.00	733236.00	25663260.00
		मशालेदार देशी शराब	147502.00	22369.00	153639.00	17622.00	160984.00	13564.00	-	-	462125.00	53555.00	408570.00	16342800.00
		भारत निर्मित विदेशी शराब	214582.00	204266.00	51301.00	50906.00	212625.00	203518.00	268307.00	245279.00	746815.00	703969.00	42846.00	4284600.00
7.	गया	देशी शराब	774179.24	337563.00	749642.00	277034.00	513128.00	141247.00	-	-	2036949.24	755844.00	1281105.24	44838683.40
		मशालेदार देशी शराब	61617.56	43556.80	100856.00	48808.00	69229.65	39229.65	-	-	231703.21	1315940.45	100108.67	40043550.40
		भारत निर्मित विदेशी शराब	388546.56	232360.43	483738.00	271649.00	471992.22	271730.11	604949.00	246538.69	1949225.78	1022278.23	926947.55	92694755.00
कुल														**48,25,60,624.00**

<u>परिशिष्ट–II</u>

(संदर्भ–कंडिका 3.3.1)

<u>उत्पाद दुकानों का विलम्ब से बंदोबस्ती किया जाना</u>

तालिका–I

<u>(देशी शराब)</u>

क्रम संख्या	कार्यालय का नाम	वर्ष	मासिक रिजर्व फीस	दूकानों की संख्या	वार्षिक कोटा	बंदोबस्ती की तिथि	बंदोबस्ती में विलम्ब	बंदोबस्ती के विलम्ब अवधि का कोटा	रिजर्व फीस का हानि	शुल्क का हानि (रुपये में)
1.	सहायक उत्पाद आयुक्त, पटना	2005-06	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	उत्पाद अधीक्षक, मधेपुरा	2004-05	-	-	-	-	-	-	-	-
		2005-06	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	उत्पाद अधीक्षक, अररिया–सह–किशनगंज	2003-04	1,37,920	3	64,356	नवम्बर 03	8 माह	64,356	16,55,044	22,52,460
		2004-05	56,540	2	7,739	अक्टुबर 04	4 माह	7,739	2,26,160	2,70,865
4.	सहायक उत्पाद आयुक्त, रोहतास–सह–कैमूर	2005-06	1,63,30,847	53	-	26 अप्रैल 05 30 मई 05	25 दिन 2 माह	-	-	-
5.	उत्पाद अधीक्षक, मुंगेर–सह–जमुई–सह–लखीसराय–सह–शेखपुरा	2002-03	16,314	3	11,522	1 जून 02 20 दिसम्बर 02	2 माह 9 माह	1,583	31,203	55,405
		2003-04	-	-	-	-	-	-	-	-
		2005-06	26,02,440	दो समूह	4,95,522	28 सितम्बर 05 30 जनवरी 06	5 माह	-	86,25,011	-
6.	सहायक उत्पाद आयुक्त, गया	2002-03	1,14,888	9	-	15 जुलाई 02 19 जुलाई 02 17 दिसम्बर 02	3 माह 8 माह	33,336	4,22,568	11,67,485
		2004-05	1,87,785	8	-	6 नवम्बर 04 28 जुलाई 04	4 माह 1 माह	1,16,591	7,52,661	25,00,141
		2005-06	38,63,390	27	12,10,544	22 फरवरी 06	11 माह	11,09,665	4,53,94,833	-
7.	उत्पाद अधीक्षक, भागलपुर–सह–बांका	2005-06	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	उत्पाद अधीक्षक, छपरा	2005-06	5,46,5194	59	8,42,697	31 मई 05	2 माह	1,17,329	63,80,332	-
9.	उत्पाद अधीक्षक, कटिहार	2005-06	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	उत्पाद अधीक्षक, सिवान	2005-06	79,96,633	55	-	4 मई 05	1 माह	-	87,70,502	-
	कुल योग	-	-	**219**	-	-	-	-	**7,22,58,314**	**62,46,356**

क्रमशः.........

तालिका–II
(मशालेदार देशी शराब)

क्रम संख्या	कार्यालय का नाम	वर्ष	मासिक रिजर्व फीस	दुकानों की संख्या	वार्षिक कोटा	बंदोबस्ती की तिथि	बंदोबस्ती में विलम्ब	बंदोबस्ती के विलम्ब अवधि का कोटा	रिजर्व फीस का हानि	शुल्क की हानि (रुपये में)
1.	सहायक उत्पाद आयुक्त, पटना	2005-06	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	उत्पाद अधीक्षक,मधेपुरा	2004-05	-	-	-	-	-	-	-	-
		2005-06	-	9	-	7 मई 05	-	-	-	-
3.	उत्पाद अधीक्षक, अररिया–सह–किशनगंज	2003-04	-	-	-	30 अप्रैल 05 5 जुलाई 05	-	-	-	-
		2004-05	-	15	-	-	-	-	-	-
4.	सहायक उत्पाद आयुक्त, रोहतास–सह–कैमूर	2005-06	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	उत्पाद अधीक्षक, मुंगेर–सह–जमुई–सह–लखीसराय–सह–शेखपुरा	2002-03	-	-	-	-	-	-	-	-
		2003-04	-	-	-	-	-	-	-	-
		2005-06	-	-	-	28 सितम्बर 05 30 जनवरी 06	5 माह	-	-	-
6.	सहायक उत्पाद आयुक्त, गया	2002-03	4,477	2	-	11 मई 02 11 दिसम्बर 02	1 माह 8 माह	7,173	32,178	2,86,920
		2004-05	3,100	1	-	6 नवम्बर 04	4 माह	38,111	12,917	1,52,440
		2005-06	-	13	1,01,912	-	-	93,419	-	-
7.	उत्पाद अधीक्षक, भागलपुर–सह–बांका	2005-06	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	उत्पाद अधीक्षक, छपरा	2005-06	-	61	3,51,888	4 मई 05	1 माह	52,317	27,80,427	-
9.	उत्पाद अधीक्षक, कटिहार	2005-06	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	उत्पाद अधीक्षक, सीवान	2005-06	-	52	-	-	-	-	-	-
	कुल योग	-	-	**153**	-	-	-	-	**28,25,522**	**4,39,360**

क्रमशः.........

तालिका–III
(भारत निर्मित विदेशी शराब)

क्रम संख्या	कार्यालय का नाम	वर्ष	मासिक रिजर्व फीस	दुकानों की संख्या	वार्षिक कोटा		बंदोबस्ती की तिथि	बंदोबस्ती में विलम्ब	बंदोबस्ती के विलम्ब अवधि का कोटा		रिजर्व फीस का हानि	शुल्क की हानि (रुपये में)
					भा. नि. वि. श.	बीयर			भा. नि. वि. श.	बीयर		
1.	सहायक उत्पाद आयुक्त, पटना	2005-06	-	12	-	-	11 जून 05 3 अगस्त 05	2 माह 5 माह	1,22,310	2,06,587	15,75,011	1,38,83,696
2.	उत्पाद अधीक्षक,मधेपुरा	2004-05	1,16,876	4	32,383	17,096	4 दिसम्बर 04	8 माह	17,991	9,499	5,95,690	18,75,092
		2005-06	4,840	1	3,600	2,858	16 जून 05	2 माह	600	476	12,100	63,808
3.	उत्पाद अधीक्षक, अररिया–सह–किशनगंज	2003-04	2,794	1	1,392	-	नवम्बर 03	8 माह	697	-	22,352	69,700
		2004-05	35,183	3	4,858	3,892	अक्तुबर 04	4 माह	2,159	1,729	1,40,732	2,29,732
4.	सहायक उत्पाद आयुक्त, रोहतास–सह–कैमूर	2005-06	7,86,200	34	2,42,533	1,68,509	26 अप्रैल 05 30 मई 05	1 माह 2 माह	37,152	26,607	13,77,300	39,28,480
5.	उत्पाद अधीक्षक, मुंगेर–सह–जमुई–सह–लखीसराय–सह–शेखपुरा	2002-03	17,250	1	11,806	5,887	30 अप्रैल 02	1 माह	984	491	17,250	1,02,328
		2003-04	25,374	2	5,485	3,714	1 जून 03 30 जून 03	2 माह 3 माह	1,599	989	60,832	1,67,112
		2005-06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	सहायक उत्पाद आयुक्त, गया	2002-03	56,831	9	-	-	21 जनवरी 03 27 मई 02 23 सितम्बर 02 15 जुलाई 02 11 मई 02	9 माह 2 माह 5 माह 3 माह 1 माह	22,740	6,120	2,83,565	23,22,960
		2004-05	24,500	2	-	-	6 नवम्बर 04	4 माह	4,807	1,633	1,02,084	4,93,764
		2005-06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	उत्पाद अधीक्षक, भागलपुर–सह–बांका	2005-06	56,050	3	17,666	6,810	10 फरवरी 06 2 मई 05	10 माह 1 माह	6,132	3,141	2,59,331	6,38,328
8.	उत्पाद अधीक्षक, छपरा	2005-06	4,46,283 3,13,049	3 समूह	-	-	31 मई 05	2 माह	53,854	40,835	13,11,040	57,12,080
9.	उत्पाद अधीक्षक, कटिहार	2005-06	85,232	3	27,828	23,600	16 दिसम्बर 05 27 मई 05	8 माह 2 माह	10,038	8,440	3,86,040	10,71,320
10.	उत्पाद अधीक्षक, सीवान	2005-06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल योग	-		75							**61,43,327**	**3,05,58,400**

क्रम संख्या	रिजर्व फीस की हानि	शुल्क की हानि
तालिका–I	7,22,58,314	62,46,356
तालिका–II	28,25,522	4,39,360
तालिका–III	61,43,327	3,05,58,400
	8,12,27,163 (क)	3,72,44,116 (ख)
		(क) + (ख) रू0 **11,84,71,279**

परिशिष्ट–III
(संदर्भ–कंडिका 3.3.2)
तालिका–I
दुकानों का अबंदोबस्त पड़े रहना

जिला का नाम	वर्ष	देशी शराब			अनुज्ञप्ति शुल्क की हानि क X 12 रुपये (रुपये में)	शुल्क की हानि ख X 35 रुपये (रुपये में)
		मासिक रिजर्व फीस (क)	दुकानों की संख्या	वार्षिक कोटा (एल०पी०एल० में) (ख)		
सहायक उत्पाद आयुक्त, रोहतास	2002-03	3,76,811	14	3,21,856	45,21,732	1,12,64,960
	2005-06	9,13,438	10	4,71,057	1,09,61,256	
उत्पाद अधीक्षक, मुंगेर	2002-03	18,927	4	24,328	2,27,124	8,51,480
	2005-06	1,40,674	5	23,782	16,88,094	
सहायक उत्पाद आयुक्त, गया	2002-03	2,61,208	24	2,40,105	31,34,496	84,03,675
कुल			**57**		**2,05,32,702**	**2,05,20,115**

क्रमशः ....

तालिका–II

दुकानों का अबंदोबस्त पड़े रहना

जिला का नाम	वर्ष	मशालेदार देशी शराब			अनुज्ञप्ति शुल्क की हानि क X 12 रुपये (रुपये में)	शुल्क की हानि ख X 35 रुपये (रुपये में)
		मासिक रिजर्व फीस (क)	दुकानों की संख्या	वार्षिक कोटा (एल०पी०एल० में) (ख)		
उत्पाद अधीक्षक, मुंगेर	2002-2003	2,475.00	1	1,852.00	29,700.00	74,080.00
सहायक उत्पाद आयुक्त, गया	2002-2003	7,590.00	2	28,318.00	91,080.00	11,32,720.00
उत्पाद अधीक्षक, अररिया	2002-2003	48,679.00	3	7,652.00	5,84,148.00	3,06,080.00
	2003-2004	3,42,992.00	14	1,40,205.00	41,15,904.00	56,08,200.00
सहायक उत्पाद आयुक्त, भोजपुर	2002-2003	17,772.00	2	6,960.00	2,13,264.00	2,78,400.00
कुल			**22**		**50,34,096.00**	**73,99,480.00**

क्रमशः ....

तालिका–III
दुकानों का अबंदोबस्त पड़े रहना

जिला का नाम	वर्ष	भारत निर्मित विदेशी शराब				अनुज्ञप्ति फीस की हानि क X 12 रुपये (रुपये में)	शुल्क की हानि (रुपये में)		
		मासिक रिजर्व फीस (क)	दुकानों की संख्या	वार्षिक कोटा (एल0पी0एल0 में)					
				भारत निर्मित विदेशी शराब (ख)	बीयर (ग)		(ख) X 100	(ग) X 8	कुल
सहायक उत्पाद आयुक्त, पटना	2003–2004	62,688	2	44,503	7,055	7,52,256.00	44,50,300	56,440	45,06,740
उत्पाद अधीक्षक,मधेपुरा	2002–2003	8,085	1	10,183	4,666	97,020.00	10,18,300	37,328	10,55,628
	2003–2004	35,585	2	29,404	13,890	4,27,020.00	29,40,400	1,11,120	30,51,520
	2005–2006	12,562	2	7,228	3,442	1,50,744.00	7,22,800	27,536	7,50,336
उत्पाद अधीक्षक, पूर्णिया	2002–2003	10,340	1	768	615	1,24,080.00	76,800	4,920	81,720
उत्पाद अधीक्षक,अररिया	2003–2004	57,510	4	7,253	4,248	6,90,120.00	7,25,300	33,984	7,59,284
सहायक उत्पाद आयुक्त, भोजपुर	2005–2006	1,50,377	4	47,407	28,950	18,04,524.00	47,40,700	2,31,600	49,72,300
उत्पाद अधीक्षक, मुंगेर	2002–2003	19,140	2	4,574	3,699	2,29,680.00	4,57,400	29,592	4,86,992
	2005–2006	34,448	3	8,750	5,710	4,13,376,00	8,75,000	45,680	9,20,680
सहायक उत्पाद आयुक्त, गया	2002–2003	79,390	4	44,962	12,890	9,52,680.00	44,96,200	1,03,120	45,99,320
कुल			25			56,41,500.00	2,05,03,200	6,81,320	2,11,84,520

तालिका	फीस की हानि (रुपये लाख में)	शुल्क की हानि (रुपये लाख में)
I	205.33	205.20
II	50.34	73.99
III	56.42	211.85
कुल	**312.09** (क)	**491.03** (ख)
कुल योग		(क) + (ख) **803.12** लाख रुपये

परिशिष्ट–IV

(संदर्भ–कंडिका 3.3.3)

निरस्तीकरण के बाद दुकानों का अबंदोबस्त पड़े रहना

कार्यालय का नाम	वर्ष	देशी शराब						मशालेदार देशी शराब						भारत निर्मित विदेशी शराब							
		मासिक रिजर्व फीस	दूकानों की संख्या	वार्षिक कोटा	मासिक रिजर्व फीस की हानि	निरस्तीकरण अवधि का कोटा	निरस्तीकरण की तिथि	मासिक रिजर्व फीस	दुकानों की संख्या	वार्षिक कोटा	मासिक रिजर्व फीस की हानि	निरस्तीकरण अवधि का कोटा	निरस्तीकरण की तिथि	मासिक रिजर्व फीस	दुकानों की संख्या	वार्षिक कोटा भा. नि. वि. श.	वार्षिक कोटा बीयर	मासिक रिजर्व फीस की हानि	निरस्तीकरण अवधि का कोटा भा. नि. वि. श.	निरस्तीकरण अवधि का कोटा बीयर	निरस्तीकरण की तिथि
सहायक उत्पाद आयुक्त, पटना	2000-03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,15,700	4	1,22,893	1,57,159	8,01,865	1,16,885	1,40,798	5.4.02 26.9.02 11.10.02 6.1.03
उत्पाद अधीक्षक, पूर्णिया	2003-04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,33,340	2	13,147	8,353	1,00,661	2,182	1,372	21.1.04
सहायक उत्पाद आयुक्त, रोहतास–सह–कैमूर	2002-03	16,240	1	6,696	1,05,560	6,336	16.9.02	50,760	2	19,245	2,88,823	18,304	10.10.03	-	-	-	-	-	-	-	-
	2003-04	1,10,281	3	35,324	5,94,068	31,286	16.11.03 10.10.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उत्पाद अधीक्षक, मुंगेर–सह–जमुई–सह–लखीसराय–सह–शेखपुरा	2002-03	27,726	4	30,945	1,29,465	11,742	25.10.02 5.11.02 25.1.03	3,505	1	2,134	33,414	1,600	15.6.02	11,066	2	5,875	5,214	41,814	1,689	1,414	25.10.02 13.12.02
	2005-06	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-	-	-	32,600	3	9,420	7,454	97,800	2,355	2,100	12.12.05
सहायक उत्पाद आयुक्त, गया	2002-03	73,800	1	51,216	2,21,400	12,804	1.03	-	-	-	-	-	-	37,510	1	21,776	-	1,12,530	5,444	-	1.1.03
	2005-06	35,95,049	22	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उत्पाद अधीक्षक, समस्तीपुर	005-06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,29,500	7	-	-	11,08,951	19,466	10,982	5.11.05
उत्पाद अधीक्षक, कटिहार	2005-06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,500	1	3,728	6,000	1,02,581	1,248	2,000	5.12.05
कुल योग		**38,23,096**	**31**	**1,24,181**	**10,50,493**	**62,168**	-	**54,265**	**9**	**21,379**	**3,22,237**	**19,904**	-	**8,86,216**	**20**	**1,76,839**	**1,84,180**	**22,66,202**	**1,49,269**	**1,58,666**	-

अनुज्ञप्ति फीस की हानि (क)

दे. श. =	रुपये	10,50,493
म. दे. श. =	रुपये	3,22,237
भा. नि. वि. श. =	रुपये	22,66,202
	रुपये	36,38,932

फीस की हानि (ख)

62,168 X रुपये 35	रुपये	21,75,880
19,904 X रुपये 40	रुपये	7,96,160
1,49,269 X रुपये 100	रुपये	1,49,26,900
1,58,666 X रुपये 8	रुपये	12,69,328
	रुपये	1,91,68,268

(क) + (ख) = रुपये 2,28,07,200